रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2001 REGISTERED No. DL—33001/2001

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28, 2001 (वैशाख 8, 1923)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28, 2001 (VAISAKHA 8, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक
सहयोगी एवं अनुषंगी समूह
मुंबई, दिनांक 28 मार्च 2001

एसबीडी. क्र. 2/2001--भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक तथा संबद्ध सहयोगी बैंकों के निर्देशक-मंडल के अनुमोदन के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर के अधिकारी सेवा विनियमन के निम्नलिखित विनियमों में संशोधन अनुमोदित किया है:--

विनियम क्र. 4
ग्रेड तथा वेतनमान

(1) 1 दिसम्बर, 1990 से अधिकारियों की चार श्रेणियाँ होंगी, प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्दिष्ट वेतनमान इस प्रकार होगा:

(क) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी:

विशेष वेतनमान I	रु. 7150/- (नियत मूल वेतन)
वेतनमान VII	रु. 6400-150-7000
वेतनमान VI	रु. 5950-150-6550

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी:

वेतनमान V	रु. 5350-150-5950
वेतनमान IV	रु. 4520-130-4910-140-5050-150-5350

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी:

वेतनमान III	रु. 4020-120-4260-130-4910
वेतनमान II	रु. 3060-120-4260-130-4390

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी:

वेतनमान I	रु. 2100-120-4020

विनियम क्र. 4(2)

(2) 1-7-1993 से अधिकारियों की चार श्रेणियाँ होंगी, प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्दिष्ट वेतनमान इस प्रकार होगा:

(क) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी:

विशेष वेतनमान I	रु. 14400/- (नियत मूल वेतन) (मुख्य महाप्रबंधक)
वेतनमान VII	रु. 12650-300-13250-350-13600-400-14000
वेतनमान VI	रु. 11450-300-12650

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान V	रु. 10450-250-11450
वेतनमान IV	रु. 8970-230-9200-250-10450

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान III	रु. 8050-230-9200-250-9700
वेतनमान II	रु. 6210-230-8740

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान I	रु. 4250-230-4940-350-5290-230-8050

विनियम क्र. 4(3)

उप-विनियम (1) और (2) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारियों को पदस्थ रखना अपेक्षित है.

विनियम क्र. 5(1)

वेतनवृद्धियां :

विनियम 4(2) के उपबंधों के अध्यधीन, दिनांक 1.11.1992 को या उसके बाद से, वेतनवृद्धियां निम्नलिखित उप-खण्डों के अध्यधीन प्रदान की जाएंगी :

(क) विनियम 4 में वर्णित वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वार्षिक आधार पर उपचित होंगी और वे जिस महीने में देय हैं उस महीने की पहली तारीख को प्रदान की जाएंगी.

(ख) वेतनमान I तथा II के अधिकारियों को, अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के एक वर्ष के पश्चात, अगले उच्च वेतनमान में अवरुद्धता वेतनवृद्धि(यों) सहित आगे की वेतनवृद्धियां केवल नीचे (ग) में निर्दिष्ट किए गए के आधार पर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाएंगी बशर्ते कि वे दक्षतारोध को पार कर लें.

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I तथा II के अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने वाले अधिकारियों को, यथास्थिति, वेतनमान I तथा II के अंतिम बिन्दु पर पहुंचने के पश्चात् प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरुद्धता वेतनवृद्धि(यां) दी जाएगी/जाएंगी. वेतनमान II के अंतिम बिन्दु पर पहुंच चुके अधिकारियों के मामले में रु. 230/- की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियां दी जाएंगी तथा वेतनमान III के अंतिम बिन्दु पर पहुंच चुके अधिकारियों के मामले में रु. 250/- की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी.

परंतु 1.11.1994 और उसके बाद से, मूल वेतनमान III के अधिकारियों को अर्थात् जो वेतनमान III में भरती या पदोन्नत हुए हैं, दूसरी अवरुद्धता वेतनवृद्धि पहली वेतनवृद्धि पाने के तीन वर्ष पश्चात् दी जाएगी.

टिप्पणी :

अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा. ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के पश्चात् भी अधिकारी को, यथास्थिति, उसके अपने मूल पद के वेतनमान I तथा II के ही विशेषाधिकार, परिलब्धियां, ड्यूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे.

विनियम क्र. 5(2)

नियुक्ति की तारीख को या उसके पश्चात् भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सीएआइआइबी) परीक्षा का प्रत्येक भाग उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी.

स्पष्टीकरण I :

जिस अधिकारी ने नियत तारीख से पहले अधिकारी के रूप में भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सीएआइआइबी) परीक्षा का भाग I या भाग II उत्तीर्ण कर लिया हो, उसे नियत तारीख से, यथास्थिति, अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियां दी जाएंगी बशर्ते कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि न ली हो अथवा केवल एक वेतनवृद्धि ली हो.

स्पष्टीकरण II :

(क) 1.11.1987 को तथा उसके बाद से वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने वाले अथवा पहुंच चुके ऐसे अधिकारियों को जो पदोन्नति पाए बिना और आगे नहीं जा सकते, सरकारी दिशानिर्देशों के अधीन, यदि कोई हों, सीएआइआइबी परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्नानुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा :

जिन्होंने सीएआइआइबी का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है :

(i) एक वर्ष पश्चात् रु. 100/- प्रति माह जिसमें से रु. 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे.

जिन्होंने सीएआइआइबी के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं :

(i) एक वर्ष पश्चात् रु. 100/- प्रति माह जिसमें से रु. 75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे.

(ii) दो वर्ष पश्चात् रु. 250/- प्रति माह जिसमें से रु. 200/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे.

(ख) 1.11.1994 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भत्ते की मात्रा निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाएगी :

जिन्होंने सीएआइआइबी का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है :

(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर एक वर्ष पश्चात् रु. 120/- प्रति माह.

जिन्होंने सीएआइआइबी दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं :

(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर एक वर्ष पश्चात् रु. 120/- प्रति माह.

(ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर दो वर्ष पश्चात् रु. 300/- प्रति माह.

परंतु विनियम 5(3)(ख) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र अधिकारी, यथास्थिति, क्रमशः भाग I या II के लिए व्यावसायिक अर्हता भत्ता पाने के एक/दो वर्ष पश्चात् प्राप्त कर सकेंगे.

टिप्पणी :

(i) यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसे व्यावसायिक अर्हता भत्ता मिल रहा है, अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक, सीएआइआइबी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई भी वेतनवृद्धियां उपलब्ध नहीं हैं अथवा केवल एक वेतनवृद्धि उपलब्ध है तो अधिकारी वेतनवृद्धि(यों) के एवज में व्यावसायिक अर्हता भत्ता पाने का पात्र होगा.

(ii) 1.11.1994 को तथा उसके बाद से परिशोधित व्यावसायिक अर्हता भत्ते को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा.

विनियम क्र. 5(3)

(क) जो अधिकारी 1.11.1993 को बैंक की स्थायी सेवा में हैं उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि दी जाएगी. जो अधिकारी 1.11.1993 को परिवीक्षाधीन हैं उन्हें एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्थायीकरण के एक वर्ष पश्चात् दी जाएगी.

टिप्पणी :

अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

(ख) जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुका है या जो 1.11.1993 को अवरोध वेतनवृद्धि(यां) प्राप्त कर चुका है वह 1.11.1993 से नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा जो अंतिम आहरित वेतनवृद्धि और उस पर 1.11.1993 को देय महंगाई भत्ता, तथा विनियम 22 के अनुसार लागू दरों पर मकान किराया भत्ते की मात्रा के बराबर होगा. यहां नीचे दिया गया नियत वैयक्तिक भत्ता तथा साथ ही साथ महंगाई भत्ता, यदि कोई हो, संपूर्ण सेवा अवधि के लिए अवरुद्ध कर दिया जाएगा.

वेतनवृद्धि का अंश	1.11.1993 को महंगाई भत्ता	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क)	(ख)	(ग)
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

टिप्पणी :

(i) ऊपर (ग) में निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है.

(ii) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों को नियत वैयक्तिक भत्ता, विनियम 4 के उप विनियम (2) में निर्दिष्टानुसार संबंधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने पर, (क) + (ख) + संबंद्ध अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता होगा.

(iii) नियत वैयक्तिक भत्ता पाने वाले वर्ष में देय व्यावसायिक अर्हता भत्ता, यदि कोई हो, अगले वर्ष दिया जाएगा.

(iv) नियत वैयक्तिक भत्ते का वृद्धिशील अंश अधिवर्षिता लाभ में गिना जाएगा.

(ग) जिस अधिकारी को यह अग्रिम वेतनवृद्धि मिल चुकी है, उसे ऊपर (ख) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते की प्रमात्रा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष के पश्चात् प्राप्त होगी.

विनियम क्र. 12

विद्यमान अधिकारियों के लिए विकल्प

(1) इन विनियमों में निहित किसी बात पर ध्यान दिए बिना विद्यमान अधिकारी को नये वेतनमान में अपने फिटमेंट के संबंध में सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर बैंक को सूचित करके नियत तारीख के ठीक पूर्व उसे लागू वेतनमान में नियत तारीख के बाद भी बनाए रखने का विकल्प प्राप्त होगा.

बशर्ते कि ऐसा विकल्प विनियम 7 के अनुसार अनुरूपी नियत तारीख के तत्काल पूर्व उसकी पात्रता के अधीन वेतनमान से विनियम 4 में उल्लिखित उच्च वेतनमान में अधिकारी की पदोन्नति तक प्रभावी रहेगा.

(2) उप विनियम 3 में यथा उपबंधित को छोड़कर जहां विद्यमान अधिकारी ने अपने विकल्प का प्रयोग किया है, उसे नियत तारीख के तत्काल पूर्व बैंक की सेवा में उसकी पात्रता के अनुसार वेतन तथा भत्ते प्राप्त होते रहेंगे.

बशर्ते कि ऐसे अधिकारी को देय महंगाई भत्ता नियत तारीख के पूर्व देय तदर्थ राशि के साथ नियत तारीख के पूर्व लागू फार्मूले के अधीन देय होगा न कि नए वेतनमान में फिटमेंट के प्रयोजनार्थ लिए गए वैकल्पिक महंगाई भत्ते के अनुसार देय होगा.

बशर्ते पुनः कि किसी भी मामले में विद्यमान अधिकारी ऐसी पात्रता के अधीन अनुलाभ के लिए पात्र नहीं होगा बल्कि सिर्फ उन्हीं अनुलाभों के लिए पात्र होगा जो कि विनियमों के अधीन उसे देय है.

(3) ऐसे किसी भी अधिकारी को 1 फरवरी 1984 को तथा इस तारीख से इन विनियमों के अधीन यथा लागू वेतन तथा भत्ते के विकल्प की अनुमति दी जाएगी जिसमें उप विनियम 1 में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया है तथा उप विनियम 2 के निबंधनों के अनुसार तत्काल पूर्व बैंक की सेवा में अपनी पात्रता के अनुसार वेतन तथा भत्ते प्राप्त करता रहता है. ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर उसे नियत तारीख को नए वेतनमान में वैकल्पिक रूप से फिट किया जाएगा तथा इन विनियमों के निबंधनों में 31 जनवरी 1984 तक उसे प्राप्त वेतनवृद्धियों को मंजूर करने के बाद उसे इस संबंध में जारी स्टेट बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 1 फरवरी 1984 को विनियम 4(1) में विनिर्दिष्ट वेतनमान में फिट किया जाएगा.

बशर्ते कि यदि उपयुक्त रूप में फिटमेंट के बाद अधिकारी को इन विनियमों के अधीन देय वेतन तथा भत्तों के कुल योग से कम है तो अंतर उसे वैयक्तिक भत्ते के रूप में अदा किया जाएगा जिसे वेतन में वृद्धि के 33 1/3% की मात्रा तक या ऐसी वेतनवृद्धि के फलस्वरूप, जो भी कम हो, भावी वेतनवृद्धि के फलस्वरूप, जो भी कम हो, भावी वेतनवृद्धियों में समायोजित किया जाएगा.

(4) कोई भी अधिकारी -

(क) जिसने उप-विनियमन (1) में संदर्भित विकल्प का प्रयोग किया था; और

(ख) जो नियुक्ति की तिथि से तुरंत पहले उसके लिए लागू वेतन और भत्तों को फरवरी 1984 के प्रथम दिवस के बाद भी आहरित कर रहा हो; और

(ग) जो अप्रैल 1997 के प्रथम दिवस को या उसके बाद बैंक की नियमित सेवा में रहता हो.

उसे इन विनियमनों के अंतर्गत अप्रैल 1997 के प्रथम दिवस को और इस दिन से लागू वेतनमान और भत्ता चुनने की अनुमति दी जा सकती है. ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर, उसके वेतनमान को इस विधि से निर्धारित किया जाएगा कि विनियमन 4(2) में निर्धारित वेतनमान और दिनांक 1.4.97 को उस वेतनमान पर संदेय महंगाई भत्ता उप विनियमन (2) के अनुसार दिनांक 31.3.97 को आहरित किये जा रहे उसके विद्यमान वेतन के निकटतम रहे.

<u>विनियम क्र. 21(1)</u>
<u>महंगाई भत्ता</u>

1.11.1987 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता योजना इस प्रकार होगी -

(i) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य आधार 1960 = 100 की तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा.

(ii) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा :

(i) रु. 2,500/- तक "वेतन" का 0.67%, धन [+],

(ii) रु. 2,500/- से ऊपर परंतु रु. 4,000/- तक "वेतन" का 0.55%, धन [+],

(iii) रु. 4,000/- से ऊपर परंतु रु. 4,260/- तक "वेतन" का 0.33%, धन [+],

(iv) रु. 4,260/- से ऊपर "वेतन" का 0.17%.

विनियम क्र. 21(2)

1.7.1993 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा -

(i) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य आधार 1960 = 100 की तिमाही औसत में 1148 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा.

(ii) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा :

(i) रु. 4,800/- तक "वेतन" का 0.35%, धन [+],

(ii) रु. 4,800/- से ऊपर परंतु रु. 7,700/- तक "वेतन" का 0.29%, धन [+],

(iii) रु. 7,700/- से ऊपर परंतु रु. 8,200/- तक "वेतन" का 0.17%, धन [+],

(iv) रु. 8,200/- से ऊपर "वेतन" का 0.09%.

टिप्पणी :

(i) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु वेतन से मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं.

(ii) महंगाई भत्ते के लिए व्यावसायिक अर्हता भत्ते को 1.11.1994 से गिना जाएगा.

विनियम क्र. 22

मकान किराया भत्ता :

1) 1.11.1994 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम चरण में मूल वेतन के 4% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा.

2) 1.11.1992 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा मकान उपलब्ध नहीं कराया गया है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा :

	स्तंभ I	स्तंभ II
	कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(i)	सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख "ए" वर्ग के नगर तथा समूह "ए" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 13% प्रतिमाह
(ii)	क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह "बी" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12% प्रतिमाह
(iii)	क्षेत्र II तथा उपर्युक्त (i) और (ii) के अंतर्गत न आने वाले राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों की राजधानियां	वेतन का 10 1/2% प्रतिमाह
(iv)	क्षेत्र III	वेतन का 9 1/2% प्रतिमाह

परंतु यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम चरण के 4% से अधिक, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या अधिक स्तंभ II के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150%, जो भी कम हो, होगा.

टिप्पणी :

(i) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु वेतन से मूल वेतन तथा 1.7.1993 को परिशोधित वेतनमान के अनुसार अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं.

(ii) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु व्यावसायिक अर्हता भत्ते को 1.11.1994 से प्रभावी माना जाएगा.

विनियम सं. 23

अन्य भत्ते

अधिकारी निम्नलिखित अन्य भत्तों के लिए पात्र होंगे अर्थात :

नगर प्रतिकर भत्ता :

(i) 1.11.1993 को और उसके बाद से, यदि अधिकारी निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित किसी स्थान में कार्यरत हो तो उस स्थान के सामने स्तंभ 2 में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिकर भत्ता पाने का हकदार होगा.

	स्थान	दर
क)	क्षेत्र I के स्थान और गोवा राज्य	मूल वेतन का 4 1/2% अधिकतम रु. 335/- प्रतिमाह
ख)	5 लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर जो ऊपर (क) में नहीं आते.	मूल वेतन का 3 1/2%, बशर्ते अधिकतम रु.230/- प्रतिमाह.

(iii) यदि वह समूह क या समूह ख के अंतर्गत आने वाले परियोजना क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र में कार्यरत है रु. 40/- प्रतिमाह या रु. 25/- प्रतिमाह की दर पर परियोजना क्षेत्र प्रतिकर भत्ता जो समूह क या समूह ख के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र के अनुसार हो.

बशर्ते कि अप्रैल 1997 के प्रथम दिवस को और से, उप विनियमन के प्रावधानों का यह प्रभाव होगा कि "40/- रुपये प्रतिमाह या 25/- रुपये प्रति माह" अक्षर, अंक और शब्दों के स्थान पर क्रमशः "125/- रुपये प्रतिमाह या 100/- रुपये प्रति माह अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित हो गए थे.

(iv) यदि किसी अधिकारी को शैक्षिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान में 1.1.1987 को तथा इस दिनांक से स्थानांतरित किया गया है तथा यदि उसके एक या अधिक बच्चे पहले स्थान में स्कूल या कालेज में अध्ययनरत हैं, दूसरे स्थान पर उसके रिपोर्ट करने की तारीख से शैक्षिक वर्ष के अंत तक सभी व्यक्तियों के संबंध में रु. 150/- प्रतिमाह का मध्य शैक्षिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता, बशर्ते कि ऐसा भत्ता उस समय मिलना बंद हो जाएगा जब सभी बच्चे पहले स्थान में अध्ययन करना बंद कर देते हैं.

बशर्ते कि अप्रैल 1997 के प्रथम दिवस को और इस दिन से, उप विनियमन के प्रावधानों का यह प्रभाव होगा कि "150/- रुपये प्रतिमाह", अक्षर, अंक और शब्दों के स्थान पर "300/- रुपये प्रति माह", अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित हो गए थे.

(v) 1.11.1987 को तथा से यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह अपनी प्रतिनियुक्ति के पद से जुड़ी परिलब्धियाँ प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है. इस प्रकार वह अपने वेतन के अलावा वेतन का 12%, अधिकतम रु.700/- तक, प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते प्राप्त कर सकता है जो वह उस स्थान पर बैंक की सेवा में नियुक्त होने पर पाता.

बशर्ते कि जहां उसे ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया गया है जो उसी स्थान पर स्थित है जहां उसे उसकी प्रतिनियुक्ति के ठीक पहले तैनात किया गया था, उसे अपने वेतन के 6% के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा, जो अधिकतम रु.350/- होगा.

बशर्ते पुनः कि बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड में प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने वेतन का 6% प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने का हकदार होगा, जिसकी अधिकतम राशि रु. 350/- होगी.

बशर्ते कि अप्रैल 1997 के प्रथम दिवस को और इस दिन से, इस उप-विनियमन के प्रावधानों का यह प्रभाव होगा कि -

क) "700/- रुपये," अक्षर और अंकों के स्थान पर "1000/- रुपये" अक्षर और अंक प्रतिस्थापित हो गए थे;

ख) प्रथम और द्वितीय उपबंध में दोनों स्थानों पर आने वाले "350/- रुपये", अक्षर और अंकों के स्थान पर क्रमशः "500/- रुपये", अक्षर और अंक प्रतिस्थापित हो गए थे.

(vii) वित्तीय वर्ष 1989-90 को तथा से यदि उसे ऐसी शाखा में तैनात किया जाता है जहां लेखाबंदियां 31 मार्च तथा 30 सितंबर को होती हैं, तो हरेक लेखाबंदी के लिए रु. 150/ का लेखाबंदी भत्ता दोनों लेखाबंदी के लिए दिया जाता है.

बशर्ते कि वित्तीय वर्ष 1997-98 को और से, इस उप-विनियमन के प्रावधानों का यह प्रभाव होगा कि "150/- रुपये," अक्षर और अंकों के स्थान पर "250/- रुपये", अक्षर और अंक प्रतिस्थापित हो गए थे.

(viii) यदि दिन के दौरान अधिकारी के कार्य घंटे न्यूनतम दो घंटों के अंतराल के साथ विभक्त किए जाते हैं तो रु. 35/- का प्र.मा. विभक्त कार्य भत्ता देय होगा.

बशर्ते कि अप्रैल 1997 के प्रथम दिवस को और इस दिन से, इस उप-विनियमन के प्रावधानों का यह प्रभाव होगा कि "35/- रुपये प्रति माह", अक्षर और अंकों के स्थान पर "70/- रुपये प्रति माह", अक्षर, शब्द और अंक प्रतिस्थापित हो गए थे.

विनियम क्र. 24

चिकित्सा सहायता :

(1) अधिकारी अपने परिवार के लिए किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात् :-

(क) **चिकित्सा व्यय**

1.11.1994 को और उसके बाद से अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नीचे स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट श्रेणी तथा स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट प्रतिपूर्ति सीमा के अध्यधीन की जाएगी. इसके लिए अधिकारी को अपनी ओर से ही प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च का विवरण देना होगा :

सारणी

श्रेणी	वार्षिक
1	2
कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु. 1,500/-
वरिष्ठ प्रबंधन तथा शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	रु. 2,000/-

टिप्पणी :

(i) उपयोग में न लाई गई चिकित्सा सहायता राशि को अधिकारी संचित कर सकता है परंतु संचित राशि किसी भी समय उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी.

(ii) चिकित्सा सहायता योजना के अधीन वर्ष 1994 के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति महीने, अर्थात् नवम्बर और दिसम्बर, 1994 के लिए यथानुपात बढ़ाई जाएगी.

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी के "परिवार" में उसका पति/उसकी पत्नी, पूर्णतः आश्रित संतान और पूर्णतः आश्रित माता-पिता ही शामिल होंगे.

(ख) अस्पताल में भर्ती खर्च :

(i) 1.11.1994 को और उसके बाद से, अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकारी के मामले में 100% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी. सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन बिलों, वाउचरों आदि के आधार पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी.

(ii) अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों से, यथास्थिति, यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी सरकारी या नगरपालिका अस्पताल में या किसी निजी अस्पताल अर्थात् किसी न्यास, धर्मार्थ संस्थान या धार्मिक मिशन के प्रबंधन के अधीन आने वाले अस्पतालों में भर्ती हों, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारीगण या उनके परिवार के सदस्य अथवा दोनों किसी अनुमोदित निजी नर्सिंग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं किन्तु ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति ऊपर वर्णित अस्पतालों में भर्ती पर प्रतिपूर्ति-योग्य राशि तक सीमित रहेगी.

(iii) 1.11.1994 को या उसके बाद से, मान्यताप्राप्त अस्पताल के प्राधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा घर पर इलाज की आवश्यकता प्रमाणित करने पर निम्नलिखित रोगों के चिकित्सा खर्चों को भी अस्पताल में भर्ती खर्च माना जाएगा और उससे संबंधित चिकित्सा खर्चों की अधिकारी के मामले में 100% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी :

कैंसर, श्वेतरक्तता, थैलसामिया, तपेदिक, पक्षाघात, हृदयरोग, कुष्ठरोग, गुर्दे की खराबी, मिरगी, पार्किन्सन की बीमारियां, मनोविकार दोष और मधुमेह.

टिप्पणी :

यरेलू उपचार के मामले में दवाओं आदि की लागत की प्रतिपूर्ति चिकित्सक के नुस्खे में उल्लिखित अवधि के लिए की जाएगी. यदि अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो प्रतिपूर्ति के प्रयोजन हेतु नुस्खा 90 दिनों तक वैध होगा.

(2) उक्त उप-विनियम (i) में उल्लिखित चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) के होते हुए भी और उनका पूर्णतया प्रतिस्थापन करते हुए, नियत तारीख को जो चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) बैंक में उपलब्ध थे, निदेशक-मण्डल उनमें कोई परिवर्तन किए बिना, उन्हें बनाए रखने का विनिश्चय कर सकता है और यदि निदेशक-मण्डल ऐसा तय करता है तो सभी अधिकारी चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) के लिए नियत तारीख को बैंक में लागू निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार ही चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे.

(3) चिकित्सा सहायता और अस्पताल में भर्ती की सुविधाएं निलंबित अधिकारियों को भी दी जाएंगी.

विनियम क्र. 25

आवासीय व्यवस्था

अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराये जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा. किन्तु, यदि बैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 1.11.1994 को और उसके बाद से अपने वेतनमान के प्रथम चरण के 4% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराये का, जो भी कम हो, भुगतान करेगा.

परंतु यदि ऐसे आवास पर फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो अधिकारी से उसके वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी.

यदि बैंक द्वारा ऐसी आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है तो बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे.

विनियम क्र. 32

आकस्मिक अवकाश

(2) किसी वर्ष में उपयोग न किए गए आकस्मिक अवकाश को आगामी वर्ष में बीमारी के पहले या बाद में जोड़ा जा सकता है.

बशर्ते कि वर्ष 1997 में या उसके उत्तरवर्ती वर्ष में उपयोग न किये गये आकस्मिक अवकाश को अगले तीन वर्षों में रुग्ण अवकाश के साथ अनुलग्न या संलग्न किया जा सकता है.

विनियम क्र. 41

(4) 1.6.1995 को और उसके बाद से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में वर्णित श्रेणी/वेतनमान का अधिकारी स्तंभ 2 में वर्णित तदनुरूपी दरों से विराम भत्ता पाने का हकदार होगा :

दैनिक भत्ता (रुपये)

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	प्रमुख "ए" वर्ग के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	250.00	200.00	175.00
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	200.00	175.00	150.00

परंतु

(क) यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम किंतु 4 घंटे से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा.

विभिन्न श्रेणियों/वेतनमानों के अधिकारियों को होटल के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जो नीचे बताई गई सीमा तक भारतीय पर्यटन विकास निगम (आइ टी डी सी) के होटलों में एकल आवास कमरे के प्रभारों तक सीमित होगी :

खान-पान खर्च (रुपये)

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	ठहरने की पात्रता	प्रमुख "ए" वर्ग के नगर	शेष I	अन्य स्थान
1	2	3	4	5
वेतनमान VI और VII	4* होटल	250.00	200.00	175.00
वेतनमान IV और V	3* होटल	250.00	200.00	175.00
वेतनमान II और III	2* होटल (गैरवातानुकूलित)	200.00	175.00	150.00
वेतनमान I	1* होटल (गैरवातानुकूलित)	200.00	175.00	150.00

(ग) सरकार/भारतीय स्टेट बैंक के विशानिर्देशों के अनुसार ऊपर परंतुक (ख) में निर्धारित सीमाओं से अधिक अतिरिक्त सीमा की प्रतिपूर्ति बोर्ड निर्धारित कर सकता है.

(घ) यदि आवासीय व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा की गयी है तो तीन चौथाई विराम भत्ता दिया जाएगा.

(ङ) यदि भोजन की व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा निःशुल्क की गई है तो आधा विराम भत्ता दिया जाएगा.

(च) यदि आवास और भोजन की व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा की गई है तो एक चौथाई विराम भत्ता दिया जाएगा. लेकिन, यदि कोई अधिकारी वास्तविक रूप में हुए खर्च के संबंध में बिल प्रस्तुत किए बिना, घोषणा के आधार पर आवास खर्च का दावा करता है तो उसे एक चौथाई विराम भत्ता नहीं दिया जाएगा.

(छ) सभी निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर निरीक्षण ड्यूटी पर विराम के प्रतिदिन के लिए रु. 10/- का अनुपूरक दैनिक भत्ता दिया जा सकता है.

स्पष्टीकरण :

विराम भत्ते की संगणना के लिए "प्रतिदिन" का अभिप्राय है 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी. यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो "प्रतिदिन" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घंटे से कम न हो.

विनियम क्र. 45(2)(i)

दिनांक 1.7.1993 को और से परंतु 1.4.1997 से पहले किसी अधिकारी का स्थानांतरण होने पर उसे मालगाड़ी द्वारा अपना सामान ले जाने के लिए निम्नलिखित सीमाओं तक खर्चे की प्रतिपूर्ति की जाएगी :-

वेतनमान श्रेणी	यदि वह अपना परिवार साथ में रखता हो	यदि वह अपना परिवार साथ में नहीं रखता हो
रु. 4250/- प्रति माह से रु.6210/- प्रति माह	3000 किलो	1000 किलो
रु. 6211/- प्रति माह और उससे अधिक	पूरा वैगन	2000 किलो

विनियम क्र. 45(2)(i)(क)

अप्रैल 1997 के प्रथम दिवस को और इस दिन से किसी अधिकारी का स्थानांतरण होने पर उसे माल गाड़ी द्वारा अपना सामान ले जाने के लिए निम्नलिखित सीमाओं तक खर्चे की प्रतिपूर्ति की जाएगी :-

वेतनमान श्रेणी	यदि वह अपना परिवार साथ में रखता हो	यदि वह अपना परिवार साथ में नहीं रखता हो
रु. 4250/- प्रति माह से रु.6210/- प्रति माह	3000 किलो	1500 किलो
रु. 6211/- प्रति माह और उससे अधिक	पूरा वैगन	2500 किलो

विनियम क्र. 45(3)

दिनांक 1 जनवरी 1987 को और से परंतु 1.4.97 से पहले, किसी अधिकारी का स्थानांतरण होने पर वह पैकिंग, स्थानीय माल ढुलाई, सामान का बीमा करवाने आदि से संबंधित खर्चों के लिए नीचे उल्लेख की गई राशि के अनुसार एकमुश्त राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा :-

वेतनमान श्रेणी	एकमुश्त राशि
शीर्ष प्रबंधन एवं वरिष्ठ प्रबंधन	रु. 1500/-
मध्यक्रम प्रबंधन एवं कनिष्ठ प्रबंधन	रु. 1,000/-

विनियम क्र. 45(3)(क)

अप्रैल 1997 के प्रथम दिवस को और इस दिन से, किसी अधिकारी का स्थानांतरण होने पर वह पैकिंग, स्थानीय माल ढुलाई, सामान का बीमा करवाने आदि से संबंधित खर्चों के लिए नीचे उल्लेख की गई राशि के अनुसार एकमुश्त राशि आहरित करने के लिए पात्र होगा :-

वेतनमान श्रेणी	एकमुश्त राशि
शीर्ष प्रबंधन एवं वरिष्ठ प्रबंधन	रु. 5,000/-
मध्यक्रम प्रबंधन एवं कनिष्ठ प्रबंधन	रु. 4,000/-

विनियम क्र. 48
भविष्य निधि और पेंशन :

1) प्रत्येक अधिकारी, यदि वह पहले ही भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो बैंक द्वारा गठित भविष्य निधि का सदस्य बनेगा तथा वह ऐसी निधि को शासित करने वाले नियमों द्वारा आबद्ध होने के लिए सहमत होगा.

2) भविष्य निधि नियमों में यह व्यवस्था है कि 1.11.1993 को और उससे बाद से-

क) पेंशन योजना द्वारा शासित अधिकारी के मामले में केवल अधिकारी द्वारा वेतन के 10% की दर से भविष्य निधि में अंशदान, बैंक की ओर से किसी समतुल्य अंशदान के बिना, किया जाएगा.

परंतु 1.7.1993 से 31.10.1993 के लिए भविष्य निधि में पहले ही किए गए अंशदानों के कारण कोई समायोजन नहीं किया जाएगा.

ख) पेंशन योजना द्वारा शासित अधिकारी के मामले में, अधिकारी द्वारा भविष्य निधि में अंशदान और बैंक द्वारा समतुल्य अंशदान वेतन के 10% की दर से किया जाएगा.

परंतु 1.7.1993 से 31.10.1993 के लिए भविष्य निधि में पहले ही किए गए अंशदानों के कारण कोई समायोजन नहीं किया जाएगा.

3) 29.9.1995 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले अधिकारी पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे.

तथापि, निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारी पेंशन योजना द्वारा शासित नहीं होंगे :

क) जो अधिकारी 29.9.1995 के पूर्व बैंक की सेवा में था, बशर्ते कि उसने पेंशन योजना के संबंध में बैंक की नोटिस के जवाब में पेंशन योजना का सदस्य होने का विकल्प विशेष रूप से चुन लिया हो.

ख) जो अधिकारी 29.9.1995 को या उसके बाद 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु में भरती हुआ है, और जिसने पेंशन योजना के अनुसार पेंशन का अपना अधिकार छोड़ देना चुना है.

<u>टिप्पणी :</u>

भविष्य निधि के प्रयोजन हेतु "वेतन" का अर्थ है मूल वेतन, जिसमें अवरुद्धता वेतनवृद्धियां, स्थानापन्न भत्ता, व्यावसायिक अर्हता भत्ता और नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतनवृद्धि घटक शामिल है.

<u>विनियम क्र. 49</u>

<u>उपदान :</u>

(1) प्रत्येक अधिकारी, निम्नलिखित स्थितियों में उपदान के लिए पात्र होगा :

(क) सेवा-निवृत्ति की स्थिति में;

(ख) मृत्यु की स्थिति में;

(ग) ऐसी निःशक्तता पर जिसके कारण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के अनुसार वह आगे सेवा के लिए अक्षम है;

(घ) दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद त्याग-पत्र देने पर; या

(ङ) दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद दण्डस्वरूप सेवा-समाप्ति को छोड़कर अन्य किसी कारण से सेवा समाप्ति-पर.

(2) अधिकारी को देय उपदान की राशि प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक माह का वेतन होगा, जो अधिक से अधिक 15 माह का वेतन हो सकता है.

परंतु यदि किसी अधिकारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी की है तो वह उपदान के रूप में 30 वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह के वेतन की दर से अतिरिक्त राशि का पात्र होगा.

परंतु यह कि जिस अधिकारी की सेवाएं 1.7.1993 से 31.10.1994 के दौरान समाप्त हो गयी हैं उसके उपदान के प्रयोजन हेतु वेतन से तात्पर्य, विनियम 4 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित किए गए वेतनमान से है.

टिप्पणी :

यदि सेवाकाल के पूर्ण वर्षों के अतिरिक्त छह महीने या उससे अधिक की कोई अवधि बचती है तो उस अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर उपदान दिया जाएगा.

केन्द्रीय बोर्ड के आदेशानुसार

डी पी रॉय

(डी.पी. रॉय)
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(सहयोगी एवं अनुषंगी समूह)

सेंट्रल बैंक
ऑफ इंडिया

दिनांक : 28.02.01

सं. केबका/का/विधि/वि-3580/एसएके/2000-01/ बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मण्डल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः

1. (i) इन विनियमों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम,2001 कहा जा सकेगा.

(ii) ये विनियम राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे.

2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 में :

(i) विनियम 3 के उप नियम (1) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः

"प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी बैंक के हितों को सुनिश्चित करने एवं उनकी रक्षा करने के लिए सदैव सभी संभव उपाय करेगा तथा अपना कार्य पूरी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्ठा एवं तत्परता से करेगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो एक अधिकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो."

(ii) विनियम 3 के उप नियम (3) के बाद निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, नामतः :

"बशर्ते कि, जहाँ ऐसे निदेश मौखिक रुप से दिए जाएं, इन निदेशों की पुष्टि उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखित रुप में की जाएगी."

(iii) विनियम 6 के उप-विनियम (i) में विद्यमान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :

"किन्तु ऐसी मंजूरी के बिना कोई अधिकारी कर्मचारी, सामाजिक या धर्मार्थ, अवैतनिक कार्य या साहित्य, कला, वैज्ञानिक कार्य या साहित्य, कला, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक प्रकार के प्रासंगिक कार्य कर सकता है, बशर्ते कि उससे उसकी कार्यालय ड्यूटियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. लेकिन यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके लिए कारण बताते हुए ऐसा न किए जाने का अनुदेश दिया जाता है तो वह ऐसा कार्य नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा."

(iv) विनियम 6 के उप नियम (4) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :

"(4) सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना कोई अधिकारी कर्मचारी किसी सार्वजनिक निकाय या किसी प्राइवेट व्यक्ति के लिए अपने द्वारा किए किए किसी कार्य के लिए शुल्क, पारिश्रमिक, मानदेय एवं ऐसे किसी रूप में नकद अथवा इस प्रकार का कोई भुगतान स्वीकार नहीं करेगा."

श्री एस.के.गुप्ता
महाप्रबंधक - कार्मिक
केन्द्रीय कार्यालय

<u>पाद कथन (फुट नोट)</u>

उपरोक्त विनियम में पहले किए गए संशोधन नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार राजपत्रित किए गए हैं :

<u>अधिसूचना संख्या :</u>

1. जीएसआर संख्या 46, दिनांक 11 नवम्बर, 2000
2. जीएसआर संख्या 51, दिनांक 16 नवम्बर, 2000

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

दिनांक - 24 मार्च 2001

क्र॰पपक्स1/कार्मिक/डीएम/2001/ बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 12 के उप-विनियम 2 के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 में पुनः संशोधन हेतु, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :

01॰ संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

1॰ ये विनियम बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम 2001 कहलाएंगे ।

2॰ ये सरकारी राजपत्रमें इनके प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे ।

02॰ बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 के विनियम 6 के अंतर्गत उप-विनियम (2) के जगह निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाए।

जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ दुराचरण या कदाचार के किसी अभ्यारोपण की सत्यता की जाँच करने के लिए आधार है, तो वह स्वयं उसकी सत्यता की जांच कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति, जो लोक सेवक है, या रहा हो (जिसे इसमें इसके पश्चात जांच प्राधिकारी कहा गया है) को उसकी सत्यता की जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

नोट - बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 के पूर्व संशोधन भारत के राजपत्र की धारा 4, भाग ।।। में प्रकाशित हुए थे, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है -

क्र॰सं॰	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक

उपमहाप्रबंधक
कार्मिक

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ ।

ज्ञापन सं0 ई 3/एन॰ एफ/2001/पी॰ जी॰ आई॰/4990 दिनांक 30.3.2001

सा॰ का॰ नि॰ –. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ केन्द्र सरकार के पिछले अनुमोदन के साथ, एतद्द्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ विनियम 1967 में संशोधन कर पुनः निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :–

1. (1) इन विनियमों का नाम स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ (संशोधित) विनियम 2001 है ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ विनियम 1967 के विनियम 11 में मद संख्या (8) के बाद निम्नअनुसार प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः :–

"(8*) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार"

संस्थान के प्राधिकार द्वारा
एस॰ के॰ शर्मा।
(एस॰ के॰ शर्मा)
निदेशक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
मुंबई

यूटी/डीबीडीएम/आर- 65 /एसपीडी - 53/20002001 19 मार्च, 2001

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत निर्मित धर्मार्थ एवं धर्मादा न्यास और पंजीकृत समितियों के लिए यूनिट योजना (सीआरटीएस), 1981 का पेशकश दस्तावेज, जिसमें 15 दिसंबर, 1999 को संपन्न कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदित सेबी विनियमावली के अनुसार संशोधन का समावेश किया गया और 21 नवंबर, 2000 को संपन्न कार्यकारी समिति की बैठक में रिपोर्ट किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

एस डी कोल्हापूरे
उप महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

धर्मार्थ एवं धर्मादा न्यास और पंजीकृत समितियों के लिए यूनिट योजना(सीआरटीएस), 1981

पेशकश (ऑफर) दस्तावेज

धर्मार्थ एवं धर्मादा न्यास एवं पंजीकृत समितियों के लिए यूनिट योजना(सीआरटीएस), 1981 भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई है। यह पेशकश दस्तावेज योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है जो भावी निवेशक निवेश करने से पहले जानना चाहेंगे। पेशकश दस्तावेज भविष्य के संदर्भ हेतु रख लिया जाना चाहिए।

पेशकश दस्तावेज में दिए गए सांविधिक प्रावधानों और लाभ के विवरण सर्वांगपूर्ण और किसी विशिष्ट निवेशक विनिर्दिष्ट न होते हुए सामान्य तथा सांकेतिक हैं ।

योजना के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 यथा संशोधित, के अनुसार तैयार किए गए हैं एवं सेबी में जमा कराए गए हैं। जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की शुद्धता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।

योजना का उद्देश्य

यह एक सतत खुली आय उन्मुख योजना है। योजना का उद्देश्य धर्मार्थ, धर्मादा, शैक्षणिक न्यासों और ऐसे संस्थानों की निवेश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है ताकि उन्हें कर छूट मिलने तथा नियमित आय प्रदान करने हेतु निवेश माध्यम उपलब्ध हो सके ।

विशिष्टताएं

1. यह एक सतत खुली आय उन्मुख योजना है ।
2. धर्मादा प्रयोजनों के लिए राज्य या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा नियंत्रित या उनके अंतर्गत स्थापित धर्मार्थ न्यास/धार्मिक न्यास/शैक्षणिक न्यास/विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/गैर लाभकारी कंपनियाँ /पंजीकृत समितियाँ/अन्य किसी भी निकाय के लिए खुली है ।
3. एक यूनिट का अंकित मूल्य रु.100/-है ।
4. न्यूनतम निवेश रु. 10,000/- है । उसके बाद प्रत्येक फोलियो के अंतर्गत न्यूनतम निवेश राशि रु. 1,000/- होगी या ऐसी राशि होगी जो समय समय पर यूटीआई द्वारा निर्धारित की जाए।
5. वर्तमान में यूनिटों की बिक्री साप्ताहिक आधार पर घोषित एनएवी पर की जाएगी ।
6. निवेश की स्वीकृति तिथि से पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष के भीतर की जाने वाली पुनर्खरीद क्रमशः एनएवी के 97%,98% तथा 99% से कम मूल्य पर नहीं होगी । वर्तमान में, तीसरे वर्ष के बाद की जाने वाली पुनर्खरीद एनएवी पर होगी। सदस्यों को आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी बशर्ते फोलियो में रु. 10,000/- का न्यूनतम शेष रखा गया हो ।
7. आय वितरण का एनएवी/एनएवी आधारित मूल्य पर पुनर्निवेश करने का विकल्प।
8. यूनिटें, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2)(ख) के अंतर्गत स्वीकृत प्रतिभूतियाँ हैं । अतः यूनिटों में निवेश करने वाले पात्र न्यास आयकर अधिनियम,1961 की धारा 11 एवं 13 के अंतर्गत आय तथा पूंजी के मामले में कर छूट के लिए पात्र हैं ।
9. यूनिटें, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत न्यासी प्रतिभूतियों में से एक हैं तथा कथित अधिनियम की धारा 2(ईई) के अंतर्गत आती हैं।
10. वर्तमान में सभी वर्गों के निवेशकों को प्राप्त होने वाला आय वितरण, यदि कोई हो, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(33) के अंतर्गत पूरी तरह कर मुक्त है।
11. वर्तमान कर कानूनों के अंतर्गत योजना में किए गए निवेश के संबंध में ट्रस्ट द्वारा वितरित आय पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी चाहे निवेशक को प्राप्त होने वाली आय कितनी भी क्यों न हो।
12. वित्त अधिनियम 2000 के अनुसार, दिनांक 01/06/2000 के बाद आय वितरण की राशि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115आर के अंतर्गत योजना के लिए, 20% की दर से आय वितरण कर और उस पर 10% अधिभार का भुगतान करना आवश्यक है।

II. नियत तत्परता प्रमाणपत्र

धर्मार्थ एवं धर्मादा न्यास एवं पंजीकृत समितियों के लिए यूनिट योजना(सीआरटीएस), 1981 हेतु सेबी को प्रस्तुत किया गया नियत तत्परता प्रमाणपत्र

इस बात की पुष्टि की जाती है कि :

I. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को भेजा गया पेशकश दस्तावेज का मसौदा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) अधिनियम, 1996 एवं समय-समय पर सेबी द्वारा जारी विशामिर्देशों एवं निर्देशों के अनुसार है ;

II. इस योजना के प्रारंभ किए जाने से संबंधित सभी विधिक आवश्यकताएं एवं साथ ही इस संबंध में सरकार या अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विशानिर्देश, अनुदेश आदि का विधिवत् अनुपालन किया गया है ;

III. पेशकश दस्तावेज में किए गए प्रकटीकरण सत्य, उचित एवं प्रस्तावित योजना में निवेश के लिए निवेशकों को सोच समझकर निर्णय लेने में सहायता देने के लिए पर्याप्त हैं ;

IV. पेशकश दस्तावेज में उल्लिखित सभी बिचौलिए सेबी के साथ पंजीकृत हैं और आज की तिथि के अनुसार ऐसा पंजीकरण वैध है।

दिनांक : 17.01.2000
स्थान : मुंबई

हस्ताक्षर

ह/-
अजीत प्रसाद
अनुपालन अधिकारी

मुहर के साथ

III. परिभाषाएं

इस योजना व इसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

1) आवेदक द्वारा ट्रस्ट को बिक्री या पुनर्खरीद हेतु जमा कराए गए आवेदन पत्रों के संदर्भ में "स्वीकृति तिथि" अथवा "स्वीकृति की तिथि" का तात्पर्य उस दिन से है जिस दिन ट्रस्ट यह संतुष्टि कर ले कि उक्त आवेदन पत्र हर दृष्टि से पूर्ण है व उसे स्वीकार ले। योजना का एनएवी साप्ताहिक आधार पर होने पर , फ्रेंचाइज कार्यालय/मुख्य प्रतिनिधि संग्रहण केन्द्र या ट्रस्ट द्वारा समय समय पर तय किए गए अन्य किसी प्राधिकृत केन्द्र द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के संदर्भ में स्वीकृति तिथि, ट्रस्ट द्वारा समय समय पर निर्धारित तिथि होगी परंतु यह फ्रेंचाइज कार्यालय/मुख्य प्रतिनिधि कलेक्शन केन्द्र या किसी अन्य प्राधिकृत केन्द्र मे प्राप्त आवेदन पत्र की प्राप्ति (टी) से 5 कार्यदिवसो (टी+5)से अधिक नहीं होगी ।

2) "अधिनियम" से तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम,1963(1963 का 52) से है ।

3) "आवेदक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है ।

4) "धर्मादा उद्देश्य" का तात्पर्य गरीबों की मदद, शिक्षा, चिकित्सा सहायता और सार्वजनिक उपयोग हेतु किसी अन्य प्रगति से है, जिसमें लाभ हेतु कोई गतिविधि शामिल नहीं है ।

5) "शैक्षणिक न्यास" अर्थात् कोई भी ट्रस्ट (प्राईवेट ट्रस्ट नहीं) जो मानसिक और भौतिक शिक्षा में योगदान के उद्देश्य के लिए वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत स्थापित है ।

6) योजना के तहत प्रयुक्त "सदस्य" पद का अर्थ उस आवेदक से है जिसे योजना के तहत यूनिट आबंटित किए गए हैं । "सदस्य" का अर्थ "यूनिटधारक" भी है जिसमें निक्षेपागार प्रकार से यूनिट धारण करने वाले व्यक्ति शामिल हैं और दोनों अभिव्यक्तियों को पर्याय के रूप में पढ़ा जा सकता है ।

7) "शुद्ध वितरण योग्य आय" से तात्पर्य सभी व्ययों, योगदानों, पूर्व वर्ष के समायोजनों और सभी प्रावधानों के प्रभार के बाद होने वाली आय से है, चाहे वह राजस्व लेखा मे प्रभारित हों या न हों ।

8) "जारी किए गए यूनिटों की संख्या" से तात्पर्य उन यूनिटो की कुल संख्या से है जो बेचे गए हैं और बकाया है।

9) "गैर लाभकारी कंपनियों" का तात्पर्य कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 25 के अंतर्गत स्थापित कंपनियों से होगा ।

10) "पंजीकृत समिति" का तात्पर्य समिति पंजीकरण अधिनियम,1860 के तहत पंजीकृत समिति से होगा ।

11) "रजिस्ट्रार" से तात्पर्य योजना के तहत समय समय पर.रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट के रूप में उनकी सेवाओं हेतु नियुक्त किए गए व्यक्ति से है ।

12) "विनियम" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 43 (1) के अंतर्गत बनाए गए भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियम, 1964 से है।

13) "सेबी" से तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम,1992 (1992 का 15) के तहत गठित भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड से है ।

14) "सेबी(एमएफ) विनियम" से तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम,1992, समय समय पर यथासंशोधित, के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए सेबी द्वारा बनाई गई भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड(म्यूचुअल फण्ड) अधिनियम, 1996 से है ।

15) "यूनिट" से तात्पर्य योजना की यूनिट पूंजी में रुपये एक सौ के अंकित मूल्य के एक अविभाजित शेयर से है ।

16) "यूनिट पूंजी" से तात्पर्य योजना के तहत बिक्री किए गए यूनिटों व फिलहाल बकाया यूनिटों के अंकित मूल्य की कुल राशि से है।

17) "यूटीआई " या "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है ।

18) अन्य सभी पद जो यहां परिभाषित नहीं हैं परंतु इस अधिनियम/विनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम/विनियम में दिए गए हैं ।

19) शब्द जिनका भावार्थ एकवचन में है उनमें बहुवचन अर्थ भी सम्मिलित हैं ।

IV. जोखिम घटक

1. म्यूचअल फंड योजनाओं व प्रतिभूतियो में किए निवेश पर बाजार का जोखिम होता है व योजना के तहत जारी यूनिटों के एनएवी का ऊपर या नीचे जाना वित्तीय बाजार को प्रभावित करने वाले तत्वों और घटकों पर निर्भर करता है ।

2. पूर्व योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है । इस बात का कोई आश्वासन या गारंटी नहीं है कि योजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर ही लिया जाएगा ।

3. सभी आश्वासनों और वचनो, यदि कोई हों, की पूर्ति विशिष्ट समय पर और वर्तमान भूमि कानूनों के अधीन है ।

4. धर्मार्थ एवं धर्मादा न्यास एवं पंजीकृत समितियों के लिए यूनिट योजना(सीआरटीएस), 1981 केवल योजना का नाम है और यह किसी भी तरह योजना की गुणवत्ता, उसकी भावी संभावनाओं अथवा लाभ का द्योतक नहीं है ।

5. **विदेश स्थित बाजारों में निवेश :** विदेश स्थित बाजारों में निवेश की सफलता निधि प्रबंधकों द्वारा उन बाजारों की स्थिति व सूचनाओं के विश्लेषण के ज्ञान पर निर्भर करता है जो कि भारतीय बाजारों से भिन्न हो सकते हैं । चूंकि इसमें परिचालन विदेशी बाजारों में होना है अत: बाजार जोखिमो के अलावा विनिमय दर में भी उतार-चढ़ाव का जोखिम भी हो सकता है ।

6. **स्टॉक उधार देना :** यह फड मे न्यूनतम जोखिम के साथ अतिरिक्त आय का एक ज़रिया है । इसमें जोखिम स्टॉक के उधार की अवधि के दौरान बिक्री के लिए तैयार स्टॉक की अनुपलब्धता के रूप में हो सकता है। योजना में उधारकर्ता / बिचौलिए द्वारा उधार प्रतिभूतियों के पुनर्भुगतान मे चूक की संभावना से भी जोखिम हो सकता है। हालांकि इस जोखिम को इस प्रक्रिया में सम्मिलित बिचौलिए द्वारा उधारकर्त्ता से समुचित जमानत लेकर उचित रूप से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यूटीआई का इस जमानत पर ग्रहणाधिकार रहेगा । यूटीआई प्रतिभूति उधार प्रक्रिया के जोखिम को न्यून करने हेतु अन्य उचित जांच एवं नियंत्रण भी रखेगा।

V. यूनिट व पेशकश

1. इस योजना को धर्मार्थ एवं धर्मादा न्यास और पंजीकृत समितियों के लिए यूनिट योजना (सीआरटीएस), 1981 कहा जाएगा ।
2. यह योजना सतत खुली योजना होगी ।
3. योजना के तहत जारी प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य सौ रुपये होगा।
4. यूनिटों की बिक्री बही बंदी की अवधि (वर्ष में 15 दिन से अधिक नहीं) को छोड़कर पूरे वर्ष भर खुली रहेगी । परन्तु यह कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति / अध्यक्ष युद्ध की स्थिति में,स्टॉक एक्सचेंजो में व्यवसाय में व्यवधान व अन्य सामाजिक-आर्थिक कारकों की वजह से 7 दिन की पूर्व सूचना अखबारों मे या अन्य किसी रीति से देकर जो कि ट्रस्ट द्वारा निर्धारित की जाए, यूनिटो की बिक्री स्थगित कर सकता है।

5. यूनिटों के लिए आवेदन :

(क) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किये जा सकते हैं :

(i) धर्मार्थ या धर्मादा न्यास या धर्मदाय जो वर्तमान में लागू किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियमन के प्रावधानों के द्वारा या अंतर्गत शासित या नियंत्रित या निरीक्षित किया जाता हो ।

(ii) पजीकृत समिति।

(iii) राज्य या केन्द्र के किसी अधिनियम द्वारा नियंत्रित या इसके अंतर्गत स्थापित कोई अन्य निकाय जो कोई धर्मार्थ उद्देश्य (यहां इसके बाद निर्दिष्ट निवेशकों के रूप में संदर्भित) हेतु कार्य कर रहा है ।

(iv) शैक्षणिक न्यास।

(v) स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ।

(vi) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित गैर लाभकारी कंपनी।

(ख) वही व्यक्ति यूनिट खरीदने हेतु आवेदन कर सकता है जो विनिर्दिष्ट निवेशकों को शासित करने वाले प्रतिष्ठान के चार्टर, नियमों और विनियमों इत्यादि द्वारा इस सबंध में प्राधिकृत किया गया हो।

(ग) यूनिट हेतु आवेदन, इस संबंध में समय समय पर ट्रस्ट द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ किया जाना चाहिए ।

6. **न्यूनतम निवेश राशि**

i. आवेदन हेतु न्यूनतम निवेश राशि रू. 10,000/- होनी चाहिए। इसके बाद का निवेश प्रत्येक फोलियो के अंतर्गत न्यूनतम रू. 1,000/- या ट्रस्ट द्वारा समय समय पर निर्धारित कोई अन्य राशि होनी चाहिए। यूनिटें दशमलव के बाद तीन अंकों तक आबंटित की जाएंगी।

ii. यदि निवेश राशि रू. 50,000 और उससे अधिक है तो निवेशक को सलाह दी जाती है कि वह अपना आयकर पीएएन/जीआईआर संख्या तथा आईटी सर्कल कार्यालय का पता , यदि हो तो, उसे प्रस्तुत करे या भविष्य में संख्या आबंटित होने पर यूटीआई को सूचित करे ।

7. **लेखा-विवरणी**

(क) ट्रस्ट योजना के सदस्यों को लेखा-विवरणी जारी करेगा । लेखा विवरणी निवेशक के योजना में प्रवेश का वैध सबूत होगा ।

(ख) ट्रस्ट आवेदन की स्वीकृति तिथि से 15 कार्यदिवसों के भीतर परंतु किसी भी स्थिति में 6 सप्ताह के भीतर लेखा विवरणी जारी करने का प्रयास करेगा ।

(ग) प्रत्येक सदस्य को यूनिटों की कोई भी अतिरिक्त खरीद अथवा आंशिक पुनर्खरीद पर हर बार अद्यतन लेखा-विवरणी मिलेगी। यूनिट ट्रस्ट, सदस्य द्वारा दिए गए पते पर डाक द्वारा लेखा-विवरणी भेजेगा और इस प्रकार भेजी गई लेखा-विवरणी के गुम होने, क्षतिग्रस्त होने, गलत सुपुर्दगी होने या सुपुर्दगी न होने पर वह उत्तरदायी नहीं होगा ।

(घ) लेखा-विवरणी के बदले यूनिट प्रमाणपत्र (यूसी)लेने के लिए इच्छुक सदस्य, योजना के रजिस्ट्रार को इस संबंध में लिख सकता है । ऐसे मामलों मे, रजिस्ट्रार को किए गए निवेदन की प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाएंगे।

(ड) लेखा-विवरणी गुम हो जाने , कट-फट जाने, खराब हो जाने पर यूटीआई इस संबंध में निवेदन प्राप्त होने पर या समय समय पर लिए गए निर्णयानुसार डुप्लिकेट विवरणी जारी करने के लिए तैयार रहेगा । डुप्लिकेट यूनिट प्रमाणपत्र के लिए निवेशक को यूटीआई द्वारा समय समय पर निर्धारित आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होगा ।

8. **यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखा जाना/समनुदेशन**

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटें अंतरणीय/गिरवी रखने योग्य या समनुदेशनीय नहीं हैं।

9. **योजना की समाप्ति**

(i) यह एक सतत खुली योजना है। तथापि, ट्रस्ट योजना को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है तथा योजना के समापन के लिए पहल कर सकता है :

(क) यदि बकाया यूनिटधारिता एक करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) से कम हो जाए अथवा

(ख) कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना की समाप्ति आवश्यक हो, या

(ग) योजना के 75% सदस्यों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर ; या

(घ) योजना के सदस्यों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दे।

(ii) जहां उपर्युक्त उप खण्ड (i) के अनुसरण में योजना परिसमाप्त की जाती है, तो ट्रस्ट योजना को समाप्त करने वाले कारणों की सूचना, समापन के कम से कम एक सप्ताह पहले सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुंबई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देगा।

(iii) समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से यूटीआई इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को जारी करना, उनका प्रतिदान करना और रद्द करना बंद करेगा और इससे संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा।

(iv) न्यासी मंडल सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और बैठक में मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

(v) न्यासी मंडल या उप खंड (iv) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के सदस्यों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा।

(vi) ऊपर दिए गए उप खण्ड (v)के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद और योजना के अंतर्गत उचित रूप से देय हों ।

(vii) समाप्ति का निर्णय लेने वाली तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के अनुपात में निवेशकों को शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

(viii) ट्रस्ट, विधिवत् उन्मोचित व्यापक सेवा फार्म (सीएसएफ) में पुनर्खरीद अनुरोध पर्ची अथवा समय समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य कोई प्राधिकृत दस्तावेज प्राप्त होने के बाद परंतु 10 कार्य दिवसों के भीतर अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान करेगा। ट्रस्ट, व्यापक सेवा फार्म या अन्य फार्म में पुनर्खरीद अनुरोध पर्ची, यदि कोई हो, को निरस्तीकरण के लिए अपने पास रखेगा ।

(ix) परिसमापन पूरा होने पर, ट्रस्ट सेबी और सदस्यों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा , जिसमें ऐसी परिस्थितियां, जिनके कारण योजना समाप्त हुई, परिसमापन से पूर्व योजना की आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, परिसमापन के लिए किया गया योजना का व्यय, सदस्यों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियां और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाणपत्र भेजेगा।

(x) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, जब तक योजना समाप्त न हो जाए या समापन की कार्यवाही पूरी न हो जाए, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे।

(xi) उपरोक्त मद (ix) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाता है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है, तो योजना समाप्त हो जाएगी।

VI. व्यय

1) **प्रारंभिक निर्गम व्यय :**

(क) वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रारंभ की गई योजनाओं के लिए प्रारंभिक निर्गम व्यय इस प्रकार है :

योजना	व्यय (एकत्रित निधि का %)
यूटीआई-जीसेक	0.32%
एमआईपी-99 II	2.53%
एमआईपी 2000	2.57%
ईटीएसपी	4.32%

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान आरंभ किए गए निफ्टी इंडेक्स फंड (एनआईएफ), जो एक भार रहित योजना थी, के संबंध में निर्गम व्यय (डीआरएफ द्वारा प्रभारित) ट्रस्ट द्वारा वहन किए गए थे।

2. **आवर्ती व्यय :**

(क) योजना पर आवर्ती आधार पर निम्नलिखित अनुमानित आवर्ती व्यय प्रभारित किया जाएगा । अनुमानित आवर्ती व्यय में परिवर्तन वास्तविक व्यय के अधीन है ।

मद	औसत साप्ताहिक एनएवी का %
प्रशासनिक व्यय	0.75
प्रचार, विपणन एवं विक्रय उन्नयन	0.50
अभिरक्षण शुल्क	0.15
डीआरएफ में अंशदान	0.25
कर्मचारी कल्याण निधि	0.10
रजिस्ट्रार का शुल्क	0.50
कुल	**2.25**

(ख) योजना का कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, पुनर्खरीद व्ययो को छोड़कर परंतु प्रशासनिक व्ययों, विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) व कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान सहित निम्नलिखित सीमाओं के मध्य रखे जाएंगे :

(i)	योजना के औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों के प्रथम 100 करोड़ पर	-2.25%
(ii)	योजना के औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों के अगले 300 करोड़ पर	-2.00%
(iii)	योजना के औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों के अगले 300 करोड़ पर	-1.75%
(iv)	योजना की शेष आस्तियों पर	-1.50%

(ग) प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि व कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 52 के खंड 2 के तहत वर्णित सीमाओं से अधिक नही होंगे, नामत:

(i) योजना हेतु प्रत्येक लेखा वर्ष में बकाया साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्तियों का 1.25%, जब तक कि कुल आस्तियां 100 करोड़ से अधिक नहीं हों जातीं, तथा

(ii) 100 करोड़ से ऊपर की अतिरिक्त राशि का एक प्रतिशत ,जहाँ पर इस प्रकार परिगणित शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ से अधिक हो ।

3. सेबी (म्यूचुअल फंड) अधिनियम, 1996 के अनुसार यूटीआई निवेश प्रबंधन व परामर्श शुल्क पर कोई प्रभार नहीं लेता है परंतु वह यह सुनिश्चित करेगा कि वार्षिक आवर्ती व्यय सेबी (म्यूचुअल फड) विनियमावली के विनियम 52 के तहत उल्लिखित सीमा के भीतर ही होंगे ।

4. **विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान**

(क) योजना के साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 0.25% प्रति वर्ष की राशि ट्रस्ट के विकास प्रारक्षित निधि के रूप में रखी जाएगी । डी आर एफ में अशदान योजना के आवर्ती व्यय का ही एक भाग होगा ।

(ख) ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना 1983-84 में एक साझा निधि के रूप में की थी जो नई योजनाओं के संदर्भ में विकास व अनुसंधान कार्यों, संकल्पना स्तर पर नवीन तरीकों व प्रक्रियाओं व अन्य विभिन्न प्रकार के उत्पादन व विकास कार्यों हेतु, जो कि किसी विशेष योजना से जुड़े या संबद्ध नहीं हो, जैसे व्ययों की पूर्ति करने हेतु कर सके। इस निधि का उपयोग आर्थिक व पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन व व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट हेतु सर्वेक्षण व बाजार अनुसंधान, विपणन व निगम की छवि बेहतर बनाने हेतु प्रयासों के लिए जो कि किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास हेतु प्रयास जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भावी कार्यकलापों से जुड़े हों तथा ट्रस्ट की किसी योजनाओं में दिए गए आश्वासित प्रतिफल की दर मे कोई कमी होने पर तथा भार रहित योजनाओं के निर्गम व्ययों को पूरा करने हेतु भी किया जाता है ।

5. कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान

योजना के साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 0.10% वार्षिक के बराबर की राशि ट्रस्ट के कर्मचारी कल्याण निधि मे अंशदान के रूप में रखी जाएगी । ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण हेतु की है, जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता व इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं ।

VII. यूनिटों की बिक्री

1.बिक्री संविदा

(क) यूटीआई द्वारा यहाँ आगे वर्णित खंड VII (3) के तहत अस्वीकृत आवेदनों को छोड़कर यूनिटों की बिक्री संविदा स्वीकृत तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी ।

(ख) ट्रस्ट द्वारा बेचे जाने वाले यूनिटों के मूल्य को "बिक्री मूल्य " कहा जाएगा । यूनिटों की बिक्री यूटीआई द्वारा निर्धारित एनएवी / एनएवी आधारित मूल्यों पर की जाएगी ।

(ग) वर्तमान में बिक्री साप्ताहिक आधार पर घोषित एनएवी पर की जाती है। एक सप्ताह (सोमवार से रविवार) हेतु लागू बिक्री मूल्य पिछले सप्ताह के बुधवार की एनएवी मूल्य पर आधारित होगा । ट्रस्ट एनएवी गणना की आवधिकता मे बदलाव एवं बिक्री व पुनर्खरीद मूल्यों का निर्धारण दैनिक या समय समय पर यथानिर्धारित अन्य किसी अंतराल में कर सकता है, जिसकी सूचना दे दी जाएगी।

(घ) बिक्री -संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र आवेदक को योजना में उसकी सदस्यता के प्रमाण के रूप में एक लेखा विवरणी जारी कर देगा।

(ङ) आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित यूटीआई के कार्यालयों / यूटीआई बैंक की शाखाओं / फ्रेंचाइज कार्यालयों व मुख्य प्रतिनिधि संग्रहण केन्द्रों में जमा कराए जा सकते हैं । यूनिटों की खरीद हेतु आवेदन पत्रों के साथ संस्था के उप-नियमों / विधानों / संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों, जो भी लागू हो, की एक सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए। यदि यह दस्तावेज पहले ही से यूटीआई के पास पंजीकृत हो तो उस स्थिति में केवल दस्तावेज पंजीकरण संख्या उद्धृत करना पर्याप्त होगा।

2. भुगतान विधि :

(क) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवेदित यूनिटों हेतु भुगतान, चेक अथवा ड्राफ्ट अथवा नकद रूप में किया जा सकता है । चेक व ड्राफ्ट केवल उस शहर में स्थित बैंकों की शाखाओं में देय होना चाहिए जिस शहर में स्थित यूटीआई के कार्यालयों / यूटीआई बैंक की शाखाओं / फ्रेंचाइज कार्यालयों व मुख्य प्रतिनिधि कलेक्शन केंद्रों में आवेदन पत्र जमा कराया गया है।

(ख) यदि भुगतान, चेक / माँग पत्र द्वारा किया जा रहा है तो उस आवेदन पत्र की स्वीकृति तिथि यूटीआई के कार्यालयों / यूटीआई बैंक की शाखाओं / विशेष बिक्री कार्यालयो व मुख्य प्रतिनिधि कलेक्शन केंद्रों द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि को मानी जाएगी, जो कि चेक/ माँग पत्र की वसूली के अधीन होगी।

(ग) यदि आवेदन राशि योजना के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम निवेश से कम है, तो ऐसी राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से आवेदक को उसके खर्चे पर वापस लौटा दी जाएगी।

3. **आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार :**

(क) ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक के अनुसार योजना के तहत यूनिटे जारी करने हेतु आवेदन पत्र को स्वीकृत और / या अस्वीकृत कर सके । ट्रस्ट निम्न परिस्थितियों में यूनिट जारी करने हेतु आवेदन अस्वीकृत कर सकता है :

(i) यदि आवेदन इस संबंध मे निर्धारित न्यूनतम राशि से कम के लिए प्राप्त हुआ हो।

(ii) यदि आवेदन प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

(iii) यदि आवेदक, योजना में निवेश करने के लिए पात्र न हो । योजना के अंतर्गत आवेदन करने के संबंध में किसी संस्था की पात्रता या अन्यथा के बारे मे ट्रस्ट का निर्णय आवेदक के लिए अंतिम व बाध्य होगा।

(iv) यदि आवेदन अधूरा पाया गया व

(v) आवेदन में बैंक विवरण न दिया गया हो।

(ख) अस्वीकृत मामलों के सबंध मे यूटीआई द्वारा अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, किसी ब्याज या अन्य राशि के लिए किसी देयता की पूर्ति के बिना आवेदन राशि वापस की जाएगी।

4. गलत घोषणा के अंतर्गत यूनिटों का अधिग्रहण

(क) गलत घोषणा / प्रमाण पत्र के आधार पर यूनिट धारण करने वाले सदस्य के यूनिटों को निरस्त कर दिया जाएगा और सदस्यों की पंजी से उसका नाम हटा दिया जाएगा।

(ख) ऐसी स्थिति में ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह सममूल्य या एनएवी मूल्य, जो भी कम हो,पर यूनिटों की पुनर्खरीद कर दंडस्वरूप उसमे से 25% की कटौती कर ले।

(ग) ट्रस्ट यूनिटों की पुनर्खरीद उसके द्वारा सुनिश्चित किए गए मूल्य पर कर सकता है और पुनर्खरीद आय में से सदस्य को गलती से अदा किए गए आय वितरण की वसूली पश्चात बकाया रकम वापस कर सकता है। ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद को लागू करने में व पुनर्खरीद रकम सदस्य को प्रदान करने में चाहे जितना भी समय लगे, इस रकम पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

VIII. यूनिटों की पुनर्खरीद

1. (क) पुनर्खरीद, बही बंदी की अवधि को छोड़कर जो एक वर्ष में 15 दिन से अधिक नहीं होगी, पूरे वर्ष की जा सकती है ।

(ख) वर्तमान में, स्वीकृति तिथि से एक / दो वर्ष / तीन वर्ष के दौरान की गयी पुनर्खरीद, प्रति यूनिट एनएवी के क्रमश : 97%,98% व 99% से कम के मूल्य पर नहीं होगी । वर्तमान में, स्वीकृति तिथि से तीन वर्ष पश्चात की गयी पुनर्खरीद एनएवी पर होगी । इस प्रयोजन हेतु सदस्य के खाते में शेष यूनिटों को 'पहले प्राप्त यूनिटों की पहले पुनर्खरीद' के आधार पर पुनर्खरीदी किया गया माना जाएगा।

(ग) हालांकि यूटीआई ऐसे पुनर्खरीद मूल्य को घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो कि एनएवी के 93% से कम नहीं होगा और बिक्री मूल्य व पुनर्खरीद मूल्य का अंतर, बिक्री मूल्य के आधार पर गणना करने पर 7% से अधिक या सेबी द्वारा समय समय पर निर्धारित बिक्री मूल्य से अधिक नहीं होगा।

(घ) ट्रस्ट आवेदन पत्र के अन्यथा क्रम में होने पर यूनिटों की आंशिक अथवा पूर्ण रूप में पुनर्खरीद करने के लिए तैयार रहेगा, बशर्ते, यदि आंशिक पुनर्खरीद की जाती है तो सदस्य को, पुनर्खरीद आवेदन की स्वीकृत तिथि को लागू पुनर्खरीद मूल्य पर परिकलित की जाने वाली न्यूनतम निवेश राशि को बनाए रखना होगा। धारित यूनिटों के एक हिस्से की पुनर्खरीद के मामले में ट्रस्ट सदस्य द्वारा धारित शेष यूनिटों के लिए लेखा-विवरणी जारी करेगा।

(ङ) यूनिटों की पुनर्खरीद के समय, संबंधित शासी निकाय के संकल्प की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो कि संबंधित अधिकारी (यों) को पुनर्खरीद की औपचारिकताओ का अनुपालन करने व पुनर्खरीद चैक को एकत्र करने हेतु प्राधिकृत करता हो।

2. यहाँ वर्णित उप खड (1) में वर्णित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट पुनर्खरीद अनुरोध पर्ची या समय समय पर निर्धारित विधिवत भरे गए तथा हस्ताक्षरित ऐसे किसी लिखत के प्राप्त होने पर लेखा-विवरणी मे दर्शाये गए यूनिटों की पूर्णत: या अंशत: पुनर्खरीद करेगा।

3. पुनर्खरीद -संविदा स्वीकृति तिथि से पूर्ण हुई मानी जाएगी ।

4. ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद अनुरोध संसाधन केन्द्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत पूर्ण पुनर्खरीद अनुरोध की स्वीकृति तिथि से 10 कार्य-दिवसों के भीतर (बशर्ते कि आवेदन पत्र क्रम में हो) पुनर्खरीद प्राप्ति चेक प्रेषित कर दिए जाएँगे । पुनर्खरीद चैकों के प्रेषण में 10 कार्य दिवसों से अधिक की देरी होने की स्थिति में यूटीआई ।। वें कार्यदिवस से वास्तविक रूप से प्रेषित किए जाने की तारीख तक 15% प्रति वर्ष की दर से (या समय समय पर सेबी द्वारा निर्धारित दर पर) ब्याज अदा करेगा।

5. यूनिटों की बिक्री व पुनर्खरीद पर प्रतिबंध

योजना के अंतर्गत बन किसी भी उपबंध मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ट्रस्ट यूनिटों की बिक्री एवं पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा -

(क) ऐसे दिन, जो कार्य दिवस नही हों; और

(ख) ऐसी अवधि(वर्ष में 15 दिन से अधिक नही) के दौरान जब ट्रस्ट द्वारा यथाअधिसूचित किसी भी प्रयोजन के लिए सदस्यों की पंजी बंद हो।

व्याख्या : इस योजना के प्रयोजनार्थ 'कार्य दिवस' का अर्थ वह दिन है, जो न तो (क) महाराष्ट्र अथवा अन्य किसी राज्य में , जहाँ ट्रस्ट के कार्यालय हो, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो और न ही (ख) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित किया गया हो कि उस दिन ट्रस्ट का कार्यालय बंद रहेगा।

IX. आय वितरण

1. योजना के अंतर्गत यथानिर्धारित दरों पर योजना के शुद्ध वार्षिक वितरण-योग्य आय का कम से कम 75% अंश समय-समय पर वितरित कर दिया जाएगा ।
2. ट्रस्ट ऐसी तिथि या ऐसी अवधि को देय अंतरिम आय वितरण की घोषणा कर सकता है जिसे बोर्ड उचित समझकर तय करे ।
3. वे सदस्य ऐसी आय को पाने के पात्र होंगे जिनका नाम सदस्यता पंजी में पंजिका को बंद करते समय या अभिलेख तिथि को होगा ।
4. वितरित की गयी आय ईसीएस के माध्यम से, जहाँ यह सुविधा उपलब्ध हो, या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित बैंकों से आय वितरण वारंट (आईडीडब्ल्यू) द्वारा अदा की जाएगी ।
5. ईसीएस द्वारा आय वितरण की अदायगी अथवा आय वितरण वारंटों का प्रेषण आय वितरण / रिकार्ड तिथि या सेबी द्वारा निर्धारित किसी अवधि की घोषणा तिथि से 42 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा ।

6. वितरित आय का पुनर्निवेश

सदस्य ऊपर दिए खंड IX (4) में दिए अनुसार योजना के तहत वितरित आय,यदि कोई हो, का योजना के आगामी यूनिटों में पुनर्निवेश कर सकता है। ऐसी स्थिति में, यूनिट धारिता पर पूर्ण आय ,कर की कटौती के पश्चात,यदि कोई हो, ऐसे पुनर्निवेश की तिथि को लागू एनएवी / एनएवी आधारित मूल्य पर, सदस्य को देने की बजाय पुनर्निवेशित कर दी जाएगी ।

7. निवेशकों के बैंक विवरण व इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा

(क) सेबी द्वारा निवेशक को आवेदन पत्र मे निर्धारित स्थान पर अपने बैंक खाते का विवरण जैसे कि बैंक खाता,खाते का प्रकार,खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम व पता पिन कोड सहित व एमआईसीआर संख्या (यदि कोई हो) देना आवश्यक कर दिया गया है ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा के तहत निवेशकों को विभिन्न स्थानों पर डाक में देरी, धोखाधड़ी से बचने व भौतिक रूप मे लिखत के निपटान की दिक्कत से बचने के लिए संबंधित केंद्रों पर उनके बैंक खाते में सीधे ही जमा करने की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है, जहाँ पर अभी वर्तमान में एक लिखत में अधिकतम सीमा रु.5,00,000/- है। यदि किन्हीं कारणों से ईसीएस के माध्यम से भुगतान नहीं किया जा सकता तो यूटीआई इसके बजाए आय वितरण वारंट भी जारी कर सकता है ।

(ग) इस तरह के मामलो में सदस्य के बैंक की शाखा, सदस्य के खाते में रकम को जमा कर देगी व पासबुक/ बैंक लेखा विवरणी में इस जमा प्रविष्टि को "ईसीएस " के रूप में दर्ज कर देगी । सदस्य को ईसीएस के तहत हुए भुगतान का ब्यौरा देते हुए आय वितरण की एक विवरणी भेजी जाएगी ।

(घ) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन पत्र में बैंक शाखा का नाम व पता ,खाता का प्रकार व संख्या, 9 अंकों की बैंक व शाखा एमआईसीआर कूट संख्या अवश्य दें ।

X. निवेश का उद्देश्य, नीतियाँ व स्टॉक उधार

1. **निवेश का उद्देश्य :**

(क) योजना का निवेश उद्देश्य योजना के सदस्यों को मुख्यत: नियमित आय प्रदान करना है । योजना के तहत एकत्र निधि का निम्नानुसार निवेश किया जाएगा :

(i) निम्न से मध्यम जोखिम श्रेणी के मुद्रा बाजार लिखतों सहित ऋण लिखतों में निधि का कम से कम 70% निवेश किया जाएगा।

(ii) इक्विटी और इक्विटी संबंधित लिखतों में निधि का अधिक से अधिक 30% निवेश किया जाएगा। इक्विटी लिखतों की जोखिम श्रेणी उच्च हो सकती है ।

(ख) न्यूनतम व अधिकतम आस्ति विनियोजन :

ऋण लिखत - न्यूनतम 70% अधिकतम 100%
इक्विटी लिखत - न्यूनतम शून्य अधिकतम 30%

(ग) हालांकि बाजार की परिस्थितियों के आधार पर निधि प्रबंधक इक्विटी में निवेश को छह माह हेतु कुल आस्तियों के 40% तक बढा सकते हैं । 30 सितंबर 2000 को योजना की निवेश सूची में इक्विटी का हिस्सा 38.44% था । एक निश्चित अवधि में इसे कम किए जाने का प्रस्ताव है ।

(घ) सामान्यत: मुद्रा बाजार लिखतो के लिए कोई निश्चित आबंटन निर्धारित नहीं है ।

मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश को न्यूनतम रखे जाने का प्रयास किया जाएगा ताकि योजना की नकदी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके । हालांकि जब तक ऊपर वर्णित निवेश उद्देश्य के अनुसार यूटीआई प्रतिभूतियों में योजना निधि का विनियोजन न हो जाए, यूटीआई मुद्रा बाज़ार लिखतों में निवेश कर सकता है ।

(ड) ट्रस्ट रक्षात्मक महत्व के मद्देनजर अल्प समय हेतु आस्ति निवेश के निर्धारण में बदलाव करने का विकल्प सुरक्षित रखता है ।

2. **मूलभूत विशेषताएँ :**

(क) मूलभूत विशेषताओं का तात्पर्य निम्नलिखित से है -

(i) **योजना का प्रकार :** धर्मार्थ एवं धर्मादा न्यास और पंजीकृत समितियों के लिए यूनिट योजना (सीआरटीएस),1981 एक सतत खुली योजना है ।

(ii) **निवेश उद्देश्य :** इस पेशकश दस्तावेज के खंड X में दिए अनुसार ।

(iii) **जारी करने की शर्तें :** यूनिटों की पुनर्खरीद व व्ययों के संबंध में इस पेशकश दस्तावेज के प्रावधान।

(ख) योजना की मूलभूत विशेषताओ में किसी भी प्रकार का बदलाव निम्नलिखित के अधीन होगा -

(i) वर्तमान सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सूचना देकर

(ii) पूरे भारत वर्ष में परिचालित होने वाले अंग्रेजी भाषा के एक दैनिक समाचार पत्र में व मुंबई मे एक मराठी समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करके ।

(iii) सदस्यों को बिना किसी निकासी प्रभार के प्रचलित एनएवी पर योजना से बाहर हो जाने का विकल्प दे कर ।

(ग) बोर्ड समय समय पर इस योजना में जुड़ाव या बदलाव कर सकता है व किसी प्रकार का संशोधन / जुड़ाव अधिनियम के तहत अपेक्षित सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करके किया जाएगा ।

(घ) योजना की मूलभूत विशेषताओं में किसी भी प्रकार का बदलाव / संशोधन / आशोधन सेबी के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।अन्य बदलाव / संशोधन / आशोधन जो कि मूलभूत विशेषताओं की प्रकृति के नहीं है व निवेशक के हित को प्रभावित नहीं करते हैं तो उस स्थिति में उनकी सूचना सेबी को दी जाएगी।

3. **निवेश नीतियाँ**

(क) योजना एक जारीकर्ता द्वारा जारी व सेबी अधिनियम द्वारा प्राधिकृत ऐसी संस्था द्वारा प्रमाणित निवेश श्रेणी से निम्न श्रेणी के ऋण लिखतों में उसकी एनएवी के 15% से अधिक निवेश नहीं करेगी। ऐसे निवेश की सीमा बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से योजना की एनएवी के 20% तक बढ़ायी जा सकती है परंतु यह सीमा सरकारी प्रतिभूतियों व मुद्रा बाजार लिखतों मे निवेश के लिए लागू नहीं होगी।

(ख) योजना एक ही जारीकर्ता द्वारा जारी बिना रेटिंग के ऋण लिखतो में एनएवी के 10% से अधिक निवेश नहीं करेगी व इस प्रकार के लिखतों में कुल निवेश, योजना की एनएवी के 25% से अधिक नहीं होगा । इस प्रकार से सभी निवेश बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से होंगे।

बशर्ते यह भी कि उस सीमा तक बंधक आधारित प्रतिभूतिकृत ऋण में निवेश किया जा सकता है जिसे सेबी के साथ पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा कम से कम निवेश श्रेणी के अंतर्गत मूल्यांकित किया गया हो।

(ग) दिनांक 30 सितंबर 2000 को मीयादी ऋण व अन्य अहस्तांतरणीय लिखतो में रु. 76.53 करोड़ का निवेश, योजना की निवेश सूची में बना रहेगा जब तक कि इस प्रकार के निवेश का पूर्ण रूप से पुनर्भुगतान / बिक्री या विनिवेश नही कर लिया जाता। योजना द्वारा मीयादी ऋणों/अन्य अहस्तांतरणीय लिखतों में कोई भी नवीन निवेश नहीं किया जाएगा।

(घ) ट्रस्ट उसके द्वारा खरीदी गयी लिखतों को अपने नाम में हस्तांतरित करवा लेगा।

(ङ) ट्रस्ट प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री, सुपुर्दगी के आधार पर करेगा व खरीद के मामले म संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के मामले में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेगा व किसी भी स्थिति में वह थोड़े समय के लिए बिक्री या आगामी संचालन या बदला मामले में स्वयं को संलग्न नहीं करेगा ।

(च) (i) योजना सेबी द्वारा घोषित प्रतिभूति उधार योजना के अनुसार स्टॉक उधार कार्यक्रम मे हिस्सा लेगी। यह प्रक्रिया किसी अनुमोदित बिचौलिए के माध्यम से की जाएगी ।

(ii) योजना के अंतर्गत किसी समय किसी स्टॉक उधार देने संबंधी किसी एक बिचौलिए का अधिकतम प्रभावन उस योजना के इक्विटी पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य का 10 % होगा ।

(iii) यदि ट्रस्ट को स्टॉक उधार लेने की अनुमति दी जाती है तो योजना सेबी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उचित परिस्थितियों में स्टॉक उधार ले सकती है ।

(छ) योजना, समुद्रपारीय / विदेशी कंपनियों द्वारा जारी एवं विदेश में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या भारतीय निकायों द्वारा विदेशी / समुद्रपारीय निवेशकों को जारी एवं विदेशी स्टॉक एक्सचेंजो में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध मे समय-समय पर जारी सेबी / आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे निर्गमों में अभिदान करके या विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए क्रय करके सीधे निवेश कर सकती है।

(ज) योजना निम्नलिखित में कोई निवेश नहीं करेगी :

(i) ट्रस्ट की समूह या सहायक कंपनी की कोई असूचीबद्ध प्रतिभूति में ; या
(ii) ट्रस्ट की समूह या सहायक कंपनी द्वारा निजी नियोजन के माध्यम से जारी की गई किसी प्रतिभूति मे, या
(iii) ट्रस्ट की समूह कंपनी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ जो ट्रस्ट की सभी योजनाओं के शुद्ध आस्तियों के 25% का आधिक्य है ।

(झ) जनता को पेश न किए गए ऋण लिखतों में निवेश : योजना उपलब्ध आय पर निर्भर करते हुए जनता को पेश न किए गए ऋण प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती है ।

(ञ) योजना, चल नकदी की आवश्यकताओं के आधार पर, निवेश किये जाने की सीमा संबंधी प्रतिबंध के बिना, भारत सरकार / राज्य सरकार की प्रतिभूतियो मे निवेश कर सकती है ।

(ट) योजना किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर या इक्विटी संबंधित लिखतो में एनएवी के 10% से अधिक निवेश नही करेगी ।

(ठ) योजना असूचीबद्ध इक्विटी शेयरो व इक्विटी संबंधित लिखतो में एनएवी के 5% से अधिक का निवेश नहीं करेगी ।

4. ट्रस्ट की योजनाओं में कारपोरेट निवेश और इन कंपनियों में ट्रस्ट का निवेश

(i) दिनांक **30.06.2000** तक की उन योजनाओं की सूची जिनमें कंपनियों ने योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% से अधिक का निवेश किया।

क्र. सं.	योजना का नाम	कंपनी का नाम, जिसके पास योजना की 5% से अधिक आस्तियां हैं
1.	आईआईएमएफयूएस 97	एचडीएफसी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड
2.	आईआईएमएफयूएस 97 (II)	भारतीय स्टेट बैंक दी पियरलेस जनरल फाइनेंस व इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
3.	एमआईएफ	दी पियरलेस जनरल फाइनेंस व इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
4.	एमबीयूपी	एम बी आई आई डी बी आई
5.	ग्रोथ सैक्टर फंड (ब्राड वैल्यू)	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
6.	ग्रोथ सैक्टर फड (फार्मा)	दी पियरलेस जनरल फाइनेंस व इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
7.	ग्रोथ सेक्टर फड (साफ्टवेयर)	दी पियरलेस जनरल फाइनेंस व इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
8.	जी-सैक	भारतीय स्टेट बैंक भारत इलैक्ट्रॉनिक
9.	यूटीआई-एमएमएफ	बैनेट कोलमन एंड कंपनी लिमिटेड यूटीआई बैंक लिमिटेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
10.	आईईएफ 97	आई डी बी आई

(ii) दिनांक **30.06.2000** को सकल आधार पर उपरोक्त योजनाओ द्वारा या यूटीआई की अन्य योजनाओ द्वारा उपरोक्त कंपनियो अथवा अनुषंगी कंपनियों मे निवेश

(रु. करोड में)

कंपनी का नाम	इक्विटी (लागत)	ऋण (लागत)	जमा राशि / मियादी ऋण	कुल
भारत इलैक्ट्रॉनिक्स	43.10	0.00	0.00	43.10
एच डी एफ सी	269.00	94.16	0.00	363.16
हिन्द लीवर लिमिटेड	1862.35	0.00	0.00	1862.35
आईडीबीआई	346.59	2302.58	0.00	2649.17
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई की अनुषगी)	0.63	25.00	0.00	25.63
भारतीय स्टेट बैंक	587.26	257.27	0.00	844.53
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.00	0.76	0.00	0.76
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.00	50.06	0.00	50.06
यूटीआई बैंक लिमिटेड	89.12	25.00	0.00	114.12
कुल	**3198.05**	**2754.83**	**0.00**	**5952.88**

(III) दिनांक 30.06.1999 को सकल आधार पर उपरोक्त योजनाओं द्वारा या यूटीआई की अन्य योजनाओं द्वारा उपरोक्त कंपनियों अथवा अनुषंगी कंपनियों में निवेश

(रु. करोड़ में)

कंपनी का नाम	इक्विटी (लागत)	ऋण (लागत)	जमा राशि / मियादी ऋण	कुल
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स	57.90	0.00	0.00	57.90
एच डी एफ सी	296.00	58.13	0.00	269.00
हिन्द लीवर लिमिटेड	1534.65	0.00	0.4	1535.09
आईडीबीआई	355.71	1955.88	0.00	2311.59
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई की अनुषंगी)	1.66	0.00	0.00	1.66
भारतीय स्टेट बैंक	763.96	55.12	0.00	819.08
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.00	0.76	0.00	0.76
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.00	0.00	0.00	0.00
यूटीआई बैंक लिमिटेड	89.12	0.00	0.00	89.12
कुल	**3099.00**	**2069.89**	**0.44**	**5169.33**

यूटीआई द्वारा उपरोक्त निवेश **उसके सामान्य कारोबार के दौरान** किया गया।

XI अंतर - योजना अंतरण

इस योजना से/में ट्रस्ट की दूसरी योजना/प्लान से/में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब -

(क) ऐसे अंतरण स्पॉट आधार पर व उद्धृत लिखतों हेतु प्रचलित बाजार मूल्य पर होंगे।

व्याख्या : "स्पॉट आधार" से वही तात्पर्य होगा जो कि स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्दिष्ट स्पॉट सौदे से है।

(ख) इस प्रकार से अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना / प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप होंगी जिस हेतु यह अंतरण किए गए हैं।

(ग) असूचीबद्ध या अनोद्धृत निवेशों में / से यूटीआई की अन्य योजनाओं / प्लानों में / से अंतरण यूटीआई के बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार होगा।

XII संबद्ध सौदे एवं उधार

1 संबद्ध सौदे

सेबी के सुझावानुसार योजना के प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री यूटीआई सिक्युरिटीज एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से किन्हीं तीन महीनों के खंड में, प्रतिभूतियों की सकल खरीद व बिक्री के 5% से अधिक नहीं होगी।

2 उधार

(क) योजना, सदस्यों को यूनिटों की पुनर्खरीद, प्रतिदान अथवा ब्याज की अदायगी या आय वितरण जैसी अस्थायी नकदी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए उधार लेने के अलावा उधार नहीं लेगी, परंतु यह कि योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य के 20% से अधिक का उधार नहीं लिया जाएगा व इस प्रकार की उधारी की अवधि छह माह से अधिक नहीं होगी।

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 20 के अनुसार ट्रस्ट को उधार लेने के संदर्भ में निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं

(I) यूटीआई भारत या भारत के बाहर किसी व्यक्ति या प्राधिकरण से जो कि सरकार या रिजर्व बैंक न हो, से उपरोक्त प्रतिभूति के बदले स्वीकार्य नियम व शर्तों पर उधार ले सकता है।

(II) यूटीआई रिजर्व बैंक से उधार ले सकता है।

(क) जहाँ पर न्यासी उस समय लागू कानून द्वारा ट्रस्ट का धन भारत में निवेश करने हेतु प्राधिकृत है, वहाँ स्टॉक, निधि व प्रतिभूतियो (अचल सम्पत्ति के अलावा) के बदले उधार की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर या एक निश्चित अवधि हेतु या माग पर प्रतिदेय हो,

(ख) केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से उन बांडो की प्रतिभूति के बदले वह उधार ली गयी रकम जो कि मांग या उधार लिए गए दिनाक से अठारह महीनों के भीतर प्रतिदेय है ;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संदर्भ मे प्रथम यूनिट योजना को छोड़कर अन्य किसी योजना के प्रयोजनार्थ ऐसे किन्हीं निबधनो व शर्तों पर यूटीआई की किसी सम्पत्ति के बदले :

(iii) परतु यह कि इस खड के तहत उधार ली गयी राशि व किसी एक निश्चित समय पर बकाया राशि -

(क) ऐसी प्रत्येक योजना के सबध मे पाँच करोड़ रूपये से अधिक न हो ; एवं
(ख) इस प्रकार की सभी योजनाओं के सबंध मे कुल मिलाकर दस करोड़ रुपये से अधिक न हो।

(iv) यूटीआई द्वारा धारा 20 के उप खड (ii) के अंतर्गत जारी बांड के मूल राशि की अदायगी की गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाएगी एव ब्याज का भुगतान बाड जारी करते समय केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा ।

XIII. एनएवी निर्धारण व आस्तियों का मूल्यांकन

1. एनएवी का परिकलन और प्रकटीकरण

(क) योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन उपचयो और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर की जाएगी।

(ख) प्रति यूनिट एनएवी का परिकलन मूल्याकन की तारीख को बकाया और कुल जारी यूनिटों की संख्या से योजना की एनएवी को भाग दे कर किया जाएगा।

(ग) प्रेस को प्रकाशन हेतु एनएवी साप्ताहिक आधार पर (जो कि अगले सोमवार से रविवार तक लागू होगी व मूल्यांकन दिन पिछला बुधवार या समय समय पर निर्धारित दिवस होगा) जारी की जाएगी।

(घ) यदि मूल्याकन दिवस को सार्वजनिक अवकाश या महाराष्ट्र मे कार्य दिवस नहीं होने के कारण स्टॉक एक्सचेंज बंद होता है तो पिछले कार्य दिवस को मूल्यांकन दिवस के रूप मे माना जाएगा।

(ड) ट्रस्ट एनएवी का परिकलन दैनिक आधार पर या समय समय पर निर्धारित किसी अंतराल में कर सकता है । इस प्रकार के परिवर्तन की घोषणा कर दी जाएगी।

(च) एनएवी की सूचना फेक्स ऑन डिमांड व यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगी ।

2. इस योजना की आस्तियों का मूल्यांकन :

(क) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशो, यदि कोई हो, सहित उद्धृत निवेशों परंतु सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर, का मूल्याकन, मूल्याकन की तारीख को बाजार में बंद मूल्य पर किया जाता है तथा इसके उपलब्ध न होने पर मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि मे नवीनतम उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्याकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु, कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोद्धृत निवेश माना जाता है।

(ख) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतिया, मूल्यांकन तिथि को एनएसई/एसजीएल/बीएसई/ओटीसीईआई (जब भी वे सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार शुरु करे) की अंतिम बाजार दरों पर मूल्यांकित की जाती है और इसकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन तिथि से पहले 7 दिन की अवधि के अदर उपलब्ध नवीनतम भाव को मूल्यांकन के लिए लिया जाता है। यदि मूल्यांकन की तिथि से सात दिन पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं हो तो उसे अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां माना जाएगा।

(ग) उद्धृत डिबेंचरों और बॉण्डों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्व, यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है।

(घ) शेयरों की अधिकार पात्रता का मूल्यांकन,लाभांश तत्व हेतु बट्टा काटकर,जहां लागू हो, बाजार दर पर किया जाता है।

(ङ) अनोद्धृत अधिमान शेयर/संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर लागत पर लिए जाते हैं।

(च) अनोद्धृत इक्विटी शेयर न्यासी मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए उचित मूल्यांकन आधार पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

(छ) अनोद्धृत डिबेंचर, बॉण्ड, मीयादी ऋण एवं अंतरणीय नोट न्यासी मंडल के मूल्य संबंधी 'मार्कअप' अनुमोदन के साथ भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर आय से जुड़े (आय कर्व), परिपक्वता पर प्रतिफल पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

(ज) अनोद्धृत वारंट, अंतरनिहित इक्विटी शेयरों के बाजार दर पर, लाभांश तत्व के लिए बट्टा काटकर, यदि कोई हो, तथा देय प्रायोगिक मूल्य से कम करके मूल्यांकित किए जाते हैं। जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

(झ) अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन प्रचलित ब्याज दर पर परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर किया जाता है।

(ट) परिवर्तनीय डिबेचर एवं बॉण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन संबंधित इक्विटी शेयरों के बाज़ार दर पर, जिनमें लाभांश तत्व, यदि कोई हो, काट कर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों एवं बॉण्डो का अपरिवर्तनीय भाग, यदि कोई हो, का मूल्यांकन, उपरोक्त (छ) के अनुसार किया जाता है। जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है।

(ठ) पूंजी सूचकांकित बॉण्ड लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

(ड) **मुद्रा बाजार लिखतों के लिए मूल्यांकन नीति :-**

(i) मुद्रा बाज़ार लिखते एव अन्य निवेश बही मूल्य पर लिए जाते हैं।

(ii) अंतर बैंक कॉल बाज़ार में निवेश की गई राशि लागत पर ली जाती है।

(iii) बटटे /ब्याज उपार्जन लिखतो मे निवेश की गई राशि का मूल्यांकन,उस प्रतिफल पर किया जाता है जिसमे लिखत का सौदा पिछली बार किया गया था। इस उद्देश्य हेतु मूल्यांकन तिथि से पहले वो कार्य दिवसो की अवधि के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव को ध्यान मे लिया जाता है। जब पिछले दो कार्य दिवसों में कोई भाव उपलब्ध न हो, तो लिखत को लागत एवं अंकित मूल्य और लागत के बीच के अंतर को लिखत के परिपक्व होने के बाकी बच दिनो पर एकसमान रूप से लागू करके मूल्यांकित किया जाता है।

(iv) अनोद्धृत डिबेचरो सहित अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत एवं अंकित मूल्य और लागत के बीच के अंतर को लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों पर एकसमान रूप से लागू करके किया जाता है।

XIV. लेखा नीतियां

(1) **आय निर्धारण :**

(क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरो पर लाभाश आय लाभाश रहित तिथि पर प्रोद्भूत की जाती है। असूचीबद्ध इक्विटी शेयरो एव अधिमान शेयरो पर लाभाश आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

(ख) निवेशो पर ब्याज एव प्रतिबद्धता प्रभार का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

(ग) निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि का निर्धारण भारित औसत लागत के आधार पर कारोबार की तिथियों पर किया जाता है।

(घ) डिबेन्चर/बाण्डों के प्रतिदान पर लाभ या हानि एवं प्रीमियम का निर्धारण देय तिथि पर किया जाता है।

(ङ) जब कोई राशि जिम्मे नहीं आती है तो हामीदारी कमीशन को प्राप्ति आधार पर राजस्व माना जाता है। जिम्मे आई राशि के मामले में, पूर्ण हामीदारी कमीशन को ऐसे निवेशों की लागत में से कम किया जाता है।

(च) शेयरों एवं डिबेन्चरों के निवेश पर आरंभिक शुल्क को ऐसे निवेशों की लागत में से कम किया जाता है।

(छ) जीरो कूपन बॉण्डों, शून्य डिस्काऊंट बॉण्डों और अन्य दीर्घावधि बट्टाकृत लिखतों के संबंध में क्रय मूल्य एवं परिपक्वता मूल्य के मध्य अंतर को वाईल्डीएम आधार पर लिखत की शेष अवधि के दौरान आय समझा जाता है।

(ज) अन्य आय को प्राप्ति आधार पर लिया जाता है।

2. **व्यय :**

(क) व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

(ख) अधिनियम की धारा 28(1) के प्रावधानों के अनुसार यूनिट योजना 1964 के अंतर्गत किए गए कुछ सामान्य खर्चों का विनियोजन अन्य योजनाओं में किया जाता है।

(ग) नियत आस्तियों वाली यूनिट योजना 1964 कथित आस्तियों के उपयोग के लिए अन्य योजनाओं में अनुमोदित आधार पर पट्टा किराया वसूल करती है।

3. **निवेश :**

(क) निवेशों को लागत पर या अपलिखित लागत पर लिया जाता है।

(ख) द्वितीयक बाजार कारोबार के मामले में निवेश को व्यापार तिथियों पर किया गया माना जाता है।

(ग) आबंटन पर प्राथमिक बाजार निर्गमों में अभिदान को निवेश माना जाता है।

(घ) बोनस/अधिकार पात्रताओं को बोनस रहित/अधिकार रहित तिथियों पर माना जाता है।

(ङ) निवेश अर्थात् डिबेन्चर/बॉण्ड, ऋणों और जमाओं को प्रतिदान/देय तिथि को चालू आस्तियों में अंतरित किया जाता है।

(च) निवेश की लागत में दलाली एवं सेवा - कर शामिल है लेकिन स्टाम्प शुल्क शामिल नहीं है, जिसे राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

4. **प्रावधान एवं मूल्यह्रास :**

(क) संदिग्ध समझी गई आय के प्रति प्रावधान

पिछली दो तिमाहियों या उससे अधिक के लिए देय बाकी ब्याज आय के संबंध में प्रावधान किया जाता है। लाभांश के संबंध में वर्ष के अंत में प्रावधान किया जाता है, जहां यह लाभांश रहित तिथि से एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया रहता है।

(ख) निवेश के मूल्य में ह्रास

(1) उपरोक्त खंड VIII (2) के अनुसार गणना किए गए निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और पारिणामिक ह्रास, यदि हो, सामान्य प्रारक्षित निधि/यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में प्रभारित किए जाते हैं। यदि कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है तो मूल्य वृद्धि को, यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/सामान्य प्रारक्षित निधि में उस सीमा तक जोड़ा जाता है जहां तक ह्रास पिछली बार समायोजित किया गया था।

(ii) जहां अनोद्धृत इक्विटी या अधिमान शेयर पिछले वर्षों में अपलिखित किए गए हों, वहां ऐसे निवेशों की लागत को उद्धृत या उचित मूल्य उपलब्ध होते ही उसकी लागत पर पुनरांकित किया जाता है।

(iii) आस्तियां जिन पर ब्याज पिछली दो तिमाहियों या अधिक से बकाया है उन्हें अनुपयोज्य आस्तियो के रूप मे वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिए प्रावधान अलग-अलग बनाया जाता है (जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है)। ऐसा प्रावधान उसी कंपनी की अन्य उपयोगी आस्तियों के लिए नहीं किया जाता है।

आस्ति के अनुपयोज्य रहने की अवधि	प्रावधान का प्रतिशत	
	प्रतिभूत आस्ति	अप्रतिभूत आस्ति
दो वर्षों तक	10%	10%
दो वर्षों से अधिक परंतु तीन वर्षों तक	20%	100%
तीन वर्षों से अधिक परंतु पांच वर्षों तक	30%	100%
पांच वर्षों से अधिक	50%	100%

(iv) जहां मूल पुनर्भुगतान शेष हो

(क) 3 वर्षों तक की अवधि के संतुलित परिपक्वता वाले ऋण लिखतों के संबंध में पिछली देय अवधि की दो तिमाहियों हेतु और

(ख) 3 वर्षों से अधिक अवधि के संतुलित परिपक्वता वाले ऋण लिखतों के संबंध में पिछली देय अवधि के एक वर्ष हेतु बकाया रहता है, वहां ऐसी बकाया किस्तों हेतु प्रावधान किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिए समग्र प्रावधान, उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रतिशत (जमानती आस्तियों हेतु 50% तथा गैर जमानती आस्तियों हेतु 100%) या चूक वाली राशि, जो भी अधिक हो, तक सीमित है।

ऐसे मामले जिनमें मूल चूक जारी रहती है, कोई भी परवर्ती किस्त, संबंधित देय तिथि से 30 दिनों के बाद दी जाती है।

(v) देय बकाया ब्याज के पूंजीकरण के द्वारा, ब्याज के निधियन के मामले में, उसकी चूक की अवधि के बावजूद प्रावधान किया जाता है।

(vi) गैर निष्पादी आस्तियों के लिए प्रावधान, यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/सामान्य प्रारक्षित निधि/राजस्व लेखा, जैसा भी मामला हो, में प्रभारित किए जाते हैं।

(vii) अनुच्छेद 4(क)और 4(ख)(iv) के अंतर्गत बनाए गए प्रावधान प्राप्ति या आस्तियों के पुनर्संरचना आधार पर पुनरांकित किए जाते हैं। 4(ख)(v) के अंतर्गत प्रावधान प्राप्ति आधार पर पुनरांकित किए जाते हैं।

5. आय वितरण :

आय वितरण हेतु प्रावधान यूनिट पूंजी पर समय-समय पर न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दर पर किया जाता है।

6. वित्तीय परिणामों का प्रकाशन :

31 दिसंबर को अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम 2 माह के भीतर एवं 30 जून को लेखा-परीक्षित वार्षिक परिणाम लेखे को अंतिम रूप देने के चार माह के भीतर मुंबई के एक अंग्रेजी दैनिक एवं एक मराठी दैनिक में प्रकाशित किया जाएगा। योजना के पोर्टफोलिओ का प्रकटीकरण प्रत्येक कैलेंडर तिमाही मे, तिमाही समाप्त होने के 21 दिन के अंदर एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से किया जाएगा।

7. **समकरण :**

चूंकि यूनिटों की बिक्री/पुनर्खरीद एनएवी आधारित मूल्यो पर की जाती है, अंकित मूल्य पर प्रीमियम/बट्टे को निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है :

(क) वितरण योग्य आय/घाटे के बराबर राशि राजस्व में जमा या प्रभारित की जाती है ।

की पर व्यय वाला भाग कुल व्यय से घटा दिया जाता है ।

(ग) बकाया, यदि कोई हो, यूनिट प्रीमियम रिजर्व/ सामान्य रिजर्व/ राजस्व विनियोजन खाते में जमा/प्रभारित किया जाता है ।

8. नीति परिवर्तन

(क) तथापि खंड X (3) एवं खंड XIII में किसी बात के होते हुए, निवेश नीतियां, एनएवी का निर्धारण और आस्तियों का मूल्यांकन, पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण और एनएवी, पुनर्खरीद मूल्य, पोर्टफोलियो के खुलासे की आवृत्ति समय- समय पर सेबी द्वारा जारी किए गए सेबी (एमएफ) विनियमो/ दिशानिर्देशों/ निर्देशों के अनुसार होंगे ।

(ख) 1 जनवरी, 2001 से, उपरोक्त खंड XIII एवं XIV में निहित, आस्तियो का मूल्यांकन / एनपीए का निर्धारण एवं उनके लिए प्रावधान / लेखा नीतियां, सेबी द्वारा जारी दिनांक 18 सितंबर 2000 के परिपत्र सं. एमएफडी / सीआईआर/8/92/2000 मे दिए गए दिशा निर्देशो के अनुसार होंगी एवं सेबी द्वारा समय - समय पर निर्धारित ऐसे संशोधनो / विनियमो / दिशानिर्देशो, यदि कोई हों, के अधीन होंगी ।

XV. निवेशों का कर - निरूपण

पेशकश दस्तावेज की तिथि को लागू कराधान कानूनों के अनुसार, यूनिटों में निवेश करने वाले निवेशकर्ताओं को योजना के अंतर्गत उपलब्ध कर लाभ निम्नलिखित हैं:

1. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के अनुसार धर्मार्थ एवं धर्मादा न्यासों की आय पूर्णत: करमुक्त है बशर्ते उसी वर्ष में न्यास ने आय की न्यूनतम 75% राशि उक्त न्यास के उद्देश्यों के लिए खर्च की हो। दूसरे शब्दों में, बिना कर आकर्षित किए न्यास वर्ष की आय का 25% आगे के वर्षों में धर्मार्थ एवं धार्मिक उद्देश्यो के लिए रख सकते है। यदि वर्ष में इस प्रकार रखी गई राशि उस वर्ष की आय के 25% से अधिक होती है तो ऐसी 'अतिरिक्त' राशि पर आयकर लगेगा। तथापि इस तरह की 'अतिरिक्त' आय यदि आयकर अधिनियम की धारा 11(2) (ख) मे उल्लिखित 'अनुमोदित प्रतिभूतियों' में निवेश की जाती है तो वह कर मुक्त होगी । केंद्र सरकार ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों को अनुमोदित प्रतिभूति घोषित किया है । अत: यदि कोई धर्मार्थ या धर्मादा न्यास अपनी अतिरिक्त राशि का यूनिटों में निवेश करता है तो वह कर छूट के लिए पात्र होगा।

2. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 के अनुसार, धारा 11 के अंतर्गत कर छूट पाने के लिए पात्रता हेतु शर्तों में से एक शर्त है कि न्यास की निधिया इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट आस्तियों में निवेश की जाएं। अत: कोई भी धर्मार्थ या धर्मादा न्यास कर छूट पात्रता हेतु निधि एवं अतिरिक्त आय दोनों का सीआरटीएस 81 में निवेश कर सकते हैं।

3. भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत यूनिटें न्यासी प्रतिभूतियों में से एक हैं। ये कंपनि अधिनियम की धारा 20 (ईई) में शामिल हैं।

4. वर्तमान कर कानूनों के अंतर्गत सभी श्रेणी के सदस्यों को यूटीआई की योजनाओं/प्लानों से प्राप्त होने वाली राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(33) के अंतर्गत पूर्णत: करमुक्त है ।

5. वर्तमान कर कानूनो के अंतर्गत सभी श्रेणियों के सदस्यो को योजनाओं से प्राप्त होने वाली राशि/आय पर यूटीआई द्वारा स्रोत पर कर कटौती नही की जाती है ।

6. वित्त अधिनियम 2000 के अनुसार, योजना के लिए, उसके द्वारा किए गए आय वितरण पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 आर के अंतर्गत 20% की दर से आय वितरण कर और उस पर 10% अधिभार का भुगतान करना आवश्यक है।

उपरोक्त बताई गई स्थिति निवेशकों को सामान्य सूचना देने मात्र के लिए है। कर परिणामों का वैयक्तिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक निवेशक को सूचित किया जाता है कि वह योजना में उनकी भागीदारी से उत्पन्न विशिष्ट कर प्रभावों के लिए अपने कर संबंधी सलाहकार से संपर्क करे।

XVI. सदस्यों के अधिकार एवं सेवाएं

योजना के अधीन सदस्यों को योजना की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा योजना द्वारा घोषित आय, यदि कोई हो, में समानुपातिक अधिकार है।

2. सदस्यो को, बोर्ड से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा सदस्यो को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।

3. सदस्यो को, आवेदन की स्वीकृति के 6 सप्ताह के अदर ट्रस्ट द्वारा जारी लेखा विवरणी प्राप्त करने का अधिकार है।

4. सदस्यो को अधिकार है कि जिस कार्यालय मे पुनर्खरीद अनुरोध संसाधित किए जाते हैं वहां आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसो के भीतर (बशर्ते आवेदन सही हो) पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां उन्हे भेजी जाएं। यदि प्रतिदान राशि के प्रेषण में 10 कार्य दिवसो से अधिक विलब होता है, तो यूटीआई ग्यारहवे दिन से पुनर्खरीद का चेक/ईसीएस के माध्यम से क्रेडिट होने की तारीख तक 15% प्रति वर्ष की दर से (अथवा सेबी द्वारा निर्धारित दर से)ब्याज का भुगतान करेगा।

5. सदस्यो को यह अधिकार है कि आय वितरण की घोषणा / रिकार्ड की तिथि से 42 दिनो के भीतर उन्हे आय वितरण वारंट प्रेषित किए जाएं।

6. सभी सदस्यो को सीआरटीएस 81 के सदर्भ मे एक संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट सबद्ध लेखा वर्ष की समाप्ति की तिथि से छ: माह के भीतर भेजी जाएगी एव निरीक्षण के लिए केद्रीय निवेशक सपर्क कक्ष मे उपलब्ध कराई जाएगी एवं इसकी एक प्रति सदस्यो को उनके अनुरोध पर नाम मात्र शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

7. योजना की मूलभूत विशेषताओ मे किसी तरह का परिवर्तन तभी किया जाएगा जब सदस्यो को बिना किसी निकासी भार के प्रचलित एनएवी पर योजना से बाहर हो जाने की अनुमति दी जाती है और यह भी कि इसके बारे मे सीधे पत्र लिखकर सूचित किया जाता हो तथा उसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र मे और एक मराठी दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित किया जाता हो।

8. सदस्य को प्रत्येक छमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर योजना के पोर्टफोलियो का एक पूर्ण विवरण भेज दिया जाएगा। यदि प्लान के पोर्टफोलियो का विवरण सपूर्ण भारत मे एक अंग्रेजी दैनिक मे और एक मराठी समाचार पत्र मे प्रकाशित किया जाता है, तो इसे निवेशकर्ताओ को नहीं भी भेजा जा सकता है।

9. निर्दिष्ट परिस्थितियो के अतर्गत सदस्यों का अनुमोदन 'पोस्टल बैलट' के जरिए मागा जाएगा।

10. सदस्यो को केन्द्रीय निवेशक सपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वार न 1, सर विटठलदास ठाकरसी मार्ग, मुबई-400 020 मे रखे निम्नलिखित दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार है .

* अधिनियम
* विनियम
* अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और सग्रहणकर्ता बकों के साथ किए गए करार, यदि कोई हो
* सीआरटीएस 81 के पेशकश दस्तावेज की प्रति
* सेबी (म्यूचुअल फड) विनियम।

XVII. भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एवं प्रबंधन

यूटीआई की स्थापना

भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अतर्गत स्थापित साविधिक निगम है जिसका उद्देश्य बचत एव निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होनेवाली आय, लाभों और अभिलाभो मे सहभागिता थी। इसने 1 जुलाई, 1964 से कार्य करना आरभ किया।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्य एव व्यवसाय का प्रबधन न्यासी मडल मे निहित है [illegible] द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है।

मडल के अलावा, एक सावििधक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमे अध्यक्ष तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते है। यह समिति मडल की कार्यक्षमता के अतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मंडल *

1.	श्री पी एम सुब्रमन्यम	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2.	श्री जी पी मुनिअप्पन	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
3.	श्री जी पी गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
4.	श्री एन एस सेखसरिया	प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेन्ट्स लि.
5.	श्री राजेन्द्र पी चितले	सनंदी लेखाकार
6.	डॉ. विश्वनाथ वी देसाई	अर्थशास्त्री
7.	श्री जी.एन. बाजपई	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8.	श्री डी टी पई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिंडिकेट बैंक
9.	डॉ राकेश मोहन	महा निदेशक, नेशनल काउन्सिल ऑफ एप्लाइड इकॉनामिक रिसर्च

* **न्यासियों के पते और अन्य वर्तमान निदेशिकाएं इस प्रकार हैं :**

1. **श्री पी.एम. सुब्रमन्यम** -
भारतीय यूनिट ट्रस्ट, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई 400 020

i) अध्यक्ष एवं निदेशक-इंडिया फंड, (ii) अध्यक्ष एवं निदेशक - इंडिया ग्रोथ फंड, (iii) अध्यक्ष एवं निदेशक - इंडिया ऐक्सेस लि., (iv) अध्यक्ष एवं निदेशक - दि इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड लि., (v) शासी परिषद के अध्यक्ष - यूटीआई इंस्टिट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, (vi) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई निवेशक सलाहकार सेवा लि., (vii) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई निवेशक सेवा लि., (viii) अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई सिक्यूरिटीज़ एक्सचेंज लि., (ix) निदेशक - यूटीआई बैंक लि., (x) अध्यक्ष एवं निदेशक - ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, (xi) सदस्य -भारतीय जीवन बीमा निगम, (xii) निदेशक - नेशनल स्टॉक एक्स्चेज ऑफ इंडिया लि. (xiii) अध्यक्ष एवं निदेशक - इंडिया आईटी फंड लि. (xiv), अध्यक्ष एवं निदेशक - यूटीआई-आईएएस (मॉरिशस) लि., (xv) अध्यक्ष एवं निदेशक - इंडिया मीडिया, इंटरनेट एण्ड कम्युनिकेशन फंड लि.। (xvi) अध्यक्ष एवं निदेशक - इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड लि., (xvii)अध्यक्ष - स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

2. **श्री जी पी मुनिअप्पन -**
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई 400 023

3. **श्री जी.पी.गुप्ता -**
आईडीबीआई, आईडीबीआई टॉवर्स, कफ परेड, मुंबई - 400005

(i) निदेशक - दि इंडिया फंड, (ii) निदेशक - इंडिया ग्रोथ फंड, (iii) निदेशक-भारतीय मितिकाटा एवं वित्त गृह लि., (iv) निदेशक-भारतीय आयात-निर्यात बैंक, (v) निदेशक-भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि , (vi) निदेशक-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फायनेंस कं. ऑफ इंडिया लि., (vii) निदेशक - इंडियन एयरलाइन्स लि. (viii) निदेशक - आईडीबीआई बैंक लि. (ix) निदेशक - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., (x) सदस्य - भारतीय जीवन बीमा निगम, (xi) सदस्य - भारतीय साधारण बीमा निगम , (xii) निदेशक - दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निधि, (xiii) अध्यक्ष - दक्षिण एशिया विकास निधि, (xiv) समिति सदस्य-भारतीय बैंकर संस्थान, (xv) सदस्य-बैंकर प्रशिक्षण कॉलेज (आरबीआई), (xvi) सदस्य - एशिया एवं प्रशांत में विकासशील वित्तीय संस्थाओं का संघ (एडीएफआईएपी), (xvii) सदस्य-बैंकिंग कर्मचारी चयन , (xviii) सदस्य-भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, (xix) निदेशक - इरिडियम एलएलसी, यूएसए, (xx) सदस्य, दिल्ली विश्वविद्यालय (फैकल्टी ऑफ मेनेजमेंट स्टडीज), (xxi) प्रेसिडेंट - एंटरप्रेनियरशिप डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, अहमदाबाद ।

4. **श्री एन.एस. सेखसरिया -**
गुजरात अम्बुज़ा सीमेंट्स लि., मेकर चैम्बर्स III, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400005

(i) उपाध्यक्ष - दि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लि. (ii) निदेशक - राधा माधव इन्वेस्टमेंट लि. (iii) निदेशक - अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन (iv) निदेशक - अबुजा शैक्षणिक संस्थान।

5. **श्री राजेन्द्र पी. चितले -**
मे. एम पी चितले एण्ड कं., हमाम हाउस, 1ली मंजिल, अंबालाल दोशी मार्ग, फोर्ट, मुंबई ।

(i) निदेशक - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (ii) निदेशक - नेशनल सिक्यूरिटीज़ क्लीयरिंग कार्पोरेशन लि. (iii) निदेशक - एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. (iv) निदेशक - ज्यूरिच असेट मैनेजमेंट कंपनी (इंडिया) लि. (v) निदेशक - नट4नट्स लिमिटेड (vi) सदस्य - राष्ट्रीय शेयर बाजार की कार्यकारी समिति (शासी मंडल) (vii) सदस्य - इंडिया एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका एनटी एवं एसए (viii) सदस्य - निवेश समिति, भारतीय जीवन बीमा निगम।

6. **डॉ वी. वी. देसाई -**
नीट हाउस, कॉलेज लेन, दादर, मुंबई

(i)सलाहकार - आईसीआईसीआई लिमिटेड।

7. **श्री जी. एन. बाजपई**
भारतीय जीवन बीमा निगम, 'योगक्षेम', जीवन बीमा मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400021

8. **श्री डी टी पई**
सिंडिकेट बैंक, मणिपाल 576 119

9. **डॉ. राकेश मोहन -**
नेशनल काउन्सिल ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च, परिसिला भवन, 11 इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली 110 002

(i) अध्यक्ष- रेलवे विशेषज्ञ समूह, (ii) सदस्य - प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, (iii) सदस्य - राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मंडल, (iv) अंशकालिक सदस्य - टेलिकाम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, (v) सदस्य - राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, (vi) सदस्य - कमिटी ऑन कंपिटीशन लॉ एण्ड एमआरटीपी एक्ट, (vii) सदस्य - बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इंस्टिट्यूट ऑफ इकानॉमिक ग्रोथ, नई दिल्ली, (viii) सदस्य - लोकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रेसनर बैंक, (ix) मानद विजिटिंग प्रोफेसर - इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली (x) निदेशक - इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन, चेन्नई, (xi) सदस्य - न्यासी मंडल, आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान फाउंडेशन, तंजानिया, (xii) निदेशक - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक , लखनऊ, (xiii) सदस्य सचिव - लघु उद्योग पर विशेषज्ञ समिति, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, 1996, (xiv) सदस्य - टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, (xv) अध्यक्ष - राष्ट्रीय लेखा हेतु सलाहकार समिति, सांख्यिकीय विभाग, भारत सरकार, (xvi) सदस्य - सार्वजनिक उद्यम विभाग, राजस्थान सरकार।

निधि का प्रबंधन -
सुश्री स्वाति कुलकर्णी, प्रबंधक, योजना की निधि प्रबंधक होंगी।

शैक्षणिक योग्यता :
बी. कॉम. एम.एफ.एम.(नरसी मोनजी इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज), सीएआईआईबी ।

अनुभव :

वर्तमान में ट्रस्ट के निधि प्रबंधन विभाग में कार्यरत हैं जो कि घरेलू ऋण उन्मुख/संतुलित योजनाओं के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। यूटीआई में उनका कार्य अनुभव निम्नानुसार है :

पद	विभाग	अवधि	जिम्मेदारियां
प्रबंधक	निधि प्रबंधन विभाग	मई, 1998 से आज की तारीख तक	निधि प्रबंधन
प्रबंधक	अनुसंधान एवं आयोजना विभाग	सितंबर, 1997 से अप्रैल, 1998 तक	निधि निष्पादन विश्लेषण, म्यूचुअल फंड उद्योग विश्लेषण, बाजार अनुसंधान ।
सहायक प्रबंधक	अनुसंधान एवं आयोजना विभाग	मार्च, 1992 से अगस्त, 1997	निधि निष्पादन विश्लेषण, म्यूचुअल फंड उद्योग विश्लेषण, बाजार अनुसंधान ।

इसके अलावा जनवरी, 1991 से मार्च, 1992 तक एक विशाखीकृत कोंग्लोमेरेट कं. के वित्तीय नियोजन कक्ष में कार्य किया ।

XVIII. योजना के लिए अन्य सेवाएं देने वाले

1. अभिरक्षक

(क) भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021 में स्थित है।

(ख) अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/फ़ंडों/प्लानों की सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें। अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे। जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा।

(ग) अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोर्टें अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/फ़ंडों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे।

(घ) भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि. (एसएचसीआईएल) का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर आईएन/सीयूएस/011 है।

(ड.) एसएचसीआईएल शुल्क की दर इस प्रकार है :

	इलेक्ट्रॉनिक	कागज़ी
डीमैटिरियलाइजेशन	रु. 5 प्रति प्रमाणपत्र	-
खरीद	कारोबार मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु	प्रति डीआईपी रु. 100
बिक्री	कारोबार मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु	प्रति डीआईएस रु. 100
अभिरक्षा	अभिरक्षा में आस्ति मूल्य पर 1.5 आधार बिंदु	अभिरक्षा में आस्ति मूल्य पर 8 आधार बिंदु
गैर बाजार खरीद	कारोबार मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु	-
गैर बाजार बिक्री	कारोबार मूल्य पर 5.5 आधार बिंदु	-
रीमैटिरियलाइजेशन	प्रति प्रमाणपत्र 15 रुपए अथवा परिवर्तन मूल्य के 15 आधार बिंदु, जो भी अधिक हो।	-

2. लेखा परीक्षक

मेसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, 60 बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता 700 069 एवं मेसर्स बाटलीबॉय एण्ड पुरोहित, सनदी लेखाकार , नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग, 204, डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 । योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं।

3. रजिस्ट्रार

(क) यूटीआई आईएसएल लि. जिसका सेबी रजिस्ट्रेशन सं. आईएनआर 000000121 है, को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ख) यह सुनिश्चित किया गया है कि रजिस्ट्रारों के पास उपयुक्त क्षमता हो कि वे निर्धारित समय के अंदर आवेदनों एवं पुनर्खरीद निवेदनों की प्रोसेसिंग, लेखा विवरणी एवं आय वितरण वारंटों का प्रेषण कर सकें एवं साथ ही निवेशकों की शिकायतों का निपटान भी कर सकें ।

(ग) आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात सेवाएं रजिस्ट्रारों के निम्नलिखित पतों से प्रदान की जाएंगी :

पश्चिमी अंचल - प्लॉट सं. 369, मरोल मरोशी रोड, मरोल मरोशी बस डिपो के समीप, विजय नगर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059.

पूर्वी अंचल : बॉम्बे म्यूचुअल बिल्डिंग, 4 थी मंजिल, 9, बीटीएम सरणी, ब्रेबोर्न रोड, इंडिया टी बोर्ड के सामने, डलहौजी स्क्वेयर, कलकत्ता 700001.

दक्षिणी अंचल : 45, जस्टिस बशीर अहमद सैय्यद बिल्डिंग, दूसरी लाइन बीच, चेन्नई 600 001.

उत्तरी अंचल (उत्तर प्रदेश को छोड़कर): 174/175, 1 ली मंजिल, राजेंद्र भवन, (डीडीए भवन), राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008.

लखनऊ (केवल उत्तर प्रदेश राज्य के लिए) : शॉप नं. 8 एवं 9, 2 री मंजिल, सरन चैम्बर्स II, नं. 5, पार्क रोड, लखनऊ 226001.

4. संग्रहणकर्ता एवं भुगतानकर्ता बैंक:

(क) वर्तमान में यूटीआई बैंक लि. को संग्रहणकर्ता बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट भविष्य में ऐसे बैंकों (जो सेबी द्वारा पंजीकृत हो) को संग्रहणकर्ता बैंक के रूप में नियुक्त/निकाल सकता है।

(ख) वर्तमान में यूटीआई बैंक लि., स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाएं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक भुगतानकर्ता बैंक के रूप में कार्य करेंगे। ट्रस्ट भविष्य में इन्हीं बैंकों को अथवा/या अन्य कोई बैंकों को, जो सेबी के साथ पंजीकृत है, भुगतानकर्ता बैंक के रूप में नियुक्त करेगा।

बैंकों के मुख्य व्यापार के पते :

1. यूटीआई बैंक लि.
   (आईएनबी100000017)
   सेंट्रल ऑफिस, मेकर टॉवर्स "एफ", 13वीं मंजिल, कफ परेड, मुंबई- 400005

2. भारतीय स्टेट बैंक
   (आईएनबी100000038)
   सेंट्रल ऑफिस, मादाम कामा रोड, पो.बॉ. सं.10003, मुंबई 400 021

3. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
   (आईएनबी100000012)
   चंद्रमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400021

4. इलाहाबाद बैंक
   (आईएनबी10000067)
   2, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता - 700 001

XIX. निवेशकों की शिकायतों का निवारण

1. सभी निवेशक अपनी शिकायतें निवेश संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए संबंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते है:

पश्चिमी अंचल:
सुश्री तन्वी उपाध्ये/
श्री प्रकाश सहस्त्रबुद्धे
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष
'जीएन' ब्लाक, बान्दरा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बान्दरा (पूर्व), मुंबईए- 400 051
टेली : 652 0850

पूर्वी अंचल:
श्री आर के मंगला
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष
29, एन एस रोड
कलकत्ता - 700 001
टेली 2435947/210 7698

दक्षिणी अंचल :
सुश्री जयसुधा के
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष
यूटीआई हाउस,
29, राजाजी सालै,
चेन्नई - 600 001
टेली : 5269146

उत्तरी अंचल :
श्री डी के गांधी
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष
हेरॉल्ड हाउस, 2री मंजिल,
5ए, बहादूरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली 110 002.
टेली : 332 1801/3315574

2. निवेशकों की शिकायतों, जिनका निवारण किया गया, का रिकॉर्ड

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतें, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, इस प्रकार हैं :

अवधि	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
01-04-97 से 31-03-98	551929	53318	12611	2.28%
01-04-98 से 31-03-99	287260	274580	12680	4.41%
01-04-99 से 31-03-2000	265331	257702	7629	2.88%

(ख) 01.09.99 से 31.08.2000 तक की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, का योजनावार विवरण निम्नलिखित है :

योजना	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
सीसीपी	903	872	31	3.43%
सीजीजीएफ	8208	8049	159	1.94%
सीजीएस-83	15	15	0	0.00%
सीजीयूएस-91	17	15	2	11.76%
सीआरटीएस	239	225	14	5.86%
डीआईपी-91	577	575	2	0.35%
डीआईयूपी-93	1315	1305	10	0.76%
डीआईयूपी -95	199	194	5	2.51%
डीआईयूएस -90	21	21	0	0.00%
डीआईयूएस -91	16	15	1	6.25%
डीआईयूएस -92	42	41	1	2.38%
ई.ओ.एफ	75	66	9	12.00%
ईटीएसपी	359	347	12	3.34%
जीसीजीआई	2877	2825	52	1.81%
जीएमआईएस - 91	393	387	6	1.53%
जीएमआईएस -92(I)	91	88	3	3.30%
जीएमआईएस -92(II)	256	254	2	0.78%
जीएमआईएस -बी-92	522	517	5	0.96%
जीएमआईएस -बी -92 (II)	176	176	0	0.00%

ग्रैण्डमास्टर-93	770	767	3	0.39%
गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान	1382	1348	34	2.46%
आवास यूनिट योजना	30	30	0	0.00%
आईएसईएफ	19	19	0	0.00%
आईआईएसएफयूएस-95,96,97	5	5	0	0.00%
मास्टर इंडेक्स फंड	264	259	5	1.89%
मास्टर वैल्यू यूनिट प्लान	1	1	0	0.00%
मास्टरगेन - 92	46164	44089	2075	4.49%
मास्टरग्रोथ - 93	8978	8868	110	1.23%
मास्टर प्लस - 91	35217	34871	346	0.98%
मास्टर शेयर - 86	19950	19096	854	4.28%
एमईपी - 91	1429	1416	13	0.91%
एमईपी - 92	7033	6981	52	0.74%
एमईपी -93	5361	5302	59	1.10%
एमईपी -94	5083	5043	40	0.79%
एमईपी -95	4567	4514	53	1.16%
एमईपी -96	1511	1508	3	0.20%
एमईपी -97	234	222	12	5.13%
एमईपी -98	65	65	0	0.00%
एमईपी -99	61	59	2	3.28%
एमआईपी - 2000	651	639	12	1.84%
एमआईपी -2000(द्वितीय)	23	23	0	0.00%
एमआईपी -93	561	551	10	1.78%
एमआईपी -94(I)	241	240	1	0.41%
एमआईपी -94(II)	382	382	0	0.00%
एमआईपी -94(III)	1581	1569	12	0.76%
एमआईपी -95	634	623	11	1.74%
एमआईपी -95(II)	653	621	32	4.90%
एमआईपी -95(III)	507	495	12	2.37%
एमआईपी -96	305	301	4	1.31%
एमआईपी -96(II)	585	568	17	2.91%
एमआईपी -96(III)	539	526	13	2.41%
एमआईपी -96(IV)	6275	6222	53	0.84%
एमआईपी -97	949	911	38	4.00%
एमआईपी -97(II)	1202	1185	17	1.41%
एमआईपी -97(III)	1616	1586	30	1.86%
एमआईपी -97(IV)	976	975	1	0.10%
एमआईपी -97(V)	317	312	5	1.58%
एमआईपी -98	1652	1608	44	2.66%
एमआईपी -98(II)	710	696	14	1.97%
एमआईपी -98(III)	6237	6211	26	0.42%
एमआईपी -98(IV)	1010	987	23	2.28%
एमआईपी -98(V)	3988	3980	8	0.20%
एमआईपी -99 (I)	926	901	25	2.70%
एमआईपी -99 (II)	1244	1234	10	0.80%

एमआईपी -बी-93	212	206	6	2.83%
एमआईएसजी - 90(I)	482	465	17	3.53%
एमआईएसजी -90(II)	1337	1317	20	1.50%
एमआईएसजी -91	1382	1347	35	2.53%
एमएमएमएफ	6	4	2	33.33%
एन.आर.आई फंड	52	51	1	1.92%
निफ्टी इंडेक्स फंड	120	116	4	3.33%
ओम्नी - प्लान	8	8	0	0.00%
प्राइमरी इक्विटी फंड	1138	1122	16	1.41%
राजलक्ष्मी यू.पी.	3023	2946	77	2.55%
सवानिवृत्ति लाभ प्लान	1722	1662	60	3.48%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	384	355	29	7.55%
यूजीएस - 10000	539	530	9	1.67%
यूजीएस -2000	2352	2323	29	1.23%
यूजीएस -5000	2021	1988	33	1.63%
यूनिट	11446	11023	423	3.70%
यूएस - 64	31711	30187	1524	4.81%
यूएस -92	807	794	13	1.61%
यूएस -95	11	9	2	18.18%
यूटीआई बॉण्ड फंड	819	796	23	2.81%
यूटीआई - जी-सेक फंड	372	363	9	2.42%
यूटीआई - जीएसएफ	1548	1500	48	3.10%
कुल	249681	242908	6773	2.71%

3. **शिकायतें लंबित रहने के कारण :**

(क) संग्रहणकर्ता बैंकों से आवेदन /निधियों का प्राप्त न होना।

(ख) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण

(ग) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना।

(घ) मार्ग मे ही खो जाना।

(ङ) डाक सेवा में विलंब

(च) अंतरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(छ) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा

(ज) कमीशन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना

(झ) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना।

XX. जुर्माना, लंबित मुकदमे, निरीक्षणों/जांच-पड़तालों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

भारतीय यूनिट ट्रस्ट/न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी में से किसी (विशिष्टत: निधि प्रबंधक) के प्रति सेबी अधिनियम या उसकी कोई विनियमों के अंतर्गत सेबी द्वारा (जहां यूटीआई की योजना की यूनिटें सूचीबद्ध हैं) या किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जुर्माना लगाने का कोई मामला नहीं है।

न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुकदमे की कार्यवाही लंबित नहीं है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी के प्रति कोई अपराधिक मामला लंबित नहीं है।

3. न तो सेबी और न ही किसी अन्य नियामक एजेन्सी ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के परिचालनों या सिस्टम्स में किसी कमी को पेशकश दस्तावेज़ में दर्शाये जाने की विशेष रूप से सलाह दी है।

4. भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल/न्यासी या मुख्य कर्मी के प्रति सेबी अधिनियम और उसके अंतर्गत बने विनियमों के अधीन कोई पूछताछ/अधिनिर्णय की कार्यवाही नहीं है।

XXI. संक्षिप्त वित्तीय जानकारी

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रारंभ की गई सभी योजनाओं हेतु वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के लिए संक्षिप्त वित्तीय जानकारी संलग्न है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल
के लिए और की ओर से

ह/-
(बी.जी. डागा)
कार्यपालक निदेशक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28-01-2000

पूर्ववर्ती प्रति यूनिट आंकड़े	सीआरटीएस 1981		
	1997-1998	1998-1999	1999-2000
वर्ष के आरंभ में एनएवी रु.	106.54	102.68	103.08
शुद्ध आय प्रति यूनिट रु.	14.93	19.49	21.10
आय वितरण (%) प्र.व.	14.00	14.00	12.75
प्रारक्षितों में अंतरण रु.	2.76	4.02	7.55
वर्ष के अंत में एनएवी रु.	102.68	103.08	108.99
वार्षिकीकृत आय (%)	9.52	14.02	14.91
शुद्ध आस्तियां(रु. करोड़ में)	767.62	643.80	698.28
शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात (%)	0.18	0.24	0.00

*** 31.12.99 को 6.50% और 31.05.2000 को 6.25%**

संक्षिप्त वित्तीय आंकड़े

(i) पूर्ववर्ती प्रति यूनिट आंकड़े

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी 97(II) (01.07.97)			आईआईएसएफयूएस-97 (01.07.97)			आईईएफ (01.08.97)		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1 वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.09	ƒ 9 50 ¶ 9 25	ƒ 9 50 ¶ 8 73	10.14	9.48	9 74	10 00	9.33	14.94
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	1.08	0.69	2 62	1 07	1.40	2.71	0.00	1.14	3.16
3 आय वितरण (%) प्र व	14 00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	-	-	
4 प्रारक्षित निधि में अंतरण (यदि कोई हो)	-0 08	-0.75	1 14	-0.49	-0.25	0.85	0.10	1.15	3.19
5 वर्ष के अंत में एनएवी	ƒ 9 50 ¶ 9 25	ƒ 9.50 ¶ 8 73	ƒ10 86 ¶ 9 62	9 48	9 74	10 36	9 33	14.94	18 98
6 वार्षिकीकृत आय (%)	ƒ 5 65 ¶ 6 96	ƒ10 20 ¶ 8 45	ƒ16 82 ¶13 75	9 05	13.80	16.01	-6.70	23.26	23.54
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	1478 46	1545 74	1886 18	640 48	666.05	718.91	30.91	49.48	62.86
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात (%)	0.011	1.05	1.08	0.005	0 43	0.79	0.017	1 13	1.18

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी-97(III) (01.09.97)			एमआईपी -97(IV) (01.11.97)			एमआईपी -98(V) (01.01.98)		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1 वर्ष के आरंभ में एनएवी	-	ƒ 9 70 ¶ 9.38	ƒ 9.98 ¶ 9.40	-	ƒ 9.99 ¶ 9 53	ƒ 10.36 ¶ 9.67	-	ƒ 9.98 10.27 ¶ 9.71	ƒ10.08 10.29 ¶ 9.64
2 शुद्ध आय प्रति यूनिट	0 84	1 02	1.97	0.81	0 89	1.97	0.70	0.65	2.20
3 आय वितरण (%) प्र व	13 00	13 00	13 00	12 50	12 50	12.50	11 75	11.75	¶ 11.75 12.40
4 प्रारक्षित निधि में अंतरण (यदि कोई हो)	-0 26	-0 31	0.57	0 01	-0 34	0.63	0.27	-0.55	0 89
5. वर्ष के अंत में एनएवी	ƒ 9 70 ¶ 9 38	ƒ 9.98 ¶ 9.40	ƒ 10.57 ¶ 9.82	ƒ 9 99 ¶ 9.53	ƒ 10.36 ¶ 9.67	ƒ 10 81 ¶ 10 00	ƒ 9.98 10.27 ¶ 9.71	ƒ 10.08 10.29 ¶ 9.64	ƒ 10 69 10 86 ¶ 10.14
6. वार्षिकीकृत आय (%)	Ψ ƒ4 81 ¶ 4 63	ƒ 11.85 ¶ 10.51	ƒ 14.82 ¶ 13 20	Ψ ƒ5.41 ¶ 3.64	ƒ 13.72 ¶ 11.27	ƒ 15.33 ¶ 13 25	Ψƒ1.86 2.70 ¶ 2 97	ƒ 10.22 10 40 ¶ 9.98	ƒ 13.71 13.35 ¶ 12.95
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	829 79	873.84	960 97	924.40	997 61	1095 36	475 12	490.53	536.55
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात (%)	0.011	1.04	1 22	0 007	0.74	1.01	0.008	1 02	1.25

योजना (आबटन की तिथि)	एमईपी 98 (31.03.98)			आईआईएसएफयूएस 97 (II) (01.02.98)			एमआईपी-98 (01.04.98)			एमआईपी-98(II) (01.07.98)		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
र्ष क आरन में एनएवी	-	8 35	11 59	-	9 74	10 14	-	*f* 9 81 ≣ 9 74 ¶ 9 48	*f* 10 41 ≣10 33 ¶ 10 09	-	-	*f* 10 53 ≣10 06 ¶ 10 21
ुद्ध आय प्रति यूनिट	0 23	-1 16	5 70	0 60	1 00	2 22	0 31	1 11	1 74	12 50	0 97	1 84
ाय वितरण (%) प्र व	-	-	-	12 75	12 75	12 75	12 50	12 50	*f*≣13 25 ¶ 12 50	-0 07	12 50	*f* ≣13 25 ¶12 50
ारक्षित निधि मे अतरण (यदि कोई हो)	0 23	-1 13	5 71	-0 07	-0 39	0 65	-0 02	-0 11	0 35	9 75	-0 28	0 43
र्ष क अत में एनएवी	8 35	11 59	14 65	9 74	10 14	10 18	*f* 9 81 ≣ 9 74 ¶ 9 48	*f* 10 41 ≣ 10 33 ¶ 10 09	*f* 10 68 ≣10 61 ¶ 10 28	-	*f* 10 53 ¶10 21 ≣10 06	*f* 10 43 ≣9 77 ¶ 10 04
ार्षिकीकृत आय (%)	Ψ16 50	12 53	17 90	Ψ 2 10	13 47	13 25	Ψ*f*-2 60 -1 90 ¶ -2 07	*f*14 11 ≣13 39 ¶ 14 03	*f* 14 99 ≣ 14 43 ¶ 14 44	-	*f* 15 65 ¶ 15 51 ≣13 89	*f* 13 85 ≣12 15 ¶ 13 42
अवधि के अंत मे शुद्ध आस्तिया (रु करोड में)	18 06	25 12	31 73	656 31	688 35	700 51	928 05	1019 42	1081 78	770 12	901 65	914 66
शुद्ध आस्तियों मे आवर्ती व्यय का अनुपात (%)	0 012	2 63	1 90	0 004	0 41	0 77	0 01	1 03	1 26	-	1 03	1 29

योजना (आबंटन की तिथि)	एनआरआई फंड (01.05.98)			आईआईएसएफयूएस -98 (01.06.98)			यूएस-1000 (1.06.98) ££			यूएस (18.06.98) ££		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
वर्ष के आरभ में एनएवी	-	∆9 94	*f* 10 94 ≣10 92	-	9 64	10 23	-	9 57	14 08	-	9 93	11 58
शुद्ध आय प्रति यूनिट	0 04	1 19	1 92	0 08	1 26	2 19	-0 41	1 29	3 07	-0 07	0 74	1 02
आय वितरण (%) प्र व	13 50	13 50	13 50	13 50	13 50	13 50	-	-	20 00	-	-	-
प्रारक्षित निधि में अतरण (यदि कोई हो)	-0 06	-0 15	0 55	-0 18	-0 22	0 55	-0 41	1 28	1 51	-0 07	0 76	1 02
वर्ष क अत म एनएवी	\9 94	*f* 10 94 ≣ 10 92	*f* 10 86 ≣10 90	9 64	10 23	10 78	9 57	14 08	12 41	9 93	11 58	12 79
वार्षिकीकृत आय (%)	Ψ -0 60	*f* 22 21 ≣ 21 05	*f* 16 76 ≣16 32	Ψ -2 48	15 75	16 96	Ψ -4 30	37 66	19 85	Ψ -0 70	13 53	12 07
अवधि क अत म शुद्ध आस्तिया (रु करोड में)	63 45	75 97	83 29	944 49	1007 21	1087 10	67 40	131 00	146 61	136 39	690 50	1460 4079
शुद्ध आस्तियों मे आवर्ती व्यय का अनुपात (%)	0 01	0 91	1 10	0 00	0 41	1 01	0 05	2 08	2 41	0 01	1 10	1 48

योजना (आबंटन की तिथि)	एसबीपी (01.07.98)		एसआईएस ££ (01.06.98)		एसआईएस (18.07.98)		एसआईपी-98(III) (01.09.98)		एसआईपी-98(IV) (01.12.98)		आईआईएसएफयूएस 98(II) (01.01.99)	
	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000
1 वर्ष के आरंभ में एनएवी	10 00	14 34	9 89	12 75	9 89	11 33	-	10 80 ≣11 63 ¶ 10 21	-	*f* 10 83 ≣11 26 ¶ 10 41	-	10 30
2 शुद्ध आय प्रति यूनिट	0 76	12 46	0 09	3 47	1 31	1 37	1 10	1 72	0 90	2 26	0 92	1 80
3 आय वितरण (%) प्र व	-	-	-		-		12 50	≣*f*13 25 ¶ 12 50	12 50	≣*f* 13 25 ¶ 12 50	14 00	14 00
4 प्रारक्षित निधि में अंतरण (यदि कोई हो)	0 76	6 53	0 17	3 48	1 34	1 37	0 26	0 36	0 28	0 88	-0 02	0 09
5 वर्ष के अंत में एनएवी	14 34	18 02	12 75	14 37	11 33	12 75	*f* 10 80 ≣11 63 ¶ 10 21	*f* 10 74 ≣11 50 ¶ 10 09	10 83 ≣ 11 26 ¶ 10 41	*f* 11 12 ≣ 11 55 ¶ 10 66	*f* 10 30 ¶ 10 30	*f* 10 72 ¶ 10 68
6 वार्षिकीकृत आय (%)	43 40	32 66	25 38	19 96	13 30	13 05	*f*16 10 ≣16 30 ¶ 13 18	*f* 15 75 ≣15 35 ¶ 13 74	*f* 16 42 ≣12 60 ¶ 11 39	*f* 18 74 ≣18 08 ¶ 17 44	*f*10 00 ¶10 20	*f* 19 60 ¶ 18 58
7 अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड में)	143 59	126 36	198 01	200 91	0 25	0 33	1439 45	1483 97	948 89	1010 30	1158 06	1214 81
8 शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात (%)	1 19	1 66	2 14	2 20	1 90	1 25	0 98	1 24	0 78	1 21	0 30	0 76

योजना (आबंटन की तिथि)	एसआईपी-98(V) (01.02.99)		एमआईपी-99 (31.03.99)		जीएसएफ-ब्रांड (27-05-99) ££	जीएसएफ-फार्मा (27-05-99) ££	जीएसएफ-सॉफ्टवेयर (27-05-99) ££	जीएसएफ-पेट्रो (27-05-99) ££	जीएसएफ-सर्विस (27-05-99) ££	जी-नेक्स्ट-इंड (27-05-99) ££
	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1999-2000	1999-2000	1999-2000	1999-2000	1999-2000	1999-2000
1 वर्ष के आरंभ में एनएवी	-	*f* 10 33 ≣10 53 ¶ 9 96	-	11 26	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2 शुद्ध आय प्रति यूनिट	-	1 56	0 47	18 19	2 17	0 99	23 62	3 50	19 52	7 96
3 आय वितरण (%) प्र व	-	≣*f* 13 25 ¶ 12 50	-	15 00	10 00		20 00		20 00	**4 50 → *4 50&1 50
4 प्रारक्षित निधि में अंतरण (यदि कोई हो)	-	0 19	0 47	16 99	1 46	0 99	21 70-	3 50	17 75	2 29
5 वर्ष के अंत में एनएवी	*f* 10 33 ≣ 10 53 ¶ 9 96	*f* 10 90 ≣11 29 ¶ 10 34	11 26	24 32	10 10	10 21	24 06	12 71	33 20	* *110 2504 * 103 4336
6 वार्षिकीकृत आय (%)	*f* 5 46 ≣ 5 30 ¶ 4 81	*f* 17 77 ≣18 50 ¶ 15 75	12 60	114 13	7 16	3 57	172 26	25 27	259 30	**18 47 *11 77
7 अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड में)	882 07	972 83	3 91	8 48	46 3699	69 1358	232 4063	42 6947	76 864	516 84
8 शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात (%)	0 59	1 19	1 09	0 00	2 62	3 26	4 53	1 80	2 59	0 70

योजना (आबंटन की तिथि)	एसआईपी 99 (10.06.99)	एसआईपी 99 II (01.11.1999)	एसआईपी 2000 (01.12.2000)	निफ्टी	ईटीएस
	1999-2000	1999-2000	1999-2000	1999-2000	1999-2000
1 वर्ष के आरंभ में एनएवी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2 शुद्ध आय प्रति यूनिट	1 38	0 93	0 60	(0 27)	(0 02)
3 आय वितरण (%) प्र व	≣ *f* 11 25 ¶ 10 75	*f* 11 00 ¶ 10 50	≣ *f* 10 75 ¶ 10 25		
4 प्रारक्षित निधि में अंतरण (यदि कोई हो)	0 19	0 56	0 35	(0 27)	(0 02)
5 वर्ष के अंत में एनएवी	≣ 10 82 *f* 11 21 ¶ 11 05	≣ 10 52 *f* 10 52 ¶ 9 60	≣ 9 84 *f* 9 84 ¶ 9 24	8 80	11 95
6 वार्षिकीकृत आय (%)	≣ 17 94 *f* 20 62 ¶ 21 34	≣ 5 20 *f* 5 20 ¶ 3 00	≣ -1 60 *f* -1 60 ¶ -3 20	-29 22	40 81
7 अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु करोड में)	3029 64	1345 26	1398 43	90 29	16 66
8 शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात (%)	1 09	0 92	0 82	2 82	0

f संचयी विकल्प

¶ अनचयी विकल्प

≣ वार्षिक आय विकल्प,

$ आस्थगित आय विकल्प एवं पूंजी वृद्धि विकल्प

@ त्रैमासिक विकल्प

31 03 98 तक 15%

£ 31 03 99 तक 13%

££ ये सतत खुली योजनाएं होने के कारण इनके आरंभ की तिथि दी गई है

Δ केवल एक एनएवी परिकलित की है।

* आय विकल्प

** वृद्धि विकल्प

→ 31 03 2000 को 4 50% एवं 31 05 2000 को 1 50%

Ψ 30 और 31 दिसंबर को इन योजनाओं ने एक वर्ष पूरा नहीं किया है, अत इनकी आय वार्षिकीकृत नहीं है।

(ii) ट्रस्ट की योजनाओं द्वारा उधार लेने की कोई घटना नहीं है।

पूर्ववर्ती प्रति यूनिट आंकड़े

योजनाएं	01.11.2000 को एनएवी	वार्षिकीकृत आय (%)
जी सक		
- वृद्धि विकल्प	111.4468	9.80%
- आय विकल्प	104.4834	-
सीएफ	13.09	11.39%
एसआईएफ @	13.13	12.45%
आईआईएसएफयूएस -96 @	11.40	17.01%
आईआईएसएफयूएस -97 @	9.74	13.98%
आईआईएसएफयूएस -97(II) @	9.79	10.50%
आईआईएसएफयूएस -98 @	10.09	12.20%
आईआईएसएफयूएस -98 (II) @		
- संचयी विकल्प	10.32	13.37%
- आय विकल्प	10.08	12.20%
यूएनएफ @		
- चयी विकल्प	10.65	13.45%
- र्षिक विकल्प	10.69	13.48%
एमएमएफ $	14.1599	9.68%
ईपी - 97 &	11.36	3.61%
ईपी -98 &	11.97	7.18%
ईपी -99 &^	20.34	68.36%
सपी &	10.14	1.59%
एस-10000 & ^	10.39	7.18%
ईएफ &	15.49	13.93%
वीयूपी &	14.87	18.48%
आईएफ	11.36	5.60%
आईपी-96(III)		
- असंचयी विकल्प	9.63	12.91%
- चयी विकल्प	17.19	14.18%
आईपी -96(IV)		
- संचयी विकल्प	9.05	11.23%
- चयी विकल्प	16.01	13.06%
आईपी -97		
- संचयी विकल्प	8.70	11.49%
- चयी विकल्प	10.10	12.62%
आईपी -97(II)		
- संचयी विकल्प	8.71	11.31%
- चयी विकल्प	10.46	13.73%
आईपी-97(III)		
- संचयी विकल्प	8.89	10.47%
- चयी विकल्प	10.10	11.54%
आईपी -97(IV)		
संचयी विकल्प	9.32	11.10%
- चयी विकल्प	10.62	12.84%
आईपी -97(V)		
- ासिक विकल्प	9.25	9.85%
- चयी विकल्प	10.20	10.16%
- र्षिक विकल्प	10.41	10.43%

योजनाएं	01.11.2000 को एनएवी	वार्षिकीकृत आय (%)
एमआईपी -98		
- मासिक विकल्प	9.23	10.32%
- संचयी विकल्प	10.12	10.60%
- वार्षिक विकल्प	10.04	10.68%
एमआईपी -98(II)		
- मासिक विकल्प	9.16	9.64%
- संचयी विकल्प	10.03	9.90%
- वार्षिक विकल्प	9.53	9.62%
एमआईपी -98(III)		
- मासिक विकल्प	8.90	8.11%
- संचयी विकल्प	10.00	9.50%
- वार्षिक विकल्प	9.11	8.39%
एमआईपी -98(IV)		
- मासिक विकल्प	9.70	11.66%
- संचयी विकल्प	10.65	12.67%
- वार्षिक विकल्प	11.06	12.51%
एमआईपी -98(V)		
- मासिक विकल्प	9.21	8.63%
- संचयी विकल्प	10.25	10.20%
- वार्षिक विकल्प	10.62	11.29%
एमआईपी -99		
- मासिक विकल्प	9.87	10.33%
- संचयी विकल्प	10.63	11.17%
- वार्षिक विकल्प	10.41	10.92%
डीआईपी -91		
- तिमाही आय विकल्प	8.97	10.99%
- आस्थगित आय विकल्प	8.32	10.00%
- वृद्धि विकल्प	17.45	14.75%
एमआईपी -99 (II) # @		
- मासिक विकल्प	8.30	-0.94%
- संचयी विकल्प	10.16	1.60%
- वार्षिक विकल्प	8.90	0.00%
एमआईपी -2000 *@		
- मासिक विकल्प	8.30	-9.31%
- संचयी विकल्प	9.25	-7.50%
- वार्षिक विकल्प	9.25	-7.50%

@ 01.11.2000 को एनएवी

* इस योजना ने परिचालन का एक वर्ष पूरा नहीं किया है, अत: सामान्य आय दी गई है ।

पुनर्निर्धारित तिथि 13.03.2000 से प्राप्त आय ।

^ आय एवं आरंभ से सीएजीआर की गणना लाभांशोत्तर एनएवी के आधार पर की गई है और कर की कटौती व्यय के रूप में की गई है ।

$ 13.11.2000 को एनएवी

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400020, टेलि : 2068468

आंचलिक कार्यालय

*** पश्चिमी अंचल :** यूटीआई टॉवर, 'जी एन' ब्लॉक, बान्दरा कुर्ला परिसर कॉम्पलेक्स, बान्दरा (पूर्व), मुंबई-400051, टेलि : 6520850. *** पूर्वी अंचल :** 4 फेयरली प्लेस, पहली मंज़िल, कलकत्ता-700001 टेलि : 2107699/7701, *** दक्षिणी अंचल :** यूटीआई हाऊस, 29, राजाजी सालै, चेन्नई-600001, टेलि : 5210356 से 59. ***उत्तरी अंचल :** जीवन भारती, 13 वीं मंज़िल, टावर II, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, टेलि : 3329868/3731401.

मुंबई मुख्य शाखा कार्यालय
कॉमर्स सेंटर -1, 29 वीं मंजिल, कफ परेड, कुलाबा, मुंबई-400005 टेलि 2181600/2181254

पश्चिमी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

शाखाएं जहां आवेदन पत्र भेजे जा सकते हैं

अहमदाबाद : यूटीआई हाऊस, मिथाखिली रेल पुल के समीप, आश्रम रोड के सामने, अहमदाबाद-380009, टेलि : 6583864/6583043. **बड़ौदा :** मेघधनुष, चौथी और पांचवीं मंजिल, ट्रान्स्पेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390015, टेलि : 332481. **भोपाल :** पहली मंजिल, गंगाजमुना कमर्शियल काम्प्लैक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल-1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462001, टेलि : 558308. **इन्दौर :** सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी रोड, इन्दौर-452001, टेलि : 535607, **कोल्हापुर :** अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, केएच-1/2, 'ई' वार्ड, दाबोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001, टेलि : 657315, **मुंबई : (1)** यूनिट सं. 2, ब्लाक 'बी' जेवीपीडी शॉपिंग सेंटर के सामने, गुलमोहर क्रॉस रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400049, टेलि : 6201995. **(2)** लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेशन, मुंबई-400020, टेलि : 2850821/822. (मुंबई मुख्य शाखा कार्यालय के लिए) . **(3)** श्रद्धा शॉपिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस वी रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-400092, टेलि : 8980521. **(4)** सागर बोनांज़ा, पहली मंजिल, खोत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई- 400086, टेलि : 5162256. **नागपुर :** श्री मोहिनी काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग, (किंग्जे), नागपुर-440001, टेलि : 536893. **नासिक :** सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम.जी. रोड, नासिक-422001, टेलि : 572166. **पणजी :** ई.डी.सी. हाऊस, भूतल, डॉ. ए बी रोड, पणजी, गोवा-403001, टेलि : 222472. **पुणे :** सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411005, टेलि : 5535954. **रायपुर :** वाणिज्य भवन, साई नगर, जेल रोड, रायपुर-492 009, टेलि : 551412. **राजकोट :** लल्लूभाई सेन्टर, तीसरी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट-360001, टेलि : 235112. **सूरत:** सैफी बिल्डिंग, डच रोड, ननपुरा, सूरत-395001, टेलि : 474550. **ठाणे:** यूटीआई हाउस, ठाणे पोस्ट और टेलेग्राफ कार्यालय के समिप, रिक्शा स्टैंड के सामने, स्टेशन रोड, ठाणे (प.) -400601. टेलि : 5400905. **वाशी :** पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आंध्र बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई - 400703, टेलि : 7890979 / 82 / 84.

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : ओसीएचसी बिल्डिंग, 1ली एवं 2री मंज़िल, 24, जनपथ, खारवेला नगर, राम मंदिर के समीप, भुवनेश्वर - 751001, टेलि : 410995. **कलकत्ता** : 29, नेताजी सुभाष चंद्र रोड, कलकत्ता 700001, टेलि : 2434581. **दुर्गापुर** : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंज़िल, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर 713216, टेलि : 546831. **गुवाहाटी** : हिंदुस्तान बिल्डिंग, 1ली मंज़िल, एम एल नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी 781001, टेलि : 543131. **जमशेदपुर** : 1-ए; राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंज़िल, बिस्टुपुर, जमशेदपुर 831001, टेलि : 424508. **पटना** : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवीं मंज़िल, एक्ज़िबिशन रोड, पटना 800001, टेलि : 235001. **सिलीगुड़ी** : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सारनी, सिलीगुड़ी - 734401, टेलि : 535199.

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : रहेजा टॉवर्स, 26-27, 12वी मंज़िल, पश्चिमी स्कंध, एम जी मार्ग, बंगलोर 560001, टेलि : 5595091. **चेन्नई** : यू.टी.आई. हाउस, 29, राजाजी सालै, चेन्नई 600001, टेलि : 5171.01. **कोचीन** : जीवन प्रकाश, पांचवीं मंजिल, एम जी रोड, एर्नाकुलम - 682011, टेलि : 362354. **कोयम्बतूर** : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्टस् कालेज रोड, कोयम्बतूर 641018, टेलि : 214973. **हुबली** : कालबर्गी मेंशन, 4 थीं मंजिल, लमिंगटन मार्ग, हुबली 580 020, टेलि : 363963. **हैदराबाद** : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद 500 195, टेलि : 461 1095. **मदुरई** : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्द्रम मार्ग, मदुरई 625 001, टेलि : 738186. **मंगलोर** : सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बाल-मत्ता मार्ग, मंगलोर-575 001, टेलि : 426290. **तिरुअनंतपुरम** : स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड तिरुअनंतपुरम - 695 001, टेलि : 331415. **त्रिची** : 104, सलाई रोड, वोरेयूर, तिरुचिरापल्ली - 620 003, टेलि : 760060. **त्रिचूर** : 28/700, वेस्ट पल्लिथामाम बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार मार्ग, राउंड नॉर्थ, त्रिचूर - 680 020, टेलि : 331259. **विजयवाड़ा** : 27-37-156, बन्दर मार्ग, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा - 520 002, टेलि : 571134. **विशाखापट्टनम्** : रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47/15/6, स्टेशन मार्ग, द्वारका नगर,विशाखापट्टनम - 530 016, टेलि : 748121.

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी मार्ग, आगरा - 282 002 टेलि : 358047. **इलाहाबाद** : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर मार्ग, इलाहाबाद - 211 003 टेलि : 400521. **अमृतसर** : श्री द्वारकाधीश काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, क्विन्स मार्ग, अमृतसर-143 001, टेलि : 564388. **चंडीगढ** : जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017 टेलि : 703683. **देहरादून** : दूसरी मंजिल, 59/3, रायपुर मार्ग, देहरादून - 248001, टेलि : 743203. **फरीदाबाद** : बी-614-617, नेहरु ग्राउंड, एनआईटी, फरीदाबाद -121 001, टेलि : 5424771. **गजियाबाद** : 41, नवयुग मार्केट, सिंघानी गेट के समीप, गजियाबाद - 201001, टेलि : 4790366. **जयपुर** : आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र मार्ग, जयपुर - 302 001, टेलि : 365212. **जोधपुर** : मिनर्वा सेंटर, पहली मंज़िल, स्टेशन रोड, जोधपुर - 342 001, टेलि : 645229. **कानपुर**: 16/79इ, सिविल लाईन्स, कानपुर - 208 001, टेलि : 317278. **लखनऊ** : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क मार्ग, लखनऊ - 226 001, टेलि : 238 491. **लुधियाना** : सूर्यकिरण फेस- II, 92, द माल, लुधियाना - 141001, टेलि : 441264. **नई दिल्ली** : गुलाब भवन, दुसरी मंजिल, 6 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002, टेलि : 3319786. **शिमला** : फ्लैट नं. 401,402,403,405 मुकेश अपार्टमेन्ट्स, फिंगास्क एस्टेट, होटल शील के समीप, शिमला - 171 002, टेलि : 257803. **वाराणसी** : पहली मंजिल, डी-58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी - 221001, टेलि : 358306.

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान

नई दिल्ली दिनांक:, 11 अप्रैल, 2001

भारतीय राजपत्र के भाग 3 खण्ड /4/ में प्रकाशित किया जाना है

अधिसूचना

सं0. 13-सी0ए0/परीक्षा/एम0/2001 : इन्स्टीट्यूट की अधिसूचना संख्या नं0 13-सी0ए0/परीक्षा/एम0/2001 दिनांक 27 जनवरी, 2001 के आंशिक विरोध के तहत, दि कांसिल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया ने कुछ राज्यों में 10 मई, 2001 को चुनाव की घोषणा की वजह से फाउन्डेसन, और फाइनल, मई 2001 की परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन किया है। ये परीक्षाएं अब निम्नलिखित तिथियों पर होंगी। इन्टरमीडियट की परीक्षाएं पहले से निर्धारित तिथियों पर ही होंगी और उनकी तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। परीक्षा समय, सत्र और परीक्षा केन्द्र पूर्व घोषित ही रहेंगें।

फाउन्डेशन और फाइनल परीक्षाओं की परिवर्तित तिथियां:

फाउन्डेशन परीक्षा: (प्रात: कालीन सत्र 8 बजे से 11 बजे तक भारतीय समय अनु0)

6, 7, 8 और 9 मई, 2001 (पूर्व घोषित तिथियों 8, 9, 10 और 11 मई, 2001 के स्थान पर)

फाइनल परीक्षा: (प्रात: कालीन सत्र 8 बजे से 11 बजे तक भारतीय समय अनु0)

ग्रुप -I: 2, 3, 4 और 5 मई, 2001 (फाइनल ग्रुप-I की परीक्षा तिथि पूर्व घोषित और प्रकाशित ही हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।)

ग्रुप -II: 6, 7, 8 और 9 मई, 2001 (पूर्व घोषित तिथियों 8, [illegible] 2001 के स्थान पर)

इन्टरमीडिएट परीक्षा : (दोपहर का सत्र: 12 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 30 मिनट तक भारतीय समयानुसार)

इन्टरमीडिएट की परीक्षाएं पूर्व घोषित एवं प्रकाशित तिथियों की हैं: यानि ग्रुप-I : 2, 3 और 4 मई, 2001 और ग्रुप-II : 5, 8 और 9 मई, 2001. इसलिये उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

परीक्षा सत्र, समय, केन्द्र एवं शांति जो कि अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी, 2001 में समाविष्ट की गई थी पूर्व घोषित ही रहेगी और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

जगदम्बा प्रसाद

जगदम्बा प्रसाद
अतिरिक्त सचिव (एच.आर.) (परीक्षा)

29-सी0ए0/लॉ/डी-70 नई दिल्ली, 12.4.2001

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

संख्या 29-सी0ए0/लॉ/डी-70/2001 : चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनिमय, 1988 के विनिमय 18 के साथ पठित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान की परिषद द्वारा, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने, उक्त अधिनियम की धारा (21)(6)(ग) के अनुसरण में, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मामला संख्या 1/98 में दिनांक 4 सितम्बर, 2000 को यह आदेश किया है कि श्री ए0 पी0 गुप्ता, एफ0 सी0 ए0, 17/5, शक्ति नगर, नई दिल्ली – 110007 (सदस्यता संख्या 17527) को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 के अर्थान्तर्गत व्यावसायिक (वृतिक) अवचार का दोषी पाए जाने के कारण उनका नाम एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। तदनुसार, एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री ए0 पी0 गुप्ता का नाम 15 मई 2001 से एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। उक्त अवधि के दौरान वह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबंधनानुसार, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे।

(डा0 अशोक हल्दिया)
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक: 20-2-2001

संख्या:यू-16/53/99-वि. 2।जम्मू-कश्मीर।:कर्मचारी राज्य बीमा।साधारण।, विनियम 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25.4.1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश सं0: 1024।जी। दिनांक 23.5.1983 द्वारा वे शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा जम्मू-कश्मीर केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त ।उत्तर क्षेत्र। द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जाँच करने और मूल प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित पदों के डॉक्टरों को पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यग्रहण करने तक नियुक्त करती हूँ:-

क्र.सं.	पद	तथ्य
1.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जम्मू	कार्यग्रहण करने से पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति तक
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कटुआ	--वही--

सु० सिंह

।डॉ0।श्रीमती।एस. सिंह ।
चिकित्सा आयुक्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक: 21.03.01

संख्या: यू-16/53/2000-चि0 2 (म0 प्र0) कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ ए0 के0 एस0 चायल अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर 20.3.2001 से 19.3.2002 तक की अवधि के लिए उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन), अहमदाबाद द्वारा निर्धारित ग्वालियर केन्द्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

(डा0 (श्रीमती) एस. सिंह)
चिकित्सा आयुक्त

~~अ0 1952001~~

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक: 9.4.2001.

संख्या: एन-15/13/1/28/99-यो. एवं वि.

(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अप्रैल, 2001 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:-

आन्ध्र प्रदेश के जिला मेदक के मंडल सदाशिवपेट के राजस्व ग्राम:-

"यावापूर, आरिफाबाद, एन्कैपल्ली, माचिरेड्डीपल्ली, आत्माकूर तथा मुबारकपूर (र)" ।

एन.आर. धिन्वर

(एन. आर. धिन्वर)

निदेशक (यो. एवं वि.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066

दिनांक: 26 MAR 2001

सं० के० भ० नि० आ० 1(4)/ए० पी० (1888)/2000/5651

का०आ० केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र०सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	एपी/34218	मै० सोवरजन एन्टरप्राईजिज, 10-1, राईस मिल कम्पाउंड, रामानथापुर, हैदराबाद-13.	1.9.98
2.	एपी/35793	मै० श्रीनिवासा सिल्कस, 1-9-9/2/ए, रामनगर, हैदराबाद-5.	1.6.99
3.	एपी/31033	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को० आ० सोसायटी लि०, ईस्लामपुर, टूपाण मंडल, मेडक डि०. पिन-502335.	1.4.96
4.	एपी/32073	मै० राजस्थान इंटेलीजेन्स सिक्योरिटी सर्विस, एच. नं० 2-120, शोभाना कालोनी, बालानगर, हैदराबाद-42.	1.8.95
5.	एपी/32739	मै० पेस्ट कंट्रोल (हैद०) कॉरपोरेशन, 8-2-350/3/सी, रोड नं० 3, बन्जाराहिल्स, हैदराबाद-500 034.	1.6.98
6.	एपी/30601	मै० सहगल लीजिंग एण्ड इंवेस्टमेंट्स लि०. 6-3-1092, राज भवन रोड, हैदराबाद-500082.	1.4.96
7.	एपी/32708	मै० आरपी एन्टरप्राईजिज, 153 ए/2, सेपर्स लाईन्स, बालामराई, सिकन्द्राबाद-500 003.	1.4.98
8.	एपी/32547	मै० महा इलेक्ट्रोनिक सर्विसिज, 605, छठी मंजिल, तारामंडल कॉम्पलैक्स, 5-9-13 सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.	1.4.98

9.	एपी/27450	मै0 दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव-सोसायटी लि0. निदवीन्था, मंडल- माडूर.	1.10.94
10.	एपी/34080	मै0 पी.ए.सी.एस. लि0. फतेहपुर, मंडल. आरमूर, निजामाबाद ।	1.11.99
11.	एपी/26330	मै0 प्राइमरी एग्री. को.आ.सोसायटी लि0. बेलाकाटूर, तन्दुर तालुक, डि0.रंगा रेड्डी.	1.3.94
12.	एपी/32685	मै0 संजीव एग्रोवेट प्रा0लि0. 6-3-658, 103 कांकोरडे अपार्टमेंट्स, सोमाजीगुडा, हैदराबाद, पिन-500 082.	1.6.98
13.	एपी/27970	मै0 दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.आ. सोसायटी लि0. कोन्डुर्ग, मंडल : कोन्डुर्ग, डि0. महबूबनगर.	1.10.94
14.	एपी/27382	मै0 दि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव-सोसायटी लि0. माल्डाकल, मंडल माल्डाकल, महबूब नगर डि0(एपी)	1.7.94
15.	एपी/32876	मै0 बी.पी.एल. पावर प्रोजेक्ट्स(ए पी) लि0. 8-2-583/3, रोड नं0.9, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500 034.	1.10.98
16.	एपी/28024	मै0 प्राइमरी एग्री. को.आ. सोसायटी, नागुलापल्ली, पेडामल मंडल, आर.आर.डिस्ट्रीक्ट.	1.3.94
17.	एपी/34068	मै0 पी.ए.सी.एस.लि0. पीपरी, मंडल: आरमूर, डि0. निजामाबाद ।	1.11.99
18.	एपी/36048	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.आ. सोसायटी लि0. मार्लपल्ली, बोअथ मंडल, आदिलाबाद डि0. आंध्रा प्रदेश ।	1.1.2000
19.	एपी/36047	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.आ. सोसायटी लि0. कानुगुट्टा, बोअथ मंडल, आदिलाबाद डि0. आंध्रा प्रदेश ।	1.1.2000
20.	एपी/36035	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.आ. सोसायटी लि0. तेजापुर, नारेडिगोंडा मंडल, आदिलाबाद डि0.(एपी),	1.1.2000

21. एपी/36034	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.आ. सोसायटी लि0. बोअथ, आदिलाबाद डि0. (ए.पी.)	1.1.200[illegible]
22. एपी/36032	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव - सोसायटी लि0. वाडूर, नेरीडिगोंडा मंडल आदिलाबाद डि0.(ए.पी.)	1.1.2000
23. एपी/36033	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव - सोसायटी लि0. धान्नूर, बोअथ मंडल, डि0.आदिलाबाद(एपी)	1.1.[illegible]
24. एपी/36031	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव - सोसायटी लि0. राजुरा, नारीडिगोंडा मंडल, आदिलाबाद डि0.(एपी.)	1.1.2000
25. एपी/36049	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव - सोसायटी लि0. कुम्भाराम, नारीडिगोंडा मंडल, आदिलाबाद डि0. (ए.पी.)	1.1.2[illegible]
26. एपी/36046	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव - सोसायटी लि0. कुचलापुर, बोअथ मंडल, आदिलाबाद डि0.(एपी)	1.1.2[illegible]
27. एपी/34079	मै0 पी.ए.सी.सी.एस. लि0. अदूर, मंडल : गान्धारी, निजामाबाद डि0. (ए.पी.)	1.11.9[illegible]
28. एपी/34052	मै0 पी.ए.सी.सी.एस. लि0. शेतपल्ली, मंडल : मोर्थाड, निजामाबाद(ए.पी.)	1.9.9[illegible]
29. एपी/32699	मै0 एलिन एम्पलोईज को.आ. हाउस बिल्डिंग- सोसायटी लि0. प्लॉट नं0.443, ई.सी. नगर, एच.सी.एल.(पी.ओ) हैदराबाद-500 051.	1.4.[illegible]
30. एपी/36030	[illegible] प्राइमरी एग्रीकल्चरल को.आ.[illegible]टी लि0. [illegible](पी.ओ.), बोअथ (मंडल), आदिलाबाद(डि0.) (ए.पी.)	1.1.200[illegible]

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

(के० द्विवेदी)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(केन्द्रीय कार्यालय)
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066

दिनांक:
सं0.के.भ.नि.आ.1(4)(ए.पी.)(1887)/2000 5652	26 MAR 2001

सा0आ0 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र0सं0	कोड नं0	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	एपी/30635	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव क्रेडिट-सोसायटी लि0. पांगल, डि0. महबूबनगर.	1.11.96
2.	एपी/30639	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव क्रेडिट-सोसायटी लि0. राजानागारम, वानापार्थि मंडल, महबूब नगर डि0.	1.11.96
3.	एपी/32190	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी - लि0. दानधानूर, कोठाकोटा मंडल,	1.11.96
4.	एपी/32189	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव क्रेडिट-सोसायटी लि0. धुम्मानापेट, मंडल बालमूर, डि0. महबूब नगर.	1.11.96
5.	एपी/30934	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव सोसायटी-लि0. मोटलामपल्ली, आत्माकुर मंडल, डि0.महबूबनगर.	1.11.96
6.	एपी/31070	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव सोसायटी - लि0. आडाकल, विल्लेज एण्ड मंडल, डि0.महबूबनगर ।	1.11.96
7.	एपी/36876	मै0 श्री राम इंजीनियरिंग, डी-36, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, विशाखापटनम-530007.	1.9.2000

8.	स्पी/38886	मै0 प्रसाद एण्ड कम्पनी, डी. नं0.45-1-8/14, मुस्लिम टाटीचेटलापालेम, आक्यापालेम, विशाखापटनम ।	1.9.2000
9.	स्पी/36883	मै0 सोतेक टैक्नोलोजिस[इंडिया] प्रा0 लि0. 49-34-11/1, आक्यापालेम, विशाखापटनम-530016.	1.9.2000
10.	स्पी/36882	मै0 बी. नागेश्वरा राव इलैक्ट्रीकल वर्क्स, डी.नं0.35-7-14, रामामूर्ति पन्तुलु पेटा, कांचारापालेम, विशाखापटनम ।	1.9.2000
11.	स्पी/36853	मै0 सिस्टेमैटिक इंजीनियरिंग सर्विसिज, डी.नं0.47-9-35/1, थर्ड लेन, द्वारकानगर, विशाखापटनम ।	1.5.2000
12.	स्पी/29350	मै0 रामागिरि प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव- क्रेडिट सोसायटी लि0. रामागिरि, अनन्तापुर डि0.[स्पी]	1.5.97
13.	स्पी/29698	मै0 दि पोलूर प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव- क्रेडिट सोसायटी लि0. पोलूर, नान्दयाल मंडल, कूरनूल डि0.	1.1.99
14.	स्पी/34692	मै0 कुटिली प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आ0- सोसायटी लि0. कुटिली [पी. एण्ड पोस्ट] गोराम्टला [मंडल] अनन्तपुर डि0.	1.8.2000
15.	स्पी/30794	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आ0.सोसायटी लि0. मूसापुर, मंडल: मूसापुर, डि0.महबूबनगर ।	1.1.96
16.	स्पी/36848	मै0 विश्वस्ट को-आपरेटिव एसोसिएशन, प्लाट नं0.9, देवी टॉवर्स, आक्यापालेम, नियर-एन.एच.5 रोड, विशाखापटनम-16	1.7.2000
17.	स्पी/27385	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आ0.क्रेडिट - सोसायटी लि0. सोलीपूर [एम], धानापूर, डि0.महबूबनगर ।	1.10.94
18.	स्पी/28094	मै0 आशये फिल्टर्स [प्रा0] लि0. 7-63, वेंकटेश्वरा इंडस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स, बालानगर, हैदराबाद-37.	1.7.95

19. एपी/27356	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप०.सोसायटी लि०. इंदराकल, मंडल, धारुर ।	1.9.94
20. एपी/27454	मै० प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आप०.क्रेडिट सोसायटी-लि०. दौलताबाद(मंडल), महबूबनगर डि०.	1.10.94
21. एपी/37668	मै० बालाजी कंटेनर्स, प्लाट नं०. 149, आई.ई. मेडचल, रंगारेड्डी डि०. ए.पी. ।	1.1.2000
22. एपी/36895	मै० दि रेल रोड मेन्टेनेंस ट्रांसपोर्ट एण्ड कंसल्टेंसी सर्विसिस, 45-42-8ए, आक्यापालेम, विशाखापटनम- 530016.	1.10.2000
23. एपी/36899	मै० तम्पाती राव वेलफेयर सोसायटी, डी.नं०. 71-31-1342, जय आंध्र कालोनी, गांधीग्राम (पी.ओ.) विशाखापटनम ।	1.7.2000
24. एपी/34722	मै० रोम्पीचेर्ला प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आ.-क्रेडिट सोसायटी लि०. रोम्पीचेर्ला-517192. चित्तूर डि०. (ए.पी.)	1.9.2000
25. एपी/34301	मै० दि हिलाफाजुरावानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल -कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०. वार्ड. नं०. 657, एम. गुरामावानी(पी. एण्ड विलेज), पेड्डाकाडुबुर (मंडल), कुरनूल डि०.	1.12.98
26. एपी/36894	मै० साना इंजीनियरिंग कम्पनी, 43-17-10/2, टी.एस.एन. कालोनी, विशाखापटनम-16.	1.10.2000

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है ।

(के० एन० त्रिपाठी)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066

दिनांक: 2 6 MAR 2001

सं०के.भ.नि.आ.1(4) ए.पी.(1889)/2000 5653

सा०आ० केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र0सं0.	कोड नं0.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	एपी/27451	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव - सोसायटी लि0. दामारगिड्डा, मंडल दामारगिड्डा, डि0. महबूबनगर.	1.10.94
2.	एपी/27458	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी, रेड्डी गानापुर, बशीराबाद मंडल, आर.आर. डि0.	1.3.94
3.	एपी/30858	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव क्रेडिट-सोसायटी लि0. कोठापेटा, मंडल केशाम्पेट, डि0. महबूबनगर।	1.11.96
4.	एपी/27379	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी-लि0. चिन्ना टान्ड्रापाड, तीजा मंडल, महबूबनगर डि0. (ए.पी.)	1.7.94
5.	एपी/27354	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव - सोसायटी लि0. चिन्ना मुद्नूर, मंडल: टेल्कापल्ली, डि0. महबूबनगर।	1.9.94
6.	एपी/27353	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव - सोसायटी लि0. टेल्कापल्ली, मंडल टेल्कापल्ली, डि0. महबूबनगर।	1.9.94

7.	एपी/27355	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव क्रेडिट-सोसायटी लि0. मन्थाटि, नागरकुरनूल मंडल, महबूबनगर डि0[ए.पी.]	1.9.94
8.	एपी/27444	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी, पिटयाल, पारली मंडल, आर.आर. डिस्ट्रीक्ट ।	1.3.94
9.	एपी/27337	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी-लि0. विज्यापल्ली, विज्यापल्ली मंडल, महबूबनगर डिस्ट्रीक्ट. ए.पी.	1.8.94
10.	एपी/27351	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव क्रेडिट-सोसायटी लि0. टाडूर, मंडल. टाडूर, डि0. महबूबनगर ।	1.9.94
11.	एपी/27543	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी-लि0. ज्ञानापुर, मंडल विजीनापल्ली, डि0. महबूबनगर[एपी]	1.10.94
12.	एपी/30666	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आ0 सोसायटी लि0. नम्मीने, मंडल धादू, महबूबनगर डि0.	1.7.96
13.	एपी/26325	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को0आ0 क्रेडिट सोसायटी, धानपूर, मंडल धानपूर, डि0. महबूबनगर ।	1.8.94
14.	एपी/27357	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव क्रेडिट-सोसायटी लि0. नागरकूरनूल, नागरकूरनूल मंडल, महबूबनगर डि0[एपी]	1.9.94
15.	एपी/34059	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी लि0. ईथोन्डा, मंडल कोटागिरि, डि0. निजामाबाद ।	1.10.99
16.	एपी/34105	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव क्रेडिट - सोसायटी लि0. पुल्कल, मंडल बिधकुण्डा, निजामाबाद ।	1.3.2000
17.	एपी/28382	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आ0सोसायटी लि0. डोन्केश्वर, मंडल नन्दीपेट, डि0. निजामाबाद ।	1.12.98
18.	एपी/34113	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आ0सोसायटी लि0. मटाकन्टा, मंडल निजामाबाद डि0. निजामाबाद ।	1.5.2000

19. एपी/28238	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को0आ0क्रेडिट सोसायटी-लि0. गुन्कुल, हैड0. मोहम्मदनगर, मंडल निजामसागर, डि0. निजामाबाद ।	1.2.97
20. एपी/34082	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव क्रेडिट-सोसायटी लि0. पी.ओ. चिन्टाकुन्टा, मंडल धरनी, डि0. निजामाबाद.	1.12.99
21. एपी/34032	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव सोसायटी-लि0. दूपल्ली, मंडल रन्थाल, निजामाबाद ।	1.7.95
22. एपी/34033	मै0 प्राइमरी एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव-सोसायटी लि0. टाडबिलोली, मंडल, रन्थाल, डि0. निजामाबाद ।	1.7.99

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उन या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के

(के0 व0 द्विवेदी)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (मुख्यालय)

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस,

नई दिल्ली - 110066

28 MAR 2001

अधिसूचना

संख्या 5742.....कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 4 के उप पैरा (1) के साथ पठित पैरा 5 के अनुसरण में, अध्यक्ष केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) ने केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना सं0 सम्मेलन 5(2)97/असम/86 दिनांक 19.6.2000 जो दिनांक 15.02.2000 को भारत के राजपत्र की धारा 4 के भाग-III में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधनों पर सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया है ।

उक्त अधिसूचना के पृष्ठ 3171 क्र.सं. 4 के कॉलम I में "श्री बी.पी.बक्षी, अवैतनिक सचिव, अखिल भारतीय उत्पादक संघ, असम राज्य, तिनसुकिया" के स्थान पर "श्री बी. पी. बक्षी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय उत्पादक संघ, असम राज्य बोर्ड, मकुम रोड, तिनसुकिया - 786146" पढा जाए ।

अजय सिंह

(अजय सिंह)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066

दिनांक:

(सं.के.भ.नि.आ.1(4)/के.एन.(1912)/2000 5757　　29 MAR 2001

सा0आ0　　　केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र0सं0.	कोड नं0.	स्थापना का नाम व पता	स्थाप्ति की तिथि
1.	केएन/21234	मै0 दि कैलम्मा महिला सहकारी बैंक लि0. एम.जी. रोड, फस्ट फ्लोर, बीजापुर-586101.	1.6.98
2.	केएन/21235	मै0 व्यवसाय सेवा सहकारी बैंक नियमित, रिहबीलिटेशन कालोनी, नं0. 2, सिंधानुर-584128. डि0. रायचूर ।	1.4.98
3.	केएन/21261	मै0 बी.टी. नैमद्राकर, एल्युमिनियम फैब्रिकेशन, एच. नं0. 8-1197, न्यु मोंच मल्ली गंज रोड, गुलबर्गा-585101. कर्नाटक.	1.3.99
4.	केएन/21286	मै0 दि बीजापुर डिस्ट्रीक्ट वूमैन्स मल्टीपरपज़-को-आपरेटिव सोसायटी लि0. स्टेडियम कॉम्पलैक्स, बीजापुर-586101.	12.12.98
5.	केएन/21340	मै0 दि नवजीवन को.आपरेटिव क्रेडिट-सोसायटी लि0. राम मन्दिर रोड, बीजापुर-586101.	1.11.2000

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा [4] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उन या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

[के०एन० द्विवेदी]
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त,

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(केन्द्रीय कार्यालय)
14,भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-66

2/1959/डी. एल. आई. /भाग-1/45772 दिनांक:- 30 MAR 2001

अधिसूचना

सा0.........................जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिन्हे इसमें इसके पश्चात स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952(1952 का 19)की धारा की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसके पश्चात स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त......राजस्थान.............ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन को छूट प्रदान कर दी गई है ।

अनुसूची-।

क्र. सं.	स्थापना का नाम और पता	कोड नं0	छूट की प्रभावी तिथि	फे0 म0 नि0 आ0 फा0 नं0
1.	मे0 रोशन मोटर्स ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर	आरजे/ 7080	1.8.97से 23.6.2000	13/59/2000/डीएलआई
2.	मे0 पी.पी. रब्ड प्रोडक्टस प्रा. लि0, बी-3 (बी) रोड न. 9सी बी.के.आई एरिया जयपुर	आरजे/ 7257	1.2.98से 23.6.2000	13/60/2000
3.	मे0 कोठारी ग्लोबल लि0, वी.पी.ओ. तारथर, जिला, कोटा (राज.)	आरजे/ 7810	1.6.95से 31.7.98 1.8.98से 23.6.2000	13/61/2000
4.	मे0 एरिकसन टेलीकम्युनिकेशंस ग्राम, कूकस, जयपुर (राजस्थान)	आरजे/ 7686	1.3.99से 23.6.2000	13/62/2000
5.	मे0 सी.एम.आई लि0, ए-315, (बी) फेस-। रिको इन्डस्ट्रीज एरिया, भिवाडी राजस्थान	आरजे/ 8415	1.3.98से 23.6.2000	13/63/2000
6.	मे0 ग्रीन प्लाई उद्योग लि0, 176-179, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फेस-।।, बहरोड, राजस्थान	आरजे/ 8295	1.8.97से 23.6.2000	13/64/2000
7.	मे0 अजंता सोया लि0, एस.पी. -916, औद्योगिक क्षेत्र फेस-।।, भिवाडी, अलवर (राजस्थान)	आरजे/ 8086	1.3.96से 23.6.2000	13/65/2000
8.	मे0 कजारिया सेरेमिक्स लि0, 19, कि. मी. स्टोन, भिवाडी अलवर, राजस्थान	आरजे/ 8501	1.5.98से 23.6.2000	13/66/2000
9.	मे0 जानकी प्रोसेसर्स प्रा. लि0, मन्दपिया चोराहा चित्तौडगढ मार्ग, भिलवाडा (राजस्थान)	आरजे/ 8651	1.7.97से 23.6.2000	13/67/2000
10.	मे0 स्टारलाईट सेन्थेटिक्स प्रा. लि0, जी-1, 475, (बी) रीको औद्योगिक एरिया भिवाडी	आरजे/ 8624	1.3.99से 23.6.2000	13/68/2000

1	2	3	4	5
11.	मै0 चेतना पोलीटक्स प्रा. लि0, ए-105, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, अलवर	आरजे/ 8548	1.10.99से 23.6.2000	13/69/2000/डीएलआई
12.	मै0 विहान सौसायटी फार याइल्ड डवलपमेंट ऐजुकेशन ई.1,798, महावीर नगर जयपुर	आरजे/ 8682	1.1.98से 23.6.2000	13/70/2000
13.	मै0 महावीर विद्या मन्दिर सैकण्डरी स्कूल, हिरन मगरी, सैक्टर-13, उदयपुर (राजस्थान)	आरजे/ 8825	1.3.99से 23.6.2000	13/71/2000
14.	मै0 भरोसा अगरबत्ती वर्क्स पो.बा.न.64-193 पल बिचला अजमेर, राजस्थान	आरजे/ 8867	1.2.99से 23.6.2000	13/72/2000
15.	मै0 युनिवरसल आईस क्रीमस प्रा. लि0, 109, गणपति प्लाजा एम आई मार्ग, जयपुर	आरजे/ 8857	1.1.99से 23.6.2000	13/73/2000
6.	मै0 गिन्नी इन्टरनैशनल एल. पी-2, (जि ए) ई8(2) रिको इन्डस्ट्रीज ऐरिया नीमराना अलवर, राजस्थान	आरजे/ 9163	1.8.98से 23.6.2000	13/74/2000
7.	मै0 रायल इंडिया ज्वैलरी उत्पादक कं0 लि0, 13, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र जयपुर	आरजे/ 9196	1.11.98से 23.6.2000	13/75/2000
[illegible]	मै0 डायनामिक इंजीनियर्स, जी-68, रिको औद्योगिक क्षेत्र भीलवाड़ा-311001	आरजे/ 9217	1.5.98से 23.6.2000	13/76/2000
[illegible]	मै0 प्राइड फार्मास्युटिकल्स आर्शीवाद, एम.एन.-1, टोंक रोड प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर	आरजे/ 9224	1.4.98से 23.6.2000	13/77/2000
0.	मै0 कावेरी क्लोथ मिल्स प्रा. लि0, नाकोडा रोड, आसोल-	आरजे/ 9271	1.12.97से 23.6.2000	13/78/2000

1	2	3	4	5
21.	मै0 सल्जकान सूटिंग (प्रा.) लि0, 15 के एम हाईवे अजमेर रोड, गांव रायसिंहपुरा, भीलवाड़ा राजस्थान	आरजे/ 9418	1.11.99से 23.6.2000	13/79/2000
22.	मै0 माउन्ट शिवालिक इन्डस्ट्रीज लि0, गुंती, बहरोड, अलवर (राज)	आरजे/ 9223	1.7.98से 23.6.2000	13/80/2000
23.	मै0 भारतीय स्पिनर्स लि0, गणेशपुरा भीलवाड़ा	आरजे/ 9268	1.2.99से 23.6.2000	13/81/2000
24.	मै0 सांकरिया स्पिनर्स लि0, शाहपुरा चौराहा के पास, भीलवाड़ा	आरजे/ 9341	1.5.98से 23.6.2000	13/82/2000
25.	मै0 क्षेत्रीय तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि0, एम.आई.ए. अलवर-301030	आरजे/ 6938	1.3.99से 23.6.2000	13/83/2000
26.	मै0 राज सोलवेक्स लि0, 4 एम.आई.ए अलवर (राज)	आरजे/ 7851	1.9.99से 23.6.2000	13/84/2000
27.	मै0 वरूण बेवरीज लि0, नेशनल हाईवे न. 8, अजमेर रोड बालमुकंद पुरा, जयपुर	आरजे/ 8928	1.8.98से 23.6.2000	13/85/2000
28.	मै0 स्कैन सिन्थेटिक्स लि0, ई-1108, रीको इन्ड. एरिया फेस-3/भिवाडी अलवर	आरजे/ 9116	1.12.98से 23.6.2000	13/86/2000
29.	मै0 खनिज उद्योग सहकारी समिति लि0, गहलोत भवन, न्यू कालोनी रोड, जयपुर	आरजे/ 9230	1.9.98से 23.6.2000	13/87/2000
30.	मै0 होली क्रास पब्लिक स्कूल 57, जय जवान कालोनी-1, टोंक रोड जयपुर	आरजे/ 9359	1.7.98से 23.6.2000	13/88/2000
31.	मै0 जीशप एकाडमी सीनसाइटी प्लाट न. 600, बरकत नगर जयपुर	आरजे/ 5414	1.10.98से 23.6.2000	13/89/2000

1	2	3	4	5
32.	मै० वनस्थली टैक्सटाईल इण्ड. लि०, एफ-3-5 रिको इण्ड. काम्पलैक्स, खिशान नगर शाहजहाँ पुर, जिला अलवर	आरजे/ 6064	1. 1. 97से 31. 12. 99 1. 1. 2000से 23. 6. 2000	13/90/2000
33.	मै० वेल बीव फैब प्रा. लि०, गठीलक हेडा चित्तोडगढ रोड भिलवाडा	आरजे/ 8172	1. 8. 98से 23. 6. 2000	13/91/2000
34.	मै० राजस्थान कॉप्टस इण्ड. रामगढ मोड के पास आमेर रोड जयपुर	आरजे/ 8677	1. 11. 97से 23. 6. 2000	13/92/2000
35.	मै० पशुपति नाथ सिन्थेटिक्स प्रा. लि०, 102, इन्द्रा मार्केट, भीलवाडा राजस्थान	आरजे/ 9015	1. 8. 98से 23. 6. 2000	13/9[illegible]/2000
36.	मै० बोनस सूटिंग्स प्रा. लि०, 30, भीलवाडा, टैक्सटाईल मार्केटपुर रोड, भीलवाडा	आरजे/ 9017	1. 1. 98से 23. 6. 2000	13/94/2000
37.	मै० ओसोको सूटिंग्स प्रा. लि०, विलेज रायसिंहपुरा, जिला भीलवाडा, 14, कि. मी. स्टोन अजमेर रोड पो. ओ. मण्डल	आरजे/ 9676	1. 3. 99से 23. 6. 2000	13/95/2000
38.	मै० शारदा स्पनटैक्स प्रा. लि०, लक्ष्मी भवन बाजार न. 3, भोपाल गंज, भीलवाडा	आरजे/ 12011	1. 1. 2000से 23. 6. 2000	13/9[illegible]/2000
39.	मै० जितेन्द्र सिन्थेटिक्स प्रा. लि०, पहली मंजिल लक्ष्मी भवन, बाजार न. 3, भीलवाडा	आरजे/ 12012	1. 1. 2000से 23. 6. 2000	13/97/2000
40.	मै० हरियाणा शीट ग्लास लि०, 14, रीको इण्ड. एरिया नीमराणा शाहजहाँपुर, अलवर	आरजे/ 8541	1. 6. 99से 23. 6. 2000	13/12/99
41.	मै० निप्पो इनोवेशन्स (प्रा.) लि०, ई-367, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सीतापुरा जयपुर	आरजे/ 9186	1. 3. 99से 23. 6. 2000	13/24/2000

अनुसूची–I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो जो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवंश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसके स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवंश उस नियम तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के किए गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

एस रघुराम

(एस० रघुराम)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

रक्षा मंत्रालय

छावनी बोर्ड, बैरकपुर

दिनांक अप्रैल, 2001

का0नि0आ0 जी0/1/35प0.................. जैसा कि बैरकपुर छावनी क्षेत्र में गृह कर के सुधार के संबंध में एक सूचना प्रकाशित किया गया । छावनी बोर्ड के भाग 61, अधिनियम 1924 [2 का 1924] के अनुसार छावनी सूचना संख्या जी0/1/35प0/109 दिनांक 29 सितम्बर, 2000 को, इससे प्रभावित होनेवाले सभी लोगों से सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किया गया ।

और जबकि कथित अवधि के भीतर छावनी बोर्ड द्वारा जनता से कोई आपत्ति अथवा सुझाव नहीं प्राप्त हुए ।

अतः जबकि छावनी अधिनियम 1924 [2 का 1924] की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फिर एक सूचना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय संख्या का0नि0आ0जी0/1/35प0/भारत के राजपत्र में भाग III, खण्ड-4 दिनांक 14 जनवरी, 1989 में प्रकाशित किया गया । छावनी बोर्ड बैरकपुर केन्द्र सरकार के पूर्व स्वीकृति के बाद बैरकपुर छावनी सीमा के भीतर अधोलिखित अनुसूची में दर्शित दरों पर गृह कर लगाने का प्रस्ताव रखता है

अनुसूची

वार्षिक भाटक मूल्य रुपयों में				प्रस्तावित दर
रु0 0	से	रु0	3000/-	8 प्रतिशत
रु0 3001	से	रु0	6000/-	9 प्रतिशत
रु0 6001	से	रु0	10000/-	12 प्रतिशत
रु0 10001	से	रु0	15000/-	13 प्रतिशत
रु0 15001	और	ऊपर		16 प्रतिशत

अनुमित्रा रथ
अनुमित्रा रथ
छावनी अधिशासी अधिकारी
बैरकपुर

फाईल सं0 362581/विकेपि/एलसी3/11]

का0मि0आ0 जी0/1/35ए0 .... जैसा कि बेरकपुर छावनी बोर्ड के क्षेत्र में सफाई कर के सुधार के संबंध में एक सूचना प्रकाशित किया गया। छावनी बोर्ड के भाग 61, अधिनियम 1924 (2 का 1924) के अनुसार छावनी सूचना संख्या जी0/1/35ए0/110 दिनांक 29 सितम्बर 2000 को, इससे प्रभावित होनेवाले सभी लोगों से सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किया गया।

और जबकि कथित अवधि के भीतर छावनी बोर्ड द्वारा जनता से कोई आपत्ति अथवा सुझाव नहीं प्राप्त हुए

अत: जबकि छावनी अधिनियम 1924 (2 का 1924) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फिर एक सूचना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय संख्या का0मि0आ0 जी0/1/35ए0 भारत सरकार के राजपत्र में भाग III, खण्ड-4 दिनांक 14 जनवरी 1989 में प्रकाशित किया गया। छावनी बोर्ड, बेरकपुर केन्द्र सरकार के पूर्व स्वीकृति के साथ बेरकपुर छावनी सीमा के भीतर अधोलिखित अनुसूची में दर्शित दरों पर सफाई कर लगाने का प्रस्ताव रखता है

अनुसूची

वार्षिक भाटक मूल्य रुपयों में	प्रस्तावित दर
रु0 0 से रु0 3000/-	6 प्रतिशत
रु0 3001/- से रु0 6000/-	7 प्रतिशत
रु0 6001/- से रु0 10000/-	8 प्रतिशत
रु0 10001/- से रु0 15000/-	9 प्रतिशत
रु0 15001/- और ऊपर	10 प्रतिशत

सुमित्रा रथ

सुमित्रा रथ
छावनी अधिशासी अधिकारी
बेरकपुर

फाईल सं0 36258I/विकेपि/एल0सी03/II (

न्यायमूर्ति के वेंकटस्वामी जाँच-आयोग,
सम्मेलन कक्ष (ङ), विज्ञान भवन सौध,
मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली - 110011.

जाँच-आयोग (केन्द्रीय) नियम, 1972 के नियम 5(2) (ख) के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना

जबकि "ऑपरेशन वेस्ट एण्ड" के नाम से तहलका. कॉम द्वारा जारी वीडियोटेपों और प्रतिलिपियों में कुछ आरोप लगाए गए हैं; जिसके बाद इस मसले का समाचार-पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ

जबकि, ये आरोप, उस तरीक़े को प्रतिकूल रूप से प्रतिबिंबित करने की ओर प्रवृत्त हैं जिससे, अभिकथित रूप से अवैध लाभ कमाने और बाहरी लिहाज़ों से केन्द्रीय सरकार का रक्षा से संबंधित सामान मँगवाया गया है और अन्य सौदे किए गए हैं ;

जबकि इन आरोपों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर दिए जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न संदेहों और संशयों के मद्देनज़र, इस मसले की पूरी जाँच करवाई जानी आवश्यक समझी जाती है ;

जबकि जाँच-आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने दिनांक मार्च 24, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 266 (अ) द्वारा निम्नलिखित मसलों के संबंध में जाँच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की दृष्टि से भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी का एकल सदस्यीय जाँच-आयोग नियुक्त किया :

(क) इस बात की जाँच करना कि क्या उक्त वीडियोटेपों और प्रतिलिपियों में संदर्भित रक्षा से संबद्ध और अन्य सामान मँगवाने से संबंधित सौदे निर्धारित प्रक्रियाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं के अनुसार किए गए हैं;

(ख) इस बात की जाँच करना कि क्या सामान मँगवाने के उपर्युक्त किसी भी सौदे में जैसा कि आरोप है, सरकारी कार्यालय के व्यक्तियों द्वारा, व्यक्तियों द्वारा और किसी अन्य संगठन द्वारा अवैध रूप से लाभ कमाया गया है और यदि हाँ, तो कितना ;

(ग) उन व्यक्तियों के संबंध में [illegible] कार्रवाई सुझाना जो ऊपर उप खण्ड (क) में संदर्भित सौदों के संबंध में [illegible] और/अथवा अकृत्य के बारे में आयोग द्वारा उत्तरदायी पाए जाएँ;

(घ) इन आरोपों के लगाए जाने से संबंधित सभी पहलुओं और ऊपर उप खण्ड (क) और (ख) में संदर्भित किसी भी कृत्य, अकृत्य अथवा सौदे से उद्भूत अथवा संबद्ध अथवा आनुषंगिक किसी भी अन्य मसले की जाँच करना ।

अब, उपर्युक्त आयोग जाँच की विषय वस्तु से परिचित सभी व्यक्तियों को इसके ऊपर उल्लिखित मसलों के बारे में बयान पेश करने के लिए आमंत्रित करता है । चूँकि उपर्युक्त आयोग का कार्यकाल समय विशेष से आबद्ध है अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि उपर्युक्त बयान 08.05.2001 को अथवा उस से पहले उपर्युक्त आयोग में पहुँच जाएँ ।

प्रत्येक बयान के साथ, उसमें दिए गए तथ्यों के बारे में एक शपथ-पत्र भेजा जाए । उपर्युक्त शपथ-पत्र में न्यायमूर्ति के. वेंकटस्वामी जाँच आयोग (प्रक्रिया-विनियम) आदेश, 2001, इसके बाद आदेश कहे जाने वाले "आदेश" के प्रावधानों विशेषतः खण्ड 12 से 22 तक के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाए । उपर्युक्त खण्ड 12 से 22 तक के प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

"12. आयोग द्वारा आमंत्रित किए जाने पर अथवा अन्यथा दायर कोई भी शपथ-पत्र प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा शपथ दिलवाने के लिए अधिकृत किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो ।

13. शपथ-पत्र सहित बयान, पावती के अधीन व्यक्तिगत रूप से अथवा वकील अथवा विधिवत् प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि के माध्यम से पंजीयक अथवा उस के द्वारा प्राधिकृत किसी कर्मचारी को कार्यालय-समय के दौरान पेश किया जाए अथवा पावती वाली पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाए ।

14. इस तरह दायर बयान और उन के साथ भेजे जाने वाले शपथ-पत्र अंग्रेज़ी में हों । फिर भी, यदि वे किसी अन्य भाषा में हों तो उन का अंग्रेज़ी भाषा में सही और सत्यापित अनुवाद भी साथ भेजा जाए जिसे प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा शपथ दिलवाने के लिए अधिकृत किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा बयान/शपथ पत्र के अंग्रेज़ी अनुवाद का सही होना अधिप्रमाणित हो ।

15. प्रत्येक विषय वस्तु से संबंधित [illegible] तथ्य के बयान अलग अलग पैराग्राफों में हो ।

16. उपर्युक्त शपथ-पत्र, प्रथम पुरूष में तैयार किया जाए और इसे क्रमांक-वार पैराग्राफों में विभक्त किया जाए । उपर्युक्त शपथ-पत्रों के आरम्भिक पैराग्राफ़ों में अभिसाक्षी के विवरण, व्यवसाय, डाक-पता और आवास के सही स्थान का उल्लेख हो ।

17. प्रत्येक शपथ-पत्र के अंत में, निम्नलिखित ढंग से सत्यापन किया हुआ हो :

> "सत्यापित किया जाता है कि उपर्युक्त बयान/शपथ-पत्र के पैराग्राफ..... में दिया गया बयान मेरी वैयक्तिक जानकारी के अनुसार सही है और पैराग्राफ ..... में दिए गए बयान, प्राप्त जानकारी के अनुसार सही हैं और विश्वास है कि वे सही हैं ।

18. प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा जिस प्राधिकारी के समक्ष उपर्युक्त शपथ-पत्र से संबंधित शपथ ली गई हो वे निम्नलिखित पृष्ठांकन करें :-

> "अभिसाक्षी द्वारा मेरे समक्ष शपथ ली गई जिसकी मेरी संतुष्टि के अनुसार..... द्वारा पहचान की गई अथवा जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ । पूरा शपथ-पत्र पढ़ कर अभिसाक्षी को सुना दिया गया जिस ने इसका सही होना स्वीकार करने के उपरांत वर्ष 2001 के ..... के इस ..... दिन ..... इस पर हस्ताक्षर किए हैं ।"
>
> मजिस्ट्रेट/प्राधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर"

19. यदि बयान में निहित जानकारी किसी दस्तावेज़ अथवा अभिलेख से ली गई हो तो ऐसे दस्तावेज़ों का ब्योरा और उनका स्वरूप बताया जाए तथा उस व्यक्ति के बारे में बताया जाए जो ऐसे दस्तावेज़/अभिलेख जिसकी अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में हों एवं ऐसी जानकारी का स्रोत भी उजागर किया जाए । यदि बयान का कोई भाग, अभिसाक्षी द्वारा प्राप्त जानकारी पर आंधारित हो तो, वह ऐसी जानकारी का स्रोत भी उजागर करे ।

20. अभिसाक्षी, बयान के साथ-साथ ऐसे दस्तावेज़ों की सूची दायर करे, वह जिन पर भरोसा करने का इरादा रखता हो । वह उन साक्षियों के पूरे विवरण और पतों सहित उनकी सूची भी दायर करे । अपने बयानों के समर्थन में वह जिनकी

जाँच-पड़ताल करना चाहता हो और उसके साथ वह उन तथ्यों का सार भी दायर करे जिन के बारे में साक्षी अपना साक्ष्य देने वाले हों । अभिसाक्षी प्रत्येक साक्षी के नाम के आगे संक्षेप में वह तथ्य बताए जो साक्षी अपनी जाँच-पड़ताल में साबित करने वाला हो और यह भी बताए कि मौखिक परीक्षण के स्थान पर, शपथ-पत्र पर उसका परीक्षण पर्याप्त क्यों नहीं रहेगा ।

21. बयान/शपथ-पत्र दायर करने वाला कोई भी पक्ष अथवा व्यक्ति, उसकी चार-चार प्रतियाँ दायर करे । यदि बयान/शपथ-पत्र अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में दायर किए जाएँ तो उनके सही और सत्यापित अनुवाद की उतनी ही प्रतियाँ दायर की जाएँ ।

22. किसी दस्तावेज़ पर भरोसा करने वाला कोई अभिसाक्षी, अपने शपथ-पत्र के साथ, ऐसा कोई दस्तावेज़ मूल रूप में अथवा उस दस्तावेज़ की विधिवत् प्रमाणित प्रति दायर करे । यदि ऐसा कोई दस्तावेज़ अभिसाक्षी के पास अथवा उसके नियंत्रण में नहीं हो तो वह उस व्यक्ति का ब्योरा दस्तावेज़ के ब्योरे सहित, उजागर करे जिसकी अभिरक्षा में ऐसा दस्तावेज़ सुलभ हो । यदि उपर्युक्त दस्तावेज़ कोई शासकीय अभिलेख हो तो ऐसा दस्तावेज़ जिस विभाग अथवा अधिकारी की अभिरक्षा और नियंत्रण में हो, उस विभाग/अधिकारी के बारे में बताया जाए ।

उपर्युक्त आदेश की प्रतियां, सम्मेलन-कक्ष (ङ), विज्ञान भवन सौंध, नई दिल्ली - 110011 में अवस्थित उपर्युक्त आयोग के सचिव के कार्यालय (दूरभाष सं. 3022069) से प्राप्त की जा सकती है । इस बारे में कोई भी कठिनाई होने की स्थिति में कृपया उपर्युक्त जाँच-आयोग के पंजीयक/सचिव से सम्पर्क करें ।

उपर्युक्त आयोग के आदेश से

मेरे हस्ताक्षर से और उपर्युक्त आयोग की मुहर के तहत जारी

पंजीयक
वेंकटस्वामी जाँच-आयोग,
सम्मेलन-कक्ष (ङ),
विज्ञान भवन-सौंध,
नई दिल्ली - 110011

STATE BANK OF INDIA
ASSOCIATES & SUBSIDIARIES GROUP
MUMBAI

SBD.No. 2 /2001 March 28, 2001

N.O T I F I C A T I O N

In exercise of the powers under Sub-section (1) of Section 63 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and as approved by the Reserve Bank of India and the Board of Directors of the concerned Associate Banks, the State Bank of India has approved the undernoted amendments to various Regulations of State Bank of Bikaner & Jaipur / Hyderabad / Indore / Mysore / Patiala / Saurashtra / Travancore Officers' Service Regulations, 1979 :-

REGULATION NO. 4
GRADES AND SCALES OF PAY:

1) On and from the 1st December 1990, there shall be the following four grades for officers with the scales of pay specified against each of the grades :

a) Top Executive Grade :
Special Scale I : Rs.7150/- (Fixed Basic Pay)
Scale VII : Rs.6400-150-7000/-
Scale VI : Rs.5950-150-6550/-

b) Senior Management Grade :
Scale V : Rs.5350-150-5950/-
Scale IV : Rs.4520-130-4910-
140-5050-150-5350/-

c) Middle Management Grade :
Scale III : Rs.4020-120-4260-130-4910/-
Scale II : Rs.3060-120-4260-130-4390/-

d) Junior Management Grade :
Scale I : Rs.2100-120-4020/-

REGULATION NO. 4(2)

On and from 1.7.1993, there shall be the following four grades for officers with the scales of pay specified against each of the grades :

a) Top Executive Grade :
Special Scale I : Rs.14,400/- (Fixed Basic Pay)
(Chief General Manager)
Scale VII : Rs.12650-300-13250-350-13600-400-14000
Scale VI : Rs.11450-300-12650

b) Senior Management Grade :
Scale V : Rs.10450-250-11450
Scale IV : Rs.8970-230-9200-250-10450

c) Middle Management Grade :
Scale III : Rs.8050-230-9200-250-9700
Scale II : Rs.6210-230-8740

d) Junior Management Grade :
Scale I : Rs.4250-230-4940-350-5290-230-8050

REGULATION NO. 4(3)

Nothing in sub-regulations (1) and (2) shall be construed as requiring the Bank to have at all time, officers serving in all these grades.

REGULATION NO. 5(1)
INCREMENTS :

Subject to the provision of Regulation 4(2), on and from 1.11.1992, the increments shall be granted subject to the following sub-clauses:-

a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

b) Officers in Scale-I and Scale-II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government.

c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs.230/- each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs.250/- for officers in the last stage of Scale III.

Provided that on and from 1.11.1994 officers in substantive scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment.

NOTE:

Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

REGULATION NO. 5(2)

An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination on or after the appointed date.

Explanation I :

In the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

Explanation II :

a) On and from 1.11.1987 officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under :

Those who have passed only Part I of CAIIB

i) Rs.100/- p.m. after one year of which Rs.75/- shall rank for superannuation benefits.

Those who have passed both Parts of CAIIB

i) Rs.100/- p.m. after one year, of which Rs.75/- shall rank for superannuation benefits.

ii) Rs.250/- p.m. after two years, of which Rs.200/- shall rank for superannuation benefits.

(b) On and from 1.11.1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as under:-

Those who have passed only Part I of CAIIB

i) Rs.120/- p.m. after one year on reaching top of the scale.

Those who have passed both Parts of CAIIB

i) Rs.120/- p.m. after one year on reaching top of the scale.

ii) Rs.300/- p.m. after two years, on reaching top of the scale.

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal Allownce in terms of Regulation 5.3(b) shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

NOTE:

i) If an officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).

ii) On and from 1.11.94 revised Professional Qualification Allowance shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and Superannuation Benefits.

REGULATION NO. 5(3)

(a) All officers who are in the bank's permanent service as on 1st November, 1993 will get one advance increment in the scale of pay. Officers who are on probation on 1st November, 1993 will get one advance increment one year after confirmation.

NOTE:

There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

(b) An officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st November 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from 1st November 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st November 1993, plus house rent allowance, at such rates as applicable in terms of Regulation 22. The Fixed Personal Allowance given hereunder together with House Rent Allowance, if any, shall remain frozen for the entire period of service:

Increment Component	DA as on 1.11.1993	Total F.P.A. payable where bank's accommodation is provided
(A)	(B)	(C)
Rs.	Rs.	Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

NOTE:

i) F.P.A. as indicated in (c) above shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

ii) F.P.A. for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A) + (B) + House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in Regulation 4 is earned.

iii) Professional Qualification Allowance, if any, payable in the year of receipt of F.P.A shall stand shifted to next year.

iv) The increment component of Fixed Personal Allowance shall rank for superannuation benefits.

c) An Officer who has earned this advance increment shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance as mentioned in (b) above, one year after reaching the maximum of the scale.

REGULATION NO. 12

OPTION FOR EXISTING OFFICERS :

(1) Notwithstanding anything contained in these regulations, an existing officer shall have the option to continue even after the appointed date in the scale of pay applicable to him immediately before the appointed date by communicating to the Bank within 30 days of the receipt of the intimation regarding his fitment in the new scale of pay.

Provided that such option shall continue to have effect only till the officer is promoted to a scale in the scales of pay set out in regulation 4 higher than the scale of pay to which the scale of pay under his entitlement immediately before the appointed date corresponds in accordance with regulation 7.

(2) Save as provided in sub-regulation (3), where an existing officer has exercised such option, he shall continue to draw pay and allowance according to his entitlement in the service of the Bank immediately prior to the appointed date.

Provided that the dearness allowance payable to such officers shall be payable under the formula applicable before the appointed date together with the adhoc amount payable before that date and not on the lines of the notional dearness allowance taken for the purpose of fitment in the new scales.

Provided further that, in any case, the existing officer shall not be eligible for the perquisites under such entitlement but shall be entitled only to such perquisites as are admissible to him under these regulations.

(3) Any officer who has exercised option referred to in Sub-Regulation (1) and continues to draw pay and allowances according to his entitlement in the service of the Bank immediately prior to the appointed date, in terms of Sub-Regulation (2) shall be allowed to opt for pay and allowances as applicable under these Regulations on and from 1st February 1984. On exercising such option, he will be fitted notionally on the appointed date into the new scale of pay in the manner referred to in Regulation 8 and after granting him the increments he would have received in terms of these Regulations upto 31st January 1984, he shall be fitted in the scale of pay set out in Regulation 4(1) as on 1st February 1984 in accordance with the State Bank guidelines issued thereunder.

Provided that if the aggregate of pay and allowances payable under these Regulations to the officer after fitment as above is lower than the aggregate of pay and allowances that were payable to him as on 31st January 1984 before such fitment, the difference shall be paid to him as a personal allowance which shall be absorbed in the future increments to the extent of 33 1/3% of each such increment or 33 1/3% of the increase in the salary as a consequence of such increment, whichever is lower.

(4) Any officer,

(a) who had exercised option referred to in sub-regulation (1); and

(b) who continued even after the first day of February 1984 to draw pay and allowances applicable to him immediately before the appointed date; and

(c) who continues in regular service of the bank on or after the first day of April, 1997,

may be allowed to opt for pay and allowances as applicable under these regulations on and from the first day of April, 1997. On exercising such option, he will be fitted on the pay in such a manner that the pay as set out in Regulation 4(2) alongwith the dearness allowance payable thereon as on 1.4.1997 is nearest to his existing salary (i.e. pay plus dearness allowance) being drawn in terms of sub-regulation (2) on 31.3.1997.

REGULATION NO. 21(1)
DEARNESS ALLOWANCE:

On and from 1.11.1987, dearness allowance scheme shall be as under:

i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960 = 100.

ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :

i) 0.67% of "Pay" upto Rs.2500/- plus,
ii) 0.55% of "Pay" above Rs.2500/- to Rs.4000 plus,
iii) 0.33% of "Pay" above Rs.4000/- to Rs.4260/- plus,
iv) 0.17% of "Pay" above Rs.4260/-.

REGULATION NO. 21(2)

On and from 1.7.1993, dearness allowance scheme shall be as under :

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 1148 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960 = 100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates:

i) 0.35% of "Pay" upto Rs.4800/- plus,
ii) 0.29% of "Pay" above Rs.4800/- to Rs.7700/- plus,
iii) 0.17% of "Pay" above Rs.7700/- to Rs.8200/- plus,
iv) 0.09% of "Pay" above Rs.8200/-.

NOTE:

i) "Pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

ii) Professional Qualification Allowance shall rank for dearness allowance w.e.f. 1.11.1994.

REGULATION NO. 22

HOUSE RENT ALLOWANCE

1) Where an Officer is provided with residential accommodation by the Bank, on and from 1.11.1994 a sum equal to 4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

2) Where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from 1.11.1992, for House Rent Allowance at the following rates:

	COLUMN I Where the place of work is in	COLUMN II HRA payable shall be
i)	Major "A" class cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government and Project Area Centres in Group "A".	13% of the pay p.m.
ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group "B".	12% of the pay p.m.
iii)	Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above.	10½% of the pay p.m
iv)	Area III	9½% of the pay p.m.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 4% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per Column II above whichever is lower.

NOTE:

i) "Pay" for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments in terms of revised pay scales as on 1.7.1993.

ii) Professional Qualification Allowance shall rank for House Rent Allowance w.e.f. 1.11.1994.

REGULATION NO. 23
OTHER ALLOWANCES:

An officer shall be eligible for the following other allowances :

CITY COMPENSATORY ALLOWANCE

(i) On and from 1.11.93, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place, shall be payable.

PLACES (1)	RATES (2)
a) Places in Area I and in the State of Goa.	4½% of basic pay, subject to a maximum of Rs.335/- p.m.
b) Places with population of 5 lacs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3½% of basic pay, subject to a maximum of Rs. 230/- p.m.

(iii) If he is serving in area to be specified as project area falling in Group A or Group B, a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs. 40/- p.m. or Rs. 25/- p.m. according as the area has been classified as Group A or Group B.

Provided that on and from the first day of April 1997, the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters, figures and words "Rs. 40/- p.m. or Rs. 25/- p.m." the letters, figures and words "Rs. 125/- p.m. or Rs. 100/- p.m." had been respectively substituted.

(iv) If an officer is transferred on and from 1.1.1987 from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college in the former place, a Mid-Academic Year Transfer Allowance of Rs. 150/- p.m. from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

Provided that on and from the first day of April 1997, the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs. 150/- p.m.", the letters, figures and words "Rs. 300/- p.m." had been substituted.

(v) On and from 1.11.1987, if an Officer is deputed to serve outside the Bank he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may in addition to his pay draw a deputation allowance of 12% of pay with a maximum Rs. 700/- and such other allowances as he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place.

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 6% of his pay with a maximum Rs. 350/-.

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishments of the Bank as a faculty member or to Banking Service Recruitment Board shall be eligible for deputation allowance at 6% of his pay with a maximum of Rs. 350/-.

Provided that on and from the first day of April 1997, the provisions of this sub-regulation shall have effect as if, -

(A) for the letters and figures "Rs. 700", the letters and figures "Rs. 1000" had been substituted;

(B) for the letters and figures "Rs. 350" occurring at both the places in first and second proviso, the letters and figures "Rs. 500" had been respectively substituted.

(vii) On and from financial year 1989-90, if he is posted at a branch where books are closed on 31st March and 30th September, a closing allowance of Rs. 150/- is payable for each of the two closings.

Provided that on and from the financial year 1997-98, the provisions of the sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs. 150/-" the letters and figures "Rs.250/-" had been substituted.

(viii) On and from 1.1.1990, if the working hours of an officer during a day are split with minimum interval of two hours, a Split Duty Allowance of Rs. 35/- p.m.

Provided that on and from the first day of April 1997, the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs. 35/- p.m." the letters, words and figures "Rs. 70/- p.m." had been substituted.

REGULATION NO. 24
MEDICAL AID:

(1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely:

a) Medical Expenses:
On and from 1.11.94, reimbursement of medical expenses to an officer in the grade specified in column 1 of the table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limits specified in column 2 thereof:-

TABLE

Grade (1)	Reimbursement limit p.a. (2)
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.1500/-
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.2000/-

NOTE:

i) An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

ii) For the year 1994 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, i.e. November and December 1994.

EXPLANATION:

"FAMILY" of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

b) Hospitalisation Expenses:

i) On and from 1.11.1994, hospitalisation charges shall be ... the extent of 100% in the case of an officer

ii) The Officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Govt. or Municipal Hospital or any private hospital, i.e. hospitals under the management of a Trust, Charitable Institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances, the officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the Bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

iii) On and from 1.11.1994, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 100% in case of an officer and 75% in the case of his family members:

Cancer, Leukaemia, Thalsamea, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Leprosy, Kidney Ailment, Epilepsy, Parkinson's Disease, Psychiatric Disorder and Diabetes.

NOTE: The cost of medicines etc. in respect of domiciliary treatment shall be reimbursed for the period stated in the Specialist's prescription. If no period is stated, the prescription for the purpose of reimbursement shall be valid for a period not exceeding 90 days.

2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalisation etc.) listed in Sub-Regulation (1) above and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalisation. etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the Bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalisation, etc.)

3) Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.

REGULATION NO. 25
RESIDENTIAL ACCOMMODATION:

No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the officer on and from 1.11.1994 a sum equal to 4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less.

Provided that a further sum equal to 1% of basic pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the bank from an officer if furniture is provided at such residence.

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.

REGULATION NO. 32
CASUAL LEAVE

(2) Casual leave not availed of in any year may be suffixed or prefixed to sick leave in the following year.

Provided that Casual Leave not availed of in the year 1997 or in any subsequent year may be suffixed or prefixed to sick leave in the following three years.

REGULATION NO. 41
MODE OF TRAVEL AND EXPENSES ON TRAVEL:

4) On and from 1.6.1995 an officer in the Grades/ Scales set out in column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof:

T A B L E

Daily Allowance (Rs.)

Grades/Scale of Officers	Major "A" Class Cities	Area I	Other Places
Officers in Scale IV & above	250.00	200.00	175.00
Officers in Scale I/II/III	200.00	175.00	150.00

Provided that:

a) Where the total period of absence is less than 8 hours but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

b) Officers in various Grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in ITDC Hotels, subject to the limits as given below:

Boarding Charges (Rs.)

Grades/Scales of officers	Eligibility to stay	Major "A" Class Cities	Area I	Other Places
Scale VI & VII	4 Star Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale IV & V	3 Star Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale II & III	2 Star Hotel (Non-AC)	200.00	175.00	150.00
Scale I	1 Star Hotel (Non-AC)	200.00	175.00	150.00

c) The Board may prescribe reimbursement of additional limit in excess of the limits prescribed in proviso (b) above, in accordance with the guidelines of the Government/SBI.

d) Where lodging is provided at bank's cost/ arranged through the bank free of cost, 3/4th of the Halting Allowance will be admissible.

e) Where boarding is provided at bank's cost/ arranged through the bank free of cost, ½ of the Halting Allowance will be admissible.

f) Where lodging and boarding are provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, ¼th of the Halting Allowance will be admissible. Where, however, an officer claims boarding expenses on a declaration basis without production of bills for actual expenses incurred, then he shall not be eligible for ¼th of the Halting Allowance.

g) A supplementary diem allowance of Rs.10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

EXPLANATION:

For the purpose of computing Halting Allowance "per diem" shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, "per diem" shall mean a period of not less than 8 hours.

REGULATION NO. 45(2)(i)

On and from 1.7.1993 but before 1.4.1997, an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits -

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 4250/- p.m. to Rs. 6210/- p.m.	3000 kgs.	1000 kgs.
Rs. 6211/- p.m. & above	Full wagon	2000 kgs.

REGULATION NO. 45(2)(i)(a)

On and from the first day of April 1997, an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 4250/- p.m. to Rs. 6210/- p.m.	3000 kgs.	1500 kgs.
Rs. 6211/- p.m. & above	Full wagon	2500 kgs.

REGULATION NO. 45(3)

On and from 1st January 1987 but before 1.4.1997, an officer on transfer will be eligible to draw a lumpsum amount as indicated below for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage etc.

Grade	Lumpsum
Top Management and Senior Management	Rs. 1500/-
Middle Management and Junior Management	Rs. 1000/-

Regulati No. 45(3)(a)

On and from the first day of April, 1997, an officer on transfer will be eligible to draw a lumpsum amount as indicated below for

REGULATION NO. 48
PROVIDENT FUND AND PENSION:

1) Every officer shall become a member of the Provident Fund constituted by the bank, unless he is already a member of that Fund and shall agree to be bound by the rules governing such fund.

2) The Provident Fund rules framed shall provide that on and from 1.11.1993-

a) in case of an officer governed by the Pension Scheme, contribution to the Provident Fund shall be made only by the officer at the rate of 10% of pay without any matching contribution on the part of the bank.

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 1.7.1993 to 31.10.1993 shall be made.

b) in case of an officer not governed by the Pension Scheme, contribution to Provident Fund by the Officer and a matching contribution by the bank shall be made at the rate of 10% of pay.

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 1.7.1993 to 31.10.1993 shall be made.

3) Officers joining the bank's service on or after 29.9.1995 shall be governed by the Pension Scheme.

Provided that the following categories of officers shall not be covered by the Pension Scheme:

a) an officer who was in service of the bank prior to 29.9.1995, unless he has specifically exercised an option to become member of the Pension Scheme in response to bank's notice to that effect.

b) an officer who is recruited on or after 29.9.1995 at the age of 35 years and above, and who has elected to forego his right to Pension in terms of the Pension Scheme.

NOTE:

"Pay" for the purpose of Provident Fund shall mean basic pay including Stagnation Increments, Officiating Allowance, Professional Qualification Allowance and increment component of Fixed Personal Allowance.

REGULATION NO. 49

GRATUITY:

(1) Every officer, shall be eligible for gratuity on:

a) retirement

b) death

c) disablement rendering him unfit for further service as certified by a medical officer approved by the Bank.

d) resignation after completing ten years of continuous service; or

e) termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service.

2) The amount of gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 months' pay.

Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years.

Provided further that pay for the purpose of Gratuity for an officer who ceased to be in service during the period 1.7.1993 to 31.10.1994 shall be with regard to scale of pay as specified in sub-regulation (1) of regulation 4.

NOTE:

If the fraction of service beyond completed years of service is 6 months or more, gratuity will be paid pro-rata for the period.

By the Order of the Central Board

(D.P. ROY)
Dy.Managing Director &
Group Executive (A&S Group)

CENTRAL BANK OF INDIA
PRS (LEGAL) DEPARTMENT, CENTRAL OFFICE,
CHANDER MUKHI, NARIMAN POINT
MUMBAI - 400 021.

DATE : 28/2/2001

No.CO:PRS:LEGAL:MISC-3580:SAK:2k-01: In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of CENTRAL BANK OF INDIA in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the CENTRAL BANK OF INDIA Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976 namely :-

1. (i) These Regulations may be called the CENTRAL BANK OF INDIA Officer Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 2001.

(ii)They shall come into force on the date of their publication in the "Official Gazette".

2. In the CENTRAL BANK OF INDIA Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976 :

(i) in regultion 3, for sub-regultion (1), the following shall be substituted, namely :-

> "(1) Every Officer employee shall, at all times take all possible steps to ensure and protect the interests of the Bank and discharge his duties with utmost integrity, honesty, devotion and diligence and do nothing which is unbecoming of an officer employee".

(ii) in Regulation 3, after sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely :-

> "Provided wherever such directions are oral in nature the same shall be confirmed in writing by his superior official".

(iii) in Regulation 6, in sub regulation (1), for the existing proviso, the following shall be substituted, namely :

> "Provided that an officer employee may, without such sanction undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic, scientific, professional, cultural, educational, religious or social character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer but he shall not undertake or shall discontinue such work if so directed by the competent authority after recording reasons for the same".

(iv) in regulation 6, for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely :-

"(4) No officer employee shall accept any payment, in the form of fee, remuneration, honorarium and the like in cash or kind for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the competent authority"

(Shri S.K. Gupta)
General Manager (P)
Central Office.

Foot Note :

The amendments carried out earlier in the above regulation were Gazetted as per detail given below :-

Notification Number :-

1. GSR No. 46 dated the 11th day of November, 2000.
2. GSR No. 51 dated the 16th day of December, 2000.

BANK OF MAHARASHTRA
HEAD OFFICE
PUNE.

Pune dt.24th March 2001

No.F.AXI/ST/DM/ 2001- In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Maharashtra in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend further the Bank of Maharashtra Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 namely:-

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

(1) These Regulations may be called Bank of Maharashtra Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment) Regulations, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bank of Maharashtra Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976, in regulation 6 for sub-regulation (2), the following Sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an officer employee, it may itself inquire into, or appoint any other person who is, or has been, a public servant (hereinafter referred to as the Inquiring Authority) to inquire into the truth thereof.

Explanation- When the Disciplinary Authority itself holds the inquiry any reference in Sub-regulation (8) to sub-regulation (21) to the Inquiring Authority shall be construed as reference to Disciplinary Authority.

Foot Note:- The amendments to the Principal Regulations were published in the Gazette as per details given below:

S.No	Notification No.	Dated
	NIL	

Deputy General Manager

POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, CHANDIGARH

Memo No. E3/NF/2001/PGI/4990 Dated : 30.3.2001

G.S.R. - In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 32 of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 (51 of 1966), the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Regulations, 1967, namely :-

1. (1) These Regulations may be called the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Amendment) Regulations, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Regulations, 1967, in Regulation 11, after item (8), the following shall be inserted namely :-

"(8A) The Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh."

By the authority of the Institute

Sharma

(S.K. Sharma)
Director

UNIT TRUST OF INDIA

MUMBAI

UT/DBDM/ R-65/SPD-53/2000-2001 **20th March 2001**

The offer document of the Unit Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies (CRTS), 1981 formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963(52 of 1963) incorporating modifications for conforming to SEBI Regulations as approved by the Executive Committee at its meeting held on 15th December 1999, and reported to the Executive Committee at its meeting held on 21st November 2000 is published herebelow

S D KELAPURE
DEPUTY GENERAL MANAGER
BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKETING

UNIT TRUST OF INDIA

THE UNIT SCHEME FOR CHARITABLE AND RELIGIOUS TRUSTS AND REGISTERED SOCIETIES (CRTS), 1981

OFFER DOCUMENT

CRTS-81

The Unit Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies (CRTS), 1981 has been formulated under section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) by the Board of Trustees of the Board). This offer document sets forth concisely the information about the scheme that a prospective investor ought to know before investing. The offer document should be retained for future reference

The details of Statutory Provisions and benefits given in the offer document are general and indicative and are not exhaustive nor any particular investor specific.

The scheme particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, as amended till date, and filed with SEBI. The units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the offer document.

Objective of the Scheme

This is an open-end income oriented scheme. The scheme aims at catering to the investment needs of charitable religious, educational trusts and similar institutions to provide them an investment vehicle to avail of tax exemption and also to have regular income.

HIGHLIGHTS

1. An open-end income oriented scheme.
2. Open to charitable trusts/religious trusts/educational trusts/schools/colleges universities non profit making companies/registered societies/any other body either established under or controlled by a State or Central Act for charitable purpose.
3. The face value of each unit is Rs. 100/-.
4. Minimum investment is Rs. 10,000/- with subsequent minimum investment of Rs 1 000 - in a folio or such other amount as may be prescribed by the UTI from time to time
5. Currently, sale will be at NAV to be declared on a weekly basis
6. Repurchases made within the first, second and third year from the date of acceptance of investment shall be at a price not lower than 97%, 98% and 99% of the NAV per unit respectively Currently repurchases made after three years will be at NAV Partial repurchase allowed subject to member holding a minimum balance of Rs 10.000/- in a folio.
7. Option for reinvestment of income distribution at NAV/NAV based price
8. Units are approved securities under section 11 (2) (b) of the Income Tax Act, 1961 Eligible Trusts investing in units will, therefore, qualify for tax exemption in respect of income and corpus under sections 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.
9. Units are one of the Trustee securities under the Indian Trusts Act, 1882 and are covered by section 20 (ee) of the said Act.
10. Currently, income distribution, if any, received by all the categories of members under all the schemes/plans of the Trust is totally free from tax under Section 10(33) of the Income Tax Act, 1961.
11. Under the current tax laws, there is no deduction of tax at source from income distribution by UTI, for all categories of members, irrespective of the amount of income received by an member from the scheme
12. As per Finance Act 2000, the scheme, is required to pay an income distribution tax at the rate of 20% and surcharge of 10% thereon on the amount of income, if any, distributed by it after 01 06.2000 as per Section 115R of the Income Tax Act, 1961.

II. DUE DILIGENCE CERTIFICATE

Due Diligence Certificate submitted to SEBI for The Unit Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies (CRTS), 1981.

It is confirmed that:

I. the draft offer document forwarded to Securities and Exchange Board of India is in accordance with the SEBI (MFs) Regulations, 1996 and the guidelines and directives issued by SEBI from time to time;

II. all legal requirements connected with the launching of the scheme as also the guidelines, instructions, etc issued by the Government and any other competent authority in this behalf, have been duly complied with,

III the disclosures made in the offer document are true, fair and adequate to enable the investors to make a well informed decision regarding investment in the proposed scheme,

IV all the intermediaries named in the offer document are registered with SEBI and till date such registration is valid

sd/-

Date 17.01.2000
Place Mumbai

Ajeet Prasad
Compliance Officer

Seal

III. DEFINITIONS

In this scheme, unless the context otherwise requires

1 "Acceptance date" or "date of acceptance" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units issued by the Unit Trust of India means the day on which the Trust after being satisfied that such application is complete in all respects, accepts the same In the event of NAV of the scheme is switched to daily basis, the acceptance date in respect of the applications received at the franchise office/chief representative collection centres or any other authorised centre as may be decided by the Trust from time to time will be as prescribed by the UTI from time to time but not beyond the 5th working day (T+5) from the date of receipt(T) of such application at a franchise office/chief representative collection centre or other authorised centre,

2 The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963),

3 "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme,

4 "Charitable purpose" includes relief for the poor, education, medical relief, and the advancement of any other object of general public utility not involving carrying on of any activity for profit,

5 "Educational Trust" means any Trust established under any law for the time being in force (not being a Private Trust) for the purposes of contributing towards education both mental and physical,

6 "Member" used as an expression under the scheme shall mean and include the applicant who has been allotted units under the scheme 'Member" also means "Unitholder" including the person holding units in the depository mode and both the expressions could be read synonymously,

7 "Net distributable income" means income after charging all expenses, contributions, prior years adjustments and all provisions, whether charged to revenue account or not,

8 "Number of units deemed to be in issue means the number of units issued and remaining outstanding,

9 "Non-profit making companies" shall mean companies set up under Section 25 of the Companies Act, 1956,

10 "Registered Society" shall mean a society registered under the Societies Registration Act of 1860,

11 "Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrar under the scheme, from time to time,

12 "Regulations' means the Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act,

13 "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

14 "SEBI (MFs) Regulations" means the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 framed by SEBI in exercise of powers conferred under Securities and Exchange Board of India Act, 1992 as amended from time to time,

15 "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees One Hundred in the unit capital pertaining to this scheme,

16 "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units issued under the scheme and outstanding for the time being,

17 "UTI" or "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act,

18 All other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations;

19 Words importing singular shall include the plural

IV. RISK FACTORS

1 Mutual Funds and securities investments are subject to market risks and the NAV of the units issued under the scheme may go up or down depending on the factors and forces affecting the financial markets

2 Performance of previous schemes/plans is not necessarily an indication of future results There is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be achieved

3 Realisation of all the assurances and promises, if any, made are subject to the laws of the land as they exist at relevant point of time

4 The Unit Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies (CRTS), 1981 is only the name of the scheme and does not in any manner indicate the quality of the scheme, its future prospects or returns

5 **Investment in overseas market:** The success of investment in overseas market depends upon the ability of the fund manager in understanding of those market conditions & analysing the information, which could be different from Indian markets As this would involve operations in foreign markets there could be exchange rate fluctuations risk besides market risk

6 **Stock Lending:** It is one of the means of earning additional income for the scheme with least risk The risk could be in the form of non-availability of ready stock for sale during the period the stocks remain lent The scheme would also be exposed to risk

through the possibility of default by the borrower/ intermediary in returning the lent securities. However, the risk would be adequately covered by taking in of suitable collateral from the borrower by the intermediary involved in the process. UTI will have a lien on the collateral. UTI will also have other suitable checks and controls to minimise any risk involved in the securities lending process.

V. UNITS & OFFER

1. This scheme shall be called the Unit Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies (CRTS), 1981.

2. The scheme shall be open ended.

3. The face value of each unit issued under the scheme shall be one hundred rupees.

4. The units under the scheme shall be kept open for sale throughout the year except during book closure period/s not exceeding 15 days in a year. Provided, however the Executive Committee of the Board/ Chairman of UTI may suspend the sale of units under the scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in the stock exchanges and for other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by UTI.

5. **Application for units** :

   (a) Applications for units under this scheme may be made by:

      (i) a charitable or religious trust or an endowment which is administered or controlled or supervised by or under the provisions of any Central or State enactment which is for the time being in force.

      (ii) a registered society.

      (iii) any other body either established under or controlled by a State or Central Act and carrying out any charitable purpose (referred to as specified investors hereinafter).

      (iv) an educational trust.

      (v) a school, college, university.

      (vi) a non profit company set up under section 25 of the Companies Act, 1956.

   (b) Applications for purchase of units shall be made by such persons as are duly authorised in this behalf by the charter of establishment, rules and regulations, etc., governing the specified investors.

   (c) Applications for units shall be accompanied by such documents as the Unit Trust may prescribe in this behalf from time to time.

6. **Minimum amount of investment :**

   i. Application should be made for a minimum of Rs. 10,000/- with subsequent minimum of Rs 1,000/- in a folio or such other amounts the UTI may prescribe from time to time. The unit will be allotted upto three decimal places.

   ii. In case of investment of Rs. 50,000/- and above, the applicant is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and IT Circle office address, if it is having so or inform the UTI after allotment of the same in future.

7. **Statement of account :**

   (a) The Trust shall issue a statement of account to the member. The statement of account will be a valid evidence of admission of the member into the scheme.

   (b) The Trust shall endeavour to send the statement of account within 15 working days from the date of acceptance and in any case not later than 6 weeks from the date of acceptance of an application.

   (c) Every member will receive an updated statement of account each time the any additional purchase or partial repurchase of units is made. A statement of account will be sent by the Unit Trust by post to the address given by the member, and the Unit Trust will not incur any liability for the loss, damage, mis-delivery or non-delivery of the statement of account, so sent.

   (d) The member desirous of having a unit certificate (UC) in exchange of statement of account may write to the Registrar to the scheme. In such cases, the UC will be issued within 7 days from date of receipt of such requests by the Registrar.

   (e) If a statement of account is lost, mutilated, defaced, UTI will be prepared to issue a duplicate on a request in writing or as may be decided from time to time. For issue of a duplicate unit certificate, the member will have to comply with the required procedure as may be prescribed by UTI from time to time.

8. **Transfer/Pledge/Assignment of Units**

   Units issued under the scheme are not transferable/ pledgeable or assignable.

9. **Termination of the scheme**

   (i) This is an open-end scheme. UTI may, however, terminate the scheme and initiate steps to wind it up under the following circumstances:

      (a) if the outstanding unitholding goes below rupees one crore (face value) or

(b) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the scheme to be wound up, or

(c) if 75% of the members of the scheme pass a resolution that the scheme be wound up; or

(d) if the SEBI so directs in the interest of the members of the scheme.

(ii) When the scheme is wound up in pursuance of sub-clause (i) above, the Trust shall intimate SEBI indicating circumstances leading to the winding up of the scheme and also give notice at least a week before the effective date of termination in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai.

(iii) On and from the date of advertisement indicating the termination, UTI shall cease to issue, redeem and cancel units of the scheme and cease to carry on any business activities in respect of the scheme.

(iv) The Board shall call a meeting of the members to consider and pass necessary resolution by simple majority of the members present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the scheme.

(v) The Board or the person authorised under sub-clause (iv) shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the members of the scheme.

(vi) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (v) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up.

(vii) The balance shall be paid to the members in proportion to their respective interest in the assets of the scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(viii) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible but not later than 10 working days after the repurchase slip in the annexed composite services form duly discharged or any other document as may be decided, has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The repurchase request slip and in the Composite Services Form and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

(ix) On completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the members of the scheme a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the members and a certificate from the auditors of the scheme.

(x) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (MFs) Regulations in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue until winding up is completed or the scheme ceases to exist.

(xi) After the receipt of the report referred to in item (ix) above, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

VI. EXPENSES

1. **Initial Issue Expenses :**

(a) Initial issue expenses for the schemes launched during the last financial year 1999-2000 were as follows:

Scheme	Expenses (% of funds collected)
UTI-GSEC	0.32
MIP-99 (II)	2.53
MIP-2000	2.57
ETSP	4.32

(b) The initial issue expenses in respect of Nifty Index Fund launched during the last financial year were borne by the Trust (by charge to DRF) as it was a no load scheme.

2. **Recurring expenses:**

(a) The following estimated recurring expenses will be charged to the scheme on a recurring basis. The estimate is subject to change inter se as per actual expenses incurred.

Items	As % of average weekly NAV
Administrative Expenses	0.75
Publicity, Marketing & Sales Promotion	0.50
Custodial Fees	0.15
Contribution to DRF	0.25
Staff Welfare Fund	0.10
Registrar's Fees	0.50
Total	**2.25**

(b) The total annual recurring expenses of the scheme excluding repurchase expenses but including administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund (DRF) and Staff Welfare Fund (SWF) shall be kept within the following limits :

(i) On the first Rs. 100 crore of the average weekly net assets of the scheme — 2.25%

(ii) On the next Rs. 300 crore of the average weekly net assets of the scheme — 2.00%

(iii) On the next Rs. 300 crore of the average weekly net assets of the scheme — 1.75%

(iv) On the balance of the assets of the scheme — 1.50%

(c) Administrative expenses, contributions to DRF and SWF will not exceed the limits specified under clause 2 of regulation 52 of SEBI (MFs) Regulations, namely:

(I) One and quarter of one percent of the weekly average net assets outstanding in each accounting year for the scheme as long as the net assets do not exceed Rs. 100 crore, and

(ii) One percent of the excess amount over Rs. 100 crore, where net assets so calculated exceed Rs. 100 crore.

3. While UTI does not charge any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (MFs) Regulations, 1996 it will ensure that the annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (MFs) Regulations.

4. **DRF contribution**

(a) A sum equal to 0.25% p.a. of the weekly average Net Asset Value of the scheme shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust. DRF contribution will be part of the recurring expenses of the scheme.

(b) The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular scheme itself. The Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate Image Building efforts that are not connected to any specific scheme, Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust as well as the issue expenses for no-load schemes.

5. **SWF Contribution**

A sum equal to 0.10% p.a. of weekly average Net Asset Value of the scheme shall be set aside as contribution to the Staff Welfare Fund. The Trust has instituted the Staff Welfare Fund for the welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief, health relief or for similar other purposes

VII. SALE OF UNITS

1. **Sale Contract**

(a) The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date except in case application is rejected by UTI under clause VII (3) hereafter mentioned.

(b) The price at which a unit will be sold by the UTI will be hereinafter referred to as "Sale Price". Units will be sold at NAV/NAV based price as may be decided by UTI.

(c) Currently, sale is at NAV declared on weekly basis. The sale price valid for a week (Monday to Sunday) will be currently based on the NAV of the Wednesday of the preceding week. The Trust may however change the periodicity of NAV calculation and fixation of sale and repurchase prices to daily or at such other interval as may be decided from time to time for which an announcement will be made.

(d) On conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant a statement of account evidencing that it is admitted as member of the scheme.

(e) Applications alongwith required documents will be accepted at UTI offices/UTI Bank branches/ Franchise Offices and Chief Representative Collection Centres. Applications for purchase of units shall be accompanied by a certified copy of the bye-laws/the statute/Memorandum and Articles of Association, as the case may be. In case such document is already registered with the UTI it will be sufficient to quote the document registration number.

2. **Mode of Payment :**

(a) Payments for units applied for shall be made by the applicant alongwith the application by

way of a cheque or a draft or cash. Cheques and drafts should be drawn only on branches of banks situated within the city where the UTI branch office/franchise office/chief representative collection centre at which the application is tendered, is situated.

(b) If the payment is made by a cheque/draft, the acceptance of an application will, subject to such cheque/draft being realised, be the date on which the application is received by the UTI branch office/UTI Bank Branch/ franchise offices/chief representative collection centres.

(c) If, the application is for an amount lesser than the minimum investment prescribed under the scheme, such amount shall be refunded to the applicant at its cost in such manner as the UTI may deem fit

3. **Right of the Trust to accept or reject application:**

(a) The UTI shall have the right, at its sole discretion, to accept and/or to reject any application for issue of units under the scheme. The UTI may reject an application for issue of units in the following circumstances:

(i) the application is received with an amount lesser than the minimum prescribed in that regard,

(ii) the application has not been signed by the authorised signatories,

(iii) the applicant is not eligible to invest in the scheme, decision of the UTI about the eligibility or otherwise of an institution to making an application under the scheme shall be final and binding on the applicant,

(iv) the application is found to be incomplete and

(v) the application is without bank particulars.

(b) Refund of the application money in rejected cases will be made by UTI after requisite operational and procedural formalities are complied with without incurring any liability whatsoever for interest or any other sum.

4. **Units accquired under false declaration**

(a) The Member who comes to hold units under a false declaration/certificate shall be liable to have the unitholding cancelled and have its name deleted from the register of members.

(b) In such a case the UTI shall have the right to repurchase the units at par or at NAV, whichever is lower, and deduct therefrom 25% as penalty.

(c) UTI may repurchase units at such price as it may decide and also recover the amount of income distribution, if any, wrongly paid to such member from out of the repurchase proceeds and return the balance. This amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to pay the repurchase proceeds to the member.

VIII. REPURCHASE OF UNITS

1. (a) Repurchase will be open throughout the year except during the book closure period/s not exceeding 15 days in a year.

(b) Currently, repurchases made within a year/two years/three years from the date of acceptance will be at a price not lower than 97%, 98% and 99% of NAV per unit respectively. Currently, repurchases made after three years from the date of acceptance will be at the NAV. For this purpose units standing to the credit of the member's account will be considered to have been repurchased on 'first in first out' basis.

(c) However, the UTI reserves the right to announce such repurchase price which will not be less than 93% of the NAV and the difference between the repurchase and sale price shall not exceed 7% calculated on sale price or as may be prescribed by SEBI from time to time.

(d) UTI will be prepared to repurchase units either partially or fully if the application is otherwise in order. Provided however that where a partial repurchase is made, the member will have to maintain the minimum investment amount to be computed at the repurchase price applicable as on the date of acceptance of the repurchase application. In the case of repurchase of a part of the unit holding UTI will issue a fresh statement of account for the balance of units held by the member.

(e) At the time of repurchase of units, certified copy of the resolution of the concerned governing body authorising repurchase and authorisation of the concerned official(s) to comply with the formalities for repurchase and collect the repurchase cheque will have to be submitted.

2. Subject to the provisions of sub-clauses (1) hereof, the UTI shall on receipt by it of the repurchase request slip or such other instrument as may be prescribed from time to time duly filled in and signed, repurchase all or any part of the units indicated in the statement of account.

3. The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

4. Repurchase proceeds cheque shall be despatched by UTI within 10 working days (provided the application is in order) from the date of acceptance of the repurchase request duly completed together with the requisite documents at the centre where the repurchase requests are processed. In the event of any delay in despatch of the repurchase cheques beyond 10 working days, UTI shall pay interest @ 15% per annum (or at such rate as may be specified by SEBI from time to time) for the period from the 11th working day to the actual date of despatch.

5. **Restrictions on sale and repurchase of units** :

Notwithstanding anything contained in any provision of this scheme, the Unit Trust shall not be under an obligation to sell or repurchase units -

(a) on such days as are not working days; and

(b) during the period/s (not exceeding 15 days in a year) when the register of members is closed for any purpose as notified by UTI.

Explanation: For the purposes of this scheme, the term "working day" shall mean a day which has not been either (a) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the UTI has its Offices; or (b) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the UTI will remain closed.

IX. INCOME DISTRIBUTION

1. The scheme shall distribute a minimum of 75% of the net annual distributable income of the scheme periodically at such rates as may be decided.

2. The UTI may declare interim income distribution/s payable on such date/s or at the end of such period/s as the board may fix and deem fit.

3. Those members whose names appear in the register of members as at the close of the register or the record date shall be entitled to receive such income.

4. The income distributed shall be paid through ECS, wherever such facility is available or by an income distribution warrant (IDW) drawn on such banks as the UTI may decide.

5. The payment of income distribution through ECS or despatch of IDWs shall be made within a period not exceeding 42 days from the date of declaration of the income distribution/ record date or such period as may be prescribed by SEBI.

6. **Reinvestment of income distributed:**

The member may opt for reinvestment of the income distributed by the scheme, if any, in further units of the scheme in which case the whole of the income on its unitholding, after deduction of tax, if any, shall be reinvested at the NAV/NAV based price prevailing on the date of such reinvestment instead of it being paid to the member in the manner provided in Clause IX.(4) hereinabove.

7. **Bank particulars of investors & Electronic Clearing Service:**

(a) It has been made mandatory by SEBI for investor to furnish full particulars of its bank account, such as, nature of account, the account number and name and address of the bank branch along with the pin code and MICR code (if any) at the appropriate place in the application.

(b) Under Electronic Clearing Service introduced by Reserve Bank of India, a facility is being made available to investors at various centres to avoid delay in transit, possibility of fraudulent encashment and the problem of handling physical instruments for direct credit to their bank account at respctive centres, where currently the amount of one single instrument does not exceed Rs. 5,00,000/-. If however, due to any reason it is not possible to effect payment through ECS, UTI may issue IDWs instead.

(c) In such cases the bank branch of the member will credit the member's account and indicate the credit entry with "ECS" in his passbook/ statement of bank account. The member shall be sent a statement of income distribution, giving details of the payment through ECS.

(d) The applicants are advised to furnish name and address of the bank branch, nature and number of account, 9 digit bank and branch MICR code number in their application form.

X. INVESTMENT OBJECTIVES, POLICIES & STOCK LENDING

1. **Investment Objective :**

(a) Investment objective of the scheme is to primarily provide regular income to members of the scheme. Funds collected under the scheme shall generally be invested as follows:

(i) Not less than 70% of the funds in debt instruments including money market instruments of low to medium, risk profile.

(ii) Not more than 30% of the funds in equities and equity related instruments. The risk profile of equity investments could be high.

(b) Minimum and maximum asset allocation:

Debt — Minimum 70% Maximum 100%

Equity — Minimum NIL Maximum 30%

(c) Provided however that depending on the market conditions the fund manager may raise investment in the equity upto 40% of the assets for a period not exceeding six months. As on 30th September, 2000 the equity component in

the scheme's portfolio was 38.44%. It is proposed to bring it down over a period.

(d) No fixed allocation is normally made for money market instruments.

Investment in money market instruments will be kept to the minimum so as to be able to meet the liquidity needs of the scheme. However, pending deployment of funds of the scheme in securities in accordance with its investment objective, as stated above, the UTI may invest in money market instruments.

(e) The UTI retains the option to alter the asset allocation for a short period on defensive considerations

2. **Fundamental Attributes:**

(a) "Fundamental attributes" mean the following.

(i) **Type of scheme:** The Unit Scheme for Charitable and Religious Trusts and Registered Societies (CRTS), 1981 is an open end income scheme.

(ii) **Investment objective:** as indicated under clause X of this offer document.

(iii) **Terms of issue:** provisions in this offer document in respect of repurchase of units and expenses.

(b) Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out if

(i) the existing members are intimated by individual communication,

(ii) an advertisement is given in English daily newspaper having circulation all over India and also in a Marathi newspaper in Mumbai and

(iii) the members are given an option to exit at prevailing NAV without any exit load.

(c) The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette as required in the Act.

(d) Any change/amendment/modification of the fundamental attributes of the scheme will be made with the prior approval of the SEBI. In respect of other changes/amendments/ modifications not being of fundamental nature and not affecting the interest of the investor adversely, SEBI will be kept informed

3. **Investment Policies**

(a) The scheme shall not invest more than 15% of its NAV in debt instruments issued by a single issuer which are rated not below investment grade by a credit rating agency authorised to carry out such activity under the SEBI Act. Such investment limit may be extended to 20% of the NAV of scheme with the prior approval of the Board. Provided that such limit shall not be applicable for investments in government securities and money market instruments.

(b) The scheme shall not invest more than 10% of its NAV in unrated debt instruments issued by a single issuer and the total investment in such instruments shall not exceed 25% of the NAV of the scheme. All such investments shall be made with the prior approval of the Board.

Provided further that investment within such limit can be made in mortgaged backed securitised debt which are rated not below investment grade by a credit rating agency registered with SEBI.

(c) The existing investments of Rs. 76.53 crore in term loans and other non transferable instruments as on 30th September 2000, will continue to be held in the scheme's portfolio till these investments are fully repaid/sold or disinvested. No fresh investments in term loans/ other non-transferable instruments will be made by the scheme.

(d) The UTI shall, get the securities purchased by it transferred in its name.

(e) The UTI shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance.

(f) (i) The scheme will participate in the stock lending programme, in accordance with the terms of securities lending scheme announced by SEBI. The activity shall be carried out through some approved intermediary.

(ii) The maximum exposure of the scheme to a single intermediary in the stock lending programme at any point of time would be 10% of the market value of the equity portfolio of the scheme.

(iii) If UTI is permitted to borrow stocks the scheme may in appropriate circumstances borrow stocks in accordance with SEBI guidelines in that regard.

(g) The scheme may invest in securities issued by overseas/foreign companies and listed abroad or securities issued by Indian Corporates to foreign/overseas investors and listed on foreign stock exchange directly by subscribing to such issues or purchasing them on the foreign stock exchanges in accordance with the SEBI/RBI guidelines issued in that regard from time to time.

(h) The scheme shall not make any investment in,

(i) any unlisted security of an associate or group company of the Trust, or

(ii) any security issued by way of private placement by an associate or group company of the UTI, or

(iii) the listed securities of group companies of the UTI which are in excess of 25% of the net assets

(i) Investment in non publicly offered debt Depending upon the available yield the scheme would be investing in non-publicly offered debt securities

(j) Based upon the liquidity needs, the scheme may invest in Government of India/State Government Securities without any restriction on the extent to which such investment can be made

(k) The scheme shall invest not more than 10% of its NAV in the equity shares or equity related instruments of any company

(l) The scheme shall not invest more than 5% of its NAV in the unlisted equity shares and equity related instruments

4 Corporate investment in the UTI's Schemes and the UTI's investments in these companies

(i) List of schemes wherein companies have invested more than 5% of the net asset value of a scheme as on **30.06.2000**

Sr. No.	Scheme Name	Name of Company holding more than 5% of scheme assets
1	IISFUS 97	HDFC Hindustan Lever Ltd
2	IISFUS 97(II)	State Bank of India The Peerless General Finance & Investment Co Ltd
3	MIF	The Peerless General Finance & Investment Co Ltd
4	MVUP	S B I IDBI
5	GROWTH SECTOR FUND (BRAND VALUE)	State Bank of Hyderabad
6	GROWTH SECTOR FUND (PHARMA)	The Peerless General Finance & Investment Co Ltd State Bank of Hyderabad
7	GROWTH SECTOR FUND (SOFTWARE)	The Peerless General Finance & Investment Co Ltd
8	G SEC	State Bank of India Bharat Electronics
9	UTI MMF	Bennett Coleman & Co Ltd UTI Bank Ltd Union Bank of India
10	IEF 97	IDBI

(ii) Investment made by the above scheme or any other scheme of UTI in the above companies or their subsidiaries on an aggregate basis as on **30.06.2000**

Rs crore

Company Name	Equity (Cost)	Debt (Cost)	Deposits/ Term Loans	Total
Bharat Electronics	43 10	0 00	0 00	43 10
HDFC	269 00	94 16	0 00	363 16
Hind Lever Ltd	1862 35	0 00	0 00	1862 35
IDBI	346 59	2302 58	0 00	2649 17
IDBI Bank Ltd (Subsidiary of IDBI)	0 63	25 00	0 00	25 63
State Bank of India	587 26	257 27	0 00	844 53
State Bank of Hyderabad	0 00	0 76	0 00	0 76
Union Bank of India	0 00	50 06	0 00	50 06
UTI Bank Ltd	89 12	25 00	0 00	114 12
TOTAL	**3198 05**	**2754 83**	**0 00**	**5952 88**

(ii) Investment made by the above scheme or any other scheme of UTI in the above companies or their subsidiaries on an aggregate basis as on **30.06.1999**

Rs crore

Company Name	Equity (Cost)	Debt (Cost)	Deposits Term Loans	Total
Bharat Electronics	57 90	0 00	0 00	57 90
HDFC	296 00	58 13	0 00	269 00
Hind Lever Ltd	1534 65	0 00	0 44	1535 09
IDBI	355 71	1955 88	0 00	23 59
IDBI Bank Ltd (Subsidiary of IDBI)	1 66	0 00	0 00	66
State Bank of India	763 96	55 12	0 00	6 9 08
State Bank of Hyderabad	0 00	0 76	0 00	0 76
Union Bank of India	0 00	0 00	0 00	0 00
UTI Bank Ltd	89 12	0 00	0 00	89 12
TOTAL	**3099 00**	**2069 89**	**0 44**	**5169 33**

These investments were made by **UTI in the normal course of its business activities**

XI. INTER-SCHEME TRANSFERS

Transfer of investments from/to this scheme to/from other schemes/plans of the UTI shall be done only if –

(a) such transfers are on spot basis and are at the prevailing market price for quoted instruments

Explanation: 'spot basis shall have the same meaning as specified by the stock exchanges for spot transactions

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the schemes/plans to which such transfers has been made, and

(c) transfer of unlisted or unquoted investments from/to the scheme to/from other schemes/plans of the UTI are as per the policies laid down by the Board of the UTI.

XII. ASSOCIATE TRANSACTIONS & BORROWINGS

1 **Associate Transactions**

As advised by SEBI purchase and sale of securities for the scheme through UTI Securities Exchange Ltd. during any block of three months shall not exceed 5% of aggregate purchase and sale of securities made by the scheme.

2 **Borrowings**

(a) The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase, redemption of units or payment of interest or distribution of income to the members Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net asset of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months

(b) As per section 20 of the Unit Trust of India Act, 1963 the Trust has the following borrowing powers

(i) UTI may borrow, whether in India or outside India from any authority or person, not being Government or the Reserve Bank, against such security and on such terms and conditions as may be agreed upon

(ii) UTI may borrow money from the Reserve Bank

(a) repayable on demand or on the expiry of a fixed period not exceeding ninety days from the date on which the money is so borrowed, against stocks, funds and securities (other than immovable property) in which a trustee is authorised to invest the Trust's money by any law for the time being in force in India;

(b) repayable on demand or within a period of eighteen months from the date on which the money is so borrowed, against the security of the bonds which UTI may issue with the approval of the Central Government;

(c) on such terms and conditions and against the security of such other property of the UTI as may be specified in this behalf by the Reserve Bank for the purposes of any scheme other than the first unit scheme:

(iii) Provided that any amount borrowed under this clause and outstanding at any one time shall not exceed:

(a) five crore of rupees in respect of each such scheme, and

(b) ten crore of rupees in respect of all such schemes in the aggregate.

(iv) The bonds issued by UTI under sub-section (ii) of section 20 shall be guaranteed by the Central Government as to the repayment of principal and the payment of interest at such rate as may be fixed by the Central Government at the time the bonds are issued.

XIII. NAV DETERMINATION & VALUATION OF ASSETS

1 **Computation and disclosure of NAV:**

(a) The Net Asset Value of the scheme shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions.

(b) The NAV per unit shall be calculated by dividing the NAV of the scheme by the total number of units issued and outstanding on the valuation date.

(c) The NAV shall be issued to the press for publication on a weekly basis (applicable from next Monday to Sunday with valuation day being the previous Wednesday or such other day as may be decided from time to time).

(d) In case of stock exchange being closed on the valuation day due to public holiday or it is not a working day in State of Maharashtra, the previous working day shall be taken for valuation.

(e) The Trust may switch to calculation of NAV on daily basis or at such intervals as may be decided from time to time. As and when such a change is made an announcement will be made

(f) NAV will also be available on fax on demand and also on Unit Trust of India's Website.

2. **Valuation of assets pertaining to this scheme :**

(a) Quoted investments including those under lock-in period, if any, but except government securities are valued at the closing market rates on the valuation date and in its absence, at the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment.

(b) Quoted government securities are valued at closing NSE/SGL/BSE/OTCEI (as and when they start trading in govt securities) market rates on the valuation date and in its at absence the latest available quote within a period of seven days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of seven days prior to the valuation date the same are treated as *unquoted government securities.*

(c) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any.

(d) Right entitlements for shares are valued at *market rates, discounted for dividend element,* wherever applicable.

(e) Unquoted preference shares/cumulative convertible preference shares are taken at cost.

(f) Unquoted equity shares are valued on fair valuation basis as determined by the Board from time to time.

(g) Unquoted debentures, bonds, term loans and transferable notes are valued at yield to maturity, linked to the yield on GOI Securities (yield curve) along with a mark up approved by the Board of Trustees.

(h) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(i) Unquoted Government Securities are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates.

(j) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds is valued as in (g) above. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is taken at cost.

(k) Capital indexed bonds are valued on cost basis.

(l) **Valuation policies for Money Market Instruments :**

(i) Money market instruments and other assets are taken at book value.

(ii) The money invested in inter bank call market is taken at cost.

(iii) The money invested in discount/interest earning instruments is valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose, the latest available quote within a period of two working days, prior to the valuation date is considered When there are no quotes available in the last two working days, the instrument is valued at cost plus the difference between the face value and the cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument.

(iv) Other money market instruments, including unquoted debentures are valued at cost plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument.

XIV. ACCOUNTING POLICIES

1. **Income recognition :**

(a) *Dividend Income on listed equity shares is* accrued on the ex-dividend date Dividend income on unlisted equity shares and preference shares is accounted on receipt basis.

(b) Interest on investments and other charges is accounted for on accrual basis

(c) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.

(d) Profit or loss and premium on redemption of debenture/bonds are recognised on the due date.

(e) Underwriting commission is recognised as revenue on receipt basis when there is no devolvement. In case of devolvement, the full underwriting commission is reduced from the cost of such investments.

(f) Front-end fee on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments.

(g) The difference between purchase price and the maturity value in respect of zero coupon bonds, deep discount bonds and other long term discounted instruments is treated as income over the remaining life of the instrument on YTM basis.

(h) Other income is accounted for on receipt basis

2. **Expenses :**

(a) Expenses are accounted for on accrual basis

(b) Certain common expenses incurred through Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of the Act.

(c) Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers lease rent, on an approved basis, from other schemes for their usage of the said assets

3 **Investments :**

(a) Investments are stated at cost or written down cost

(b) In case of secondary market transactions investments are recognised on trade dates.

(c) Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.

(d) Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.

(e) Investment viz., debenture/bonds, loans and deposits are transferred to current assets on the redemption/due date

(f) The cost of investments include brokerage and service tax but does not include stamp fees which is charged to revenue.

4 **Provisions and Depreciation :**

(A) *Provisions against the income considered doubtful.*

Provision is made in respect of interest income remaining past due for two quarters or more. Provision is made in respect of dividend at the year end, where it remains outstanding for more than one year from the ex-dividend date.

(B) *Depreciation in the value of investments:*

(i) The aggregate value of investments as computed in accordance with clause XIII(2) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to General Reserve/Unit Premium Reserve. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is added to Unit Premium Reserve/General Reserve to the extent depreciation was previously adjusted.

(ii) In cases where unquoted equity or preference shares, were written off in the earlier years, the cost of such investment is written back to its cost, as and when a quote or fair value is available.

(iii) Assets where interest is remaining past due for two quarters or more are classified as non performing assets Provision for such assets is made individually (as stated in the table below) Such provisions are not made for other performing assets of the same company.

Period for which asset remains non-performing	Percentage of Provision	
	Secured Asset	Unsecured Asset
Upto two years	10%	10%
Exceeding two years but upto three years	20%	100%
Exceeding three years but upto five years	30%	100%
Exceeding five years	50%	100%

(iv) Where principal repayment remains outstanding

(a) for two quarters beyond the past due period in respect of the debt instruments with a balance maturity of not more than 3 years and

(b) for one year beyond the past due period in respect of debt instruments with a balance maturity of more than 3 years, provision is made for such outstanding instalments. The overall provision for such assets is limited to the percentage mentioned in the above table (upto 50% for secured and 100% for unsecured assets) or the amount in default whichever is higher.

Any subsequent instalments in such cases where the original default continues, are provided after 30 days from the respective due dates.

(v) In case of funding of interest by way of capitalisation of outstanding interest dues, the same is provided irrespective of the period of default

(vi) Provisions for non performing assets are charged to Unit Premium Reserve/General Reserve/Revenue Account as the case may be.

(vii) Provisions made under paragraph 4(A) and 4(B) (iv) are written back on receipt or on restructuring of the assets. Provisions under 4(B) (v) are written back on receipt basis.

5. **Income Distribution :**

Provision for income distribution is made on unit capital at rates approved by the Board from time to time.

6. **Publication of Financial Results:**

The unaudited financial results as on 31st December will be published within 2 months and audited annual results as on 30th June will be published

within four months of finalisation of accounts in one English daily and one Marathi daily in Mumbai The portfolio of the scheme will be disclosed every calendar quarter through a press release within 21 days of the end of the quarter

7 **Equalisation :**

As the units are sold/repurchased as NAV related prices, the premium/discount to face value is apportioned as under

(a) Amount equivalent to distributable income/ deficit is credited/charged to revenue

(b) The portion representing management expenses on sale of units is deducted from total expenses

(c) The balance if any, is credited/charged to unit Premium Reserve/General Reserve/Revenue Appropriation Account

8 **Policy Changes**

(a) However, notwithstanding anything contained in respect of clauses X (3) and XIII the investment policies, determination of NAV and valuation of assets, fixation of repurchase price and frequency of disclosure of NAV, repurchase price and portfolio would be in accordance with the provisions of SEBI (MFs) Regulations/ Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time

(b) With effect from 1st January, 2001 valuation of assets/identification and provisioning for NPAs/ accounting policies contained in clauses XIII and XIV hereln above would be in accordance with the guidelines issued by SEBI vide their circular no MFD/CIR/8/92/2000 dt 18th September 2000, subject to such further amendments/regulations/directives, if any, as may be prescribed by SEBI from time to time

XV. TAX TREATMENT OF INVESTMENTS

As per the taxation laws in force as on the date of the offer document, the tax benefits that are available to the investors investing in units of the scheme are stated below :

1 In terms of section 11 of the Income Tax Act, 1961, the income of Charitable or Religious Trusts in any year, is totally exempt from income-tax if at least 75% of the income is spent towards the object of the trust in the same year In other words, the trusts can set apart upto 25% of a year's income for application to charitable or religious purposes in future years, without attracting payment of income tax If the income so set apart in a year is in excess of 25% of that year's income, such 'excess' would attract income-tax However such excess income will be exempted from income tax if it is invested in 'approved securities' mentioned in section 11 (2) (b) of the Income Tax Act The Central Government has declared units of the Unit Trust of India as one of the approved securities Thus, a charitable or religious trust investing its 'excess' funds in units qualifies for exemption from income-tax

2 In terms of section 13 of the Income Tax Act 1961, one of the conditions for being eligible for exemptions under section 11 is that the corpus and other funds of the trust should be invested in specified assets for this purpose Thus a Religious or Charitable Trust can invest both the corpus and excess income in CRTS 1981 to qualify for exemption

3 Units are one of the Trustee securities under the Indian Trusts Act, 1882 These are included in section 20 (ee) of the said Act

4 Currently, income, if any, received by all the categories of members under all the schemes/plans of UTI is totally free from income tax under section 10 (33) of the Income Tax Act 1961

5 Under the current tax laws, there is no deduction of tax at source by UTI in respect of all categories of members, irrespective of the amount/income received by them from the scheme

6 As per Finance Act 2000, the scheme is required to pay an income distribution tax at the rate of 20% and surcharge of 10% thereon on the amount of income distributed, if any, under Section 115R of the Income Tax Act, 1961

The position stated above is only for the purposes of providing general information to the investors. In view of the individual nature of the tax consequences, each investor is advised to consult its own tax consultant with respect to the specific tax implications arising out of its participation in the scheme.

XVI. MEMBERS' RIGHTS & SERVICES

1 Members under the scheme have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of the scheme and to the income, if any, declared by the scheme

2 The members have a right to ask the Board about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the members

3 The members have the right to have the statement of account issued to them not later than 6 weeks from the date of acceptance

4 The members have the right to have the repurchase proceeds despatched to them within 10 working days

(provided the application is in order) from the date of receipt of the application at the office where the repurchase requests are processed. In the event of delay in despatch of repurchase proceeds beyond 10 working days, UTI shall pay interest @ 15% per annum (or such rate as may be specified by SEBI) from the 11th working day to the date of issue of the repurchase cheque/credit through ECS.

5. The members have the right to have IDWs despatched within 42 days from the date of declaration of the income distribution/record date.

6. An abridged annual report in respect of CRTS 81 shall be mailed to all members not later than six months from the date of closure of the relevant accounting year and made available for inspection at the Central Investors' Relation Cell and a copy shall also be made available to the members on request on payment of nominal fee, if any.

7. Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out if the members are allowed to exit at prevailing NAV without exit load, besides being intimated by individual communication and also publishing in one English daily newspaper having nation-wide circulation and in one Marathi newspaper published from Mumbai.

8. Member shall be sent a copy of complete statement of the scheme portfolio before the expiry of one month from the close of each half year. Provided that the statement of the scheme portfolio may not be sent to members if it is published by way of an advertisement in one English daily newspaper circulating in whole of India and one in Marathi news paper in Mumbai

9. Under specified circumstances the approval of members will be sought by Postal Ballot.

10. The members have the right to inspect the following documents at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India SNDT Women's University Basement, Door No.1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai 400 020

- The Act.
- The Regulations
- The agreements with the custodians, registrars and collecting bankers, if any.
- Copy of offer document of CRTS 81.
- SEBI (MFs) Regulations.

XVII. CONSTITUTION & MANAGEMENT OF UNIT TRUST OF INDIA

Constitution of Unit Trust

Unit Trust of India is a statutory corporation constituted under Unit Trust of India Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of Unit Trust

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board with a full time Chairman appointed by the Government of India

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board

Board of Trustees *

1	Shri P S Subramanyam	Chairman Unit Trust of India
2	Shri G P Muniappan	Executive Director Reserve Bank of India
3	Shri G P Gupta	Chairman & Managing Director Industrial Development Bank of India
4	Shri N S Sekhsaria	Managing Director Gujarat Ambuja Cements Ltd.
5	Shri Rajendra P Chitale	Chartered Accountant
6.	Dr Vishvanath V Desai	: Economist
7	Shri G N Bajpai	. Chairman LIC
8.	Shri D T Pai	· Chairman & Managing Director Syndicate Bank
9	Dr Rakesh Mohan	: Director General National Council of Applied Economic Research

*** The addresses and other current Directorships of the Trustees are as follows:**

1 **Shri P S Subramanyam –**

Unit Trust of India, Sir Vithaldas Thackersey Marg, New Marine Lines, Mumbai 400 020

(i) Chairman & Director - The India Fund, (ii) Chairman & Director - India Growth Fund, (iii) Chairman & Director – India Access Ltd. (iv) Chairman & Director – The India Public Sector Fund Ltd. (v) Chairman of Governing Council – UTI Institute of Capital Markets, (vi) Chairman & Director – UTI Investment Advisory Services Ltd.

(vii) Chairman & Director – UTI Investor Services Ltd. (viii) Chairman & Director – UTI Securities Exchange Ltd., (ix) Director – UTI Bank Ltd. (x) Chairman & Director – Over-the-counter Exchange of India (xi) Member – Life Insurance Corporation of India (xii) Director – National Stock Exchange of India Ltd. (xiii) Chairman and Director – The India IT Fund Ltd. (xiv) Chairman and Director – UTI – IAS (Mauritius) Ltd. (xv) Chairman and Director – The India Media, Internet & Communication Fund Ltd. (xvi) Chairman and Director – The India Infrastructure Fund Ltd. (xvii) Chairman – Stock Holding Corporation of India Ltd.

2. **Shri G P Muniappan –**

Reserve Bank of India, Central Office Building, Mumbai 400 023.

3. **Shri G P Gupta –**

IDBI, IDBI Towers, Cuffe Parade Mumbai – 400 005

(I) Director – The India Fund (II) Director – India Growth Fund, (iii) Director – Discount and Finance House of India Ltd. (iv) Director – Export-Import Bank of India, (v) Director – Securities Trading Corpn. of India, (vi) Director – Infrastructure Development Finance Co. of India Ltd, (vii) Director – Indian Airlines Ltd. (viii) Director – IDBI Bank Ltd. (ix) Director – National Stock Exchange of India Ltd. (x) Member – Life Insurance Corpn. of India, (xi) Member – General Insurance Corpn. of India (xii) Director – South Asia Regional Fund, (xiii) Chairman – South Asia Development Fund, (xiv) Council Member – Indian Institute of Bankers, (xv) Member – Bankers Training College (RBI), (xvi) Member – Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) (xvii) Member – Institute of Banking Personnel Selection (xviii) Member – The Institute of Company Secretaries of India (xix) Director – Iridium LLC, USA (xx) Member – University of Delhi (Faculty of Management Studies) (xxi) President – Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad.

4. **Shri N S Sekhsaria –**

Gujarat Ambuja Cements Ltd., Maker Chambers III, Nariman Point, Mumbai 400 005

(I) Dy. Chairman – The Associated Cement Companies Ltd. (ii) Director – Radha Madhav Investments Ltd. (iii) Director – Ambuja Cement Foundation (iv) Director – Ambuja Educational Institute.

5. **Shri Rajendra P Chitale –**

M/s M P Chitale & Co., Hamam House, 1st Floor, Ambalal Doshi Marg, Fort, Mumbai

(I) Director – Small Industries Development Bank of India, (II) Director – National Securities Clearing Corporation Ltd.(iii) Director – SBI Capital Markets Ltd. (iv) Director – Zurich Asset Management Company (India) Ltd.(v) Director – Nut4Nuts Limited (vi) Member – Executive Committee (Governing Board) of National Stock Exchange (vii) Member – India Advisory Board of Bank of America NT & SA (viii) Member – Investment Committee, Life Insurance Corporation of India.

6. **Dr. V V Desai –**

Neat House, College Lane, Dadar, Mumbai

(i) Advisor – ICICI Limited.

7. **Shri G N Bajpai –**

Life Insurance Corporation of India, 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021

8. **Shri D T Pai –**

Syndicate Bank, Manipal 576 119

9. **Dr. Rakesh Mohan –**

National Council of Applied Economic Research, Parisila Bhawan, 11 Indraprastha Estate, New Delhi 110 002

(i) Chairman – Expert Group on Railways, (ii) Member – Economic Advisory Council to the Prime Minister, (iii) Member – National Security Advisory Board, (iv) Part Time Member – Telecom Regulatory Authority of India, (v) Member – National Statistical Commission, (vi) Member – Committee on Competition Law & MRTP Act, (vii) Member – Board of Governors, Institute of Economic Growth, New Delhi, (viii) Member – Local Advisory Board, Dresdner Bank, (ix) Honorary Visiting Professor – Indian Institute of Technology, New Delhi, (x) Director – Infrastructure Development Finance Corporation, Chennai, (xi) Member – Board of Trustees, Economic & Social Research Foundation, Tanzania, (xii) Director – Small Industries Development Bank of India, Lucknow. (xiii) Member Secretary – Expert Committee on Small Scale Industry, Ministry of Industry, Government of India, 1996 (xiv) Member – Tariff Authority for Major Ports, Ministry of Surface Transport, Government of India, (xv) Chairman – Advisory Committee for National Accounts, Department of Statistics, Government of India, (xvi) Member – Bureau of Public Enterprises, Government of Rajasthan.

Management of the Fund:

Ms. Swati Kulkarni, Manager will be the Fund Manager of the Scheme

Academic Qualifications:

B.Com. MFM (Narsee Monjee Institute of Management Studies), CAIIB

Experience:

At present with the Department Of Funds Management which is responsible for management of Domestic Debt Oriented/Balanced Schemes. The work experience in UTI is as under.

Designation	Department	Period	Responsibilities
Manager	Dept of Funds Management	May 1998 till date	Funds Management
Manager	Dept of Research & Planning	September 1997 till April 1998	Fund Performance Analysis, Mutual Funds Industry Analysis, Market Research
Asst Manager	Dept of Research & Planning	March 1992 to August 1997	Fund Performance Analysis, Mutual Funds Industry Analysis, Market Research

Also worked in Financial Planning Cell of a diversified conglomerate from January 1991 to March 1992.

XVIII. OTHER SERVICE PROVIDERS FOR THE SCHEME

1. Custodians

(a) Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Mumbai 400 021, have been functioning as custodian for all our schemes and plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994

(b) The custodians are required to take delivery of all securities belonging to schemes/funds/plans of the Trust and hold them in its custody The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer of and other dealings in the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust.

(c) Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the schemes/funds/ plans of the Trust.

(d) The SEBI registration number of SHCIL is IN/CUS/011

(e) Tariff structure of SHCIL is as under:

	Electronic	Physical
Dematerialisation	Rs 5 per certificate	—
Purchase	5 5 basis points on the value of the transaction	Rs 100 per DIP
Sale	5 5 basis points on the value of the transaction	Rs 100 per DIS
Custody	1 5 basis points on the asset value in the custody	8 basis points on the asset value in the custody
Off market purchases	5 5 basis points on the value of the transaction	—
Off market Sales	5 5 basis points on the value of the transaction	—
Rematerialisation	Rs 15 per certificate or 15 basis points of conversion value whichever is higher	—

2. Auditors

M/s. Chaturvedi & Company, Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta 700 069 and M/s Batliboi & Purohit, Chartered Accountants, National Insurance Building, 204, D N Road, Fort, Mumbai 400 001 The auditors of the scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

3. Registrars:

(a) UTI Investors' Services Ltd. having SEBI Registration no. INR00000121 have been appointed as the Registrars.

(b) It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, and repurchase requests, despatch of statement of accounts and IDWs within the prescribed time frame and also handle investor complaints.

(c) Processing of applications and after sales services will be handled from the following addresses of the Registrar:

West Zone: Plot No.369, Marol Maroshi Road, Near Marol-Maroshi Bus Depot, Vijay Nagar, Andheri (East), Mumbai-400 059

East Zone: Bombay Mutual Building, 4th Floor, 9, B T.M Sarani, Brabourn Road, Opp India Tea Board, Dalhousie Square, Calcutta 700 001

South Zone: 45 Justice Basheer Ahmed Syed Building, Second line Beach, Chennai 600 001

North Zone (excluding Uttar Pradesh): 174/175 1st floor Rajendra Bhawan, (DDA Building), Rajendra Place, New Delhi 110 008

Lucknow (For the State of Uttar Pradesh only): Shop No. 8 & 9, 2nd Floor, Saran Chambers II, No. 5, Park Road, Lucknow 226 001.

4. **Collecting and Paying Bankers:**

(a) At present, UTI Bank Ltd. is appointed as collecting bankers. Trust may decide in future to appoint/delete any such bank (duly registered with SEBI) as collecting banker.

(b) At present UTI Bank Ltd., select branches of State Bank of India, Central Bank of India and Allahabad Bank act as paying bankers. The Trust may in future appoint the same bank(s) and/or any other bank(s) registered with SEBI as paying bankers.

Principal Business addresses of the banks

1. UTI Bank LTD.
(INB100000017)
Central Office, Maker Towers "F", 13th Floor, Cuffe Parade, Mumbai 400 005

2. State Bank of India
(INB100000038)
Central Office, Madam Cama Road, P.B. No. 10003, Mumbai 400 021

3. Central Bank of India
(INB100000012)
Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021

4. Allahabad Bank
(INB10000067)
2, Netaji Subhas Road, Calcutta – 700 001

XIX. INVESTORS' GRIEVANCE REDRESSAL

1. All investors could refer their grievances giving full particulars of investment to concerned Investors' Relation Cell at the following addresses:

WESTERN ZONE:
Ms. Tanvi Upadhye/
Shri Prakash Sahasrabudhe
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
"Gn" Block,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai 400 051
Tel: 652 0650

EASTERN ZONE:
Shri R K Mangla
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
4, Fairlie Place
Calcutta 700 001
Tel: 243 5947/210 7696

SOUTHERN ZONE:
Ms. Jayasudha K.
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Chennai 600 001
Tel: 526 0146

NORTHERN ZONE:
Shri D K Gandhi
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Herald House, IInd floor,
5A, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi 110 002.
Tel.: 332 1801/3315574

2. **Investor Complaints redressal record**

(a) Complaints received, redressed and pending for the last three years are:

Period	Received	No of Complaints Redressed	Pending	Pending to Total Received
01-04-97 to 31-03-98	551929	53318	16611	2.98%
01-04-98 to 31-03-99	287250	274590	12660	4.41%
01-04-99 to 31-03-2000	265331	257702	7629	2.88%

(b) Schemewise details of complaints received, redressed and pending for the period 01.09.99 to 31.08.2000 are given below:

SCHEME	NO OF COMPLAINTS			PENDING TO TOTAL RECEIVED
	RECEIVED	REDRESSED	PENDING	
CCP	903	872	31	3.43%
CGGF	8208	8049	159	1.94%
CGS-83	15	15	0	0.00%
CGUS-91	17	15	2	11.76%
CHTS	239	225	14	5.86%
DIP-91	577	575	2	0.35%
DIUP-93	1315	1305	10	0.76%
DIUP-95	199	194	5	2.51%
DIUS-90	21	21	0	0.00%
DIUS-91	16	15	1	6.25%
DIUS 92	42	41	1	2.38%
E.O.F	75	66	9	12.00%
ETS P	359	347	12	3.34%
GCGI	2077	2025	52	1.61%
GMIS-91	393	387	6	1.53%
GMIS-92(I)	91	88	3	3.30%
GMIS-92(II)	256	254	2	0.78%
GMIS-S-92	522	517	5	0.96%
GMIS-S-92(II)	176	176	0	0.00%
GRAND MASTER-93	770	767	3	0.39%
GRIHALAXMI UNIT PLAN	1382	1348	34	2.46%
HOUSING UNIT SCHEME	30	30	0	0.00%
ISEF	19	19	0	0.00%
ISPUS-95, 96, 97	5	5	0	0.00%
MASTER INDEX FUND	264	258	6	1.89%
MASTER VALUE UNIT PLAN	1	1	0	0.00%
MASTERGAIN-92	46164	44089	2075	4.49%
MASTER-GROWTH-93	8978	8868	110	1.23%

SCHEME	NO OF COMPLAINTS			PENDING TO TOTAL RECEIVED
	RECEIVED	REDRESSED	PENDING	
MASTERPLUS 91	35217	34871	346	0 98%
MASTERSHARE 86	19950	19096	854	4 28%
MEP 91	1429	1416	13	0 91%
MEP-92	7033	6981	52	0 74%
MEP 93	5361	5302	59	1 10%
MEP 94	5083	5043	40	0 79%
MEP 95	4567	4514	53	1 16%
MEP-96	1511	1508	3	0 20%
MEP 97	234	222	12	5 13%
MEP 98	65	65	0	0 00%
MEP 99	61	59	2	3 28%
MIP 2000	651	639	12	1 84%
MIP 2000 (SECOND)	23	23	0	0 00%
MIP 93	561	551	10	1 78%
MIP 94(I	241	240	1	0 41%
MIP 94(II	382	382	0	0 00%
MIP 94(III	1581	1569	12	0 76%
MIP 95	634	623	11	1 74%
MIP 95(II)	653	621	32	4 90%
MIP 95(III)	507	495	12	2 37%
MIP 96	305	301	4	1 31%
MIP 96(II)	585	568	17	2 91%
MIP 96(III)	539	526	13	2 41%
MIP 96(IV	6275	6222	53	0 84%
MIP 97	949	911	38	4 00%
MIP 97 II	1202	1185	17	1 41%
MIP 97(III	1616	1586	30	1 86%
MIP 97(IV)	976	975	1	0 10%
MIP 97 V)	317	312	5	1 58%
MIP-98	1652	1608	44	2 66%
MIP 98(II)	710	696	14	1 97%
MIP-98(III)	6237	6211	26	0 42%
MIP-98(IV)	1010	987	23	2 28%
MIP 98(V)	3988	3980	8	0 20%
MIP 99 (I)	926	901	25	2 70%
MIP 99 (II)	1244	1234	10	0 80%
MIS B 93	212	206	6	2 83%
MISC-90(I	482	465	17	3 53%
MISG 90(II)	1337	1317	20	1 50%
MISG 91	1382	1347	35	2 53%
MMMF	6	4	2	33 33%
N R I FUND	52	51	1	1 92%
NIFTY INDEX FUND	120	116	4	3 33%
OMNI PLAN	8	8	0	0 00%
PRIMARY EQUITY FUND	1138	1122	16	1 41%
RAJLAKSHMI U P	3023	2946	77	2 55%
RETIREMENT BENEFIT PLAN	1722	1662	60	3 48%
SENIOR CITIZENS UNIT PLAN	384	355	29	7 55%
UGS 10000	539	530	9	1 67%
UGS 2000	2352	2323	29	1 23%
UGS 5000	2021	1988	33	1 63%
ULIP	11446	11023	423	3 70%
US 64	31711	30187	1524	4 81%
US 92	807	794	13	1 61%
US 95	11	9	2	18 18%
UTI BOND FUND	819	796	23	2 81%
UTI G SEC FUND	372	363	9	2.42%
UTI GSF	1548	1500	48	3 10%
TOTAL	249681	242908	6773	2 71%

3. Reasons for pending complaints are :

(a) Non-receipt of application/funds from the collecting banks

(b) Incomplete details of the investor in the application including address; name and signature of the investor

(c) Change of address of investor not informed/not updated

(d) Loss in transit

(e) Postal delay

(f) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase

(g) Incomplete details while forwarding the complaints

(h) Non-receipt/Delayed receipt of commission

(i) Letters/Documents sent to the wrong office/ Registrars

XX. PENALTIES, PENDING LITIGATIONS, MATERIAL FINDINGS OF INSPECTIONS/INVESTIGATIONS

1 There are no cases relating to penalties awarded by SEBI under the SEBI Act or any of its regulations or by any Stock Exchanges (where the units of the schemes of UTI are listed) against the Unit Trust of India/Board of Trustees, or any of the Trustees or key personnel (specifically the fund managers)

2. There are no pending material litigation proceedings incidental to the business of the Unit Trust of India including the Board or any of the trustees or key personnel. There are no pending criminal cases against the Unit Trust of India, Board or any of the Trustees or key personnel.

3. Neither SEBI nor any other Regulatory Agency has specifically advised that any deficiency in the systems and operations of the Unit Trust of India be disclosed in the offer document.

4. There are no enquiry/adjudication proceedings under the SEBI Act and the Regulations made thereunder, against Unit Trust of India, Board/Trustee or key personnel.

XXI. CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

The condensed financial information for the years 1997-98, 1998-99, 1999-2000 for all schemes launched during the last three years is annexed.

For and on behalf of the Board of Trustees
the Unit Trust of India

sd/
(B G DAGA)
Executive Director
Business Development & Mktg

Place Mumbai
Date January 28, 2000

Historical Per Unit Statistics		CRTS 1981		
		1997-1998	1998-1999	1999-2000
NAV at the beginning of the year	Rs	106.54	102.68	103.08
Net Income per unit	Rs	14.93	19.49	21.10
Dividends	Rs	14.00	14.00	12.75*
Transfer to Reserves	Rs	2.76	1.02	7.55
NAV at the end of the year	Rs.	102.68	103.08	103.99
Annualised Return	%	9.52	14.02	14.91
Net Assets	Rs. crore	767.62	643.80	693.28
Ratio of Recurring Expenses to net assets	(%)	0.18	0.24	0.00

* 6.50% as at 31.12.99 and 6.25% as at 31.05.2000.

CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

(I) HISTORICAL PER UNIT STATISTICS

Scheme (Date of Allotment)	MIP-97 (II) (01.07.97)			KSFUS-97 (01.07.97)			IEF (01.08.97)		
	1997-1998	1998-1999	1999-2000	1997-1998	1998-1999	1999-2000	1997-1998	1998-1999	1999-2000
1. NAV at the beginning of the year	10.09	ƒ 9.59 ₹ 9.25	ƒ 9.50 ₹ 8.73	10 14	9.48	9.74	10.00	9 33	14.94
2. Net income per unit	1.08	0.69	2 62	1.07	1.40	2.71	0.00	1.14	3.16
3. Income Distribution (%) p.a.	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	—	—	—
4. Transfer to reserves (if any)	– 0.08	– 0.75	1 14	– 0.49	– 0.25	0.85	0.10	1.15	3.19
5. NAV at the end of the year	ƒ 9.50 ₹ 9.25	ƒ 9.50 ₹ 8.73	ƒ 10.86 ₹ 9.62	9.48	9.74	10.36	9.33	14.94	18.98
6. Annualised return (%)	ƒ 5.65 ₹ 6.96	ƒ 10.20 ₹ 8.45	ƒ 16.82 ₹ 13.75	9.05	13.80	16.01	– 6.70	23.26	23.64
7. Net assets end of the period (Rs Crs)	1478.48	1545.74	1886.18	640.48	666.05	718.91	30.91	49.48	62.86
8. Ratio of recurring exp. To net assets (%)	0.011	1.05	1.06	0 005	0.43	0.79	0.017	1.13	1.18

Scheme (Date of Allotment)	MIP-97(III) (01.09.97)			MIP-97(IV) (01.11.97)			MIP-97(V) (01.01.98)		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-00	1997-98	1998-99	1999-2000
1. NAV at the beginning of the year	—	ƒ 9.70 ₹ 9.38	ƒ 9.98 ₹ 9.40	— —	ƒ 9.99 ₹ 9.53	ƒ 10.36 ₹ 9.67	— —	ƒ 9.98 •10.27 ₹ 9.71	ƒ 10.08 •10.29 ₹ 9.84
2. Net income per unit	0.84	1.02	1.97	0.81	0.89	1.97	0.70	0.85	2.20
3. Income Distribution. (%) p.a.	13.00	13.00	13.00	12.50	12.50	12.50	11.75	11.75	₹ 11.75 12.40
4. Transfer to reserves (if any)	– 0.26	– 0.31	0.57	0.01	– 0.34	0.63	0.27	– 0.55	0.89
5. NAV at the end of the year	ƒ 9.70 ₹ 9.38	ƒ 9.98 ₹ 9.40	ƒ 10.57 ₹ 9.82	ƒ 9.99 ₹ 9.53	ƒ 10.36 ₹ 9.67	ƒ 10.81 ₹ 10.00	ƒ 9.98 •10.27 ₹ 9.71	ƒ 10.08 •10.29 ₹ 9.64	ƒ 10.69 • 10.86 ₹ 10.14
6. Annualised return (%)	₹ƒ 4.81 ₹ 4.63	ƒ 11.85 ₹ 10.51	ƒ 14.82 ₹ 13.20	₹ƒ 5.41 ₹ 3.64	ƒ 13.72 ₹ 11.27	ƒ 15.33 ₹ 13.25	₹ƒ 1.86 • 2.70 ₹ 2.97	ƒ 10.22 • 10.40 ₹ 9.98	ƒ 13.71 • 13.35 ₹ 12.95
7. Net assets end of the period (Rs. Crs)	829.79	873.84	980.97	924.40	997.61	1095.36	475.12	490.53	536.55
8. Ratio of recurring exp. To net assets (%)	0.011	1.04	1.22	0.007	0.74	1.01	0.008	1.02	1.25

Scheme (Date of Allotment)	MEP 98 (31.03.98)			IISFUS 97(II) (01.02.98)			MIP-98 (01.04.98)			MIP-98(II) (01.07.98)		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	.998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1. NAV at the beginning of the year	—	8.35	11.59	—	9.74	10.14	—	ƒ 9.81 • 9.74 ¶ 9.48	ƒ 10.41 • 10.33 ¶ 10.09	—	—	ƒ 10.53 • 10.06 ¶ 10.21
2. Net income per unit	0.23	– 1.16	5.70	0.60	1.00	2.22	0.31	1.11	1.74	12.50	0.97	1.84
3. Income Distribution: (%) p.a.	—	—	—	12.75	12.75	12.75	12.50	12.50	ƒ• 13.25 ¶ 12.50	—0.07	12.50	ƒ• 13.25 ¶ 12.50
4. Transfer to reserves (if any)	0.23	– 1.13	5.71	– 0.07	– 0.39	0.65	– 0.02	– 0.11	0.35	9.75	– 0.28	0 .43
5. NAV at the end of the year	8.35	11.59	14.65	9.74	10.14	10.18	ƒ 9.81 • 9.74 ¶ 9.48	ƒ 10.41 • 10.33 ¶ 10.09	ƒ 10.68 • 10.61 ¶ 10.28	—	ƒ 10.53 ¶ 10.21 • 10.06	ƒ 10.43 • 9.77 ¶ 10.04
6. Annualised return (%)	Ψ 16.50	12.53	17.90	Ψ 2.10	13.47	13.25	Ψ ƒ– 2.60 – 1.90 ¶ – 2.07	ƒ 14.11 • 13.39 ¶ 14.03	ƒ 14.99 • 14.43 ¶ 14.44	—	ƒ 15.65 ¶ 15.51 •13.89	ƒ 13.85 • 12.15 ¶ 13.42
7. Net assets end of the period (Rs. Crs)	18.06	25.12	31.73	656.31	686.35	700.51	926.05	1019.42	1061.78	770.12	901.65	914.66
8. Ratio of recurring exp. To net assets (%)	0.012	2.63	1.90	0.004	0.41	0.77	0.01	1.03	1.26	—	1.08	1.29

Scheme (Date of Allotment)	NRI FUND (01.05.98)			IISFUS-98 (01.06.98)			UGS-10000 (1.06.98) £ £			UBF ([illegible])) £ £		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1. NAV at the beginning of the year	—	D9.94	ƒ 10.94 • 10.92	—	9.64	10.23	—	9.57	14.06	—	9.93	11.58
2. Net income per unit	0.04	1.19	1.92	0.06	1.26	2.19	– 0.41	1.29	3.07	-0.07	0.74	1.02
3. Income Distribution: (%) p.a.	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	—	—	20.00	—	—	—
4. Transfer to reserves (if any)	– 0.06	– 0.15	0.55	– 0.18	– 0.22	0.55	– 0.41	1.28	1.51	– 0.07	0.76	1.02
5. NAV at the end of the year	D9.94	ƒ 10.94 • 10.92	ƒ 10.86 • 10.90	9.64	10.23	10.78	9.57	14.06	12.41	9.93	11.58	12.79
6. Annualised return (%),	Ψ – 0.60	ƒ 22.21 • 21.05	ƒ 16.76 • 16.32	Ψ – 2.48	15.75	16.96	Ψ – 4.30	37.66	19.65	Ψ – 0.70	13.53	12.07
7. Net assets end of the period (Rs. Crs)	63.45	75.97	83.29	944.49	1007.21	1067.10	67.40	131.00	146.61	136.39	680.50	1[illegible].4079
8. Ratio of recurring exp. to net assets (%)	0.01	0.91	1.10	0.00	0.41	1.01	0.05	2.06	2.41	0.01	1.10	1.48

Scheme (Date of Allotment)	MIXUP (01.07.98)		MIF £ £ (01.06.98)		SIF (08.07.98)		MIP-98(III) (01.09.98)		MIP-98(IV) (01.12.98)		USFUS-98(II) (01.01.99)	
	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000
1. NAV at the beginning of the year	10.00	14.34	9.89	12.75	9.89	11.33	—	10.80 • 11.88 ¶ 10.21	—	ƒ 10.83 • 11.26 ¶ 10.41	—	10.30
2. Net income per unit	0.76	12.46	0.69	3.47	1.34	1.37	1.10	1.72	0.90	2.26	0.92	1.80
3. Income Distribution: (%) p.a.							12.50	• ƒ 13.25 ¶ 12.50	12.50	• ƒ 13.25 ¶ 12.50	14.00	14.00
4. Transfer to reserves (if any)	0.76	0.53	0.17	3.48	1.34	1.37	0.26	0.38	0.28	0.88	0.62	0.69
5. NAV at the end of the year	14.92	18.62	12.75	14.37	11.83	12.75	ƒ 10.80 • 11.83 ¶ 10.21	ƒ 10.74 11.60 ¶ 10.09	10.83 • 11.26 ¶ 10.41	ƒ 11.12 • 11.56 ¶ 10.66	ƒ 10.30 ¶ 10.30	ƒ 10.72 ¶ 10.68
6. Annualised return (%)	43.40	32.66	25.38	19.96	13.30	13.05	ƒ 16.10 • 16.30 ¶ 13.18	ƒ 15.75 • 15.35 ¶ 13.74	ƒ 16.42 • 12.60 ¶ 11.39	ƒ 18.74 • 18.06 ¶ 17.44	ƒ 10.00 ¶ 10.20	ƒ 19.60 ¶ 18.58
7. Net assets end of the period (Rs. Crs)	143.59	126.36	196.01	200.91	0.25	0.33	1439.45	1483.97	948.89	1010.30	1158.06	1214.81
8. Ratio of recurring exp. to net assets (%)	1.19	1.66	2.14	2.20	1.90	1.25	0.98	1.24	0.78	1.21	0.30	0.76

Scheme (Date of Allotment)	MIP-98(V) (01.02.99)		MEP-99 (31.03.99)		GSF-BRAND (27-05-99) £ £	GSF - PHARAMA (27-05-99) £ £	GSF - SOFTWARE (27-05-99) £ £	GSF-PETRO (27-05-99) £ £	GSF-SERVICE (27-05-99) £ £	G-SEC FUND (27-05-99) £ £
	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000	1999-2000	1999-2000	1999-2000	1999-2000	1999-2000	1999-2000
1. NAV at the beginning of the year		ƒ 10.33 • 10.53 ¶ 9.96	—	11.26	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2. Net income per unit		1.56	0.47	18.19	2.17	0.99	23.62	3.50	19.52	7.96
3. Income Distribution: (%) p.a.		ƒ 13.25 ¶ 12.50	—	15.00	10.00		20.00		20.00	**4.50 *4.50&1.50
4. Transfer to reserves (if any)	—	0.19	0.47	16.99	1.46	0.99	21.70	3.50	17.75	2.29
5. NAV at the end of the year	ƒ 10.53 • 10.53 ¶ 9.96	ƒ 10.90 • 11.29 ¶ 10.34	11.26	24.32	10.10	10.21	24.06	12.71	33.20	**110.2504 *103.4336
6. Annualised return (%)	ƒ 5.46 • 5.30 ¶ 4.81	ƒ 17.77 • 18.50 ¶ 15.75	12.60	114.13	7.16	3.57	172.26	25.27	259.30	**18.47 *11.77
7. Net assets end of the period (Rs. Crs)	882.07	972.83	3.91	8.48	46.3699	69.1356	282.4063	42.6947	76.864	516.84
8. Ratio of recurring exp. to net assets (%)	0.59	1.19	1.09	0.00	2.62	3.26	4.53	1.80	2.59	0.70

Scheme (Date of Allotment)	MIP 99 (10.06.99)	MIP 99 II 01.11.1999	MIP 2000 01.02.2000	NIFTY	ETSP
	1999-2000	1999-2000	1999-2000	1999-2000	1999-2000
1. NAV at the beginning of the year	NA	NA	NA	NA	NA
2. Net income per unit	1.38	0.93	[illegible]60	0.27	(0.02)
3. Income Distribution: (%) p.a.	• ƒ 11.25 ¶ 10.75	ƒ 11.00 ¶ 10.50	10.75 ¶ 10.25		
4. Transfer to reserves (if any)	0.19	0.56	[illegible].35	(0.27)	(0.02)
5. NAV at the end of the year	• 10.82 ƒ 11.21 ¶ 11.05	10.52 ƒ [illegible] ¶ [illegible]60	9.84 ƒ [illegible]94 ¶ [illegible]24	[illegible]	11.95
6. Annualised return (%)	• 17.94 ƒ 20.62 ¶ 21.34	• 5.20 ƒ 5.20 ¶ 3.00	[illegible]60 [illegible]60 [illegible]20	29.22	40.81
7. Net assets end of the period (Rs. Crs)	3029.64	1345.26	[illegible]398.43	30.29	16.66
8. Ratio of recurring exp. to net assets (%)	1.09	0.92	[illegible].82	2.82	0

ƒ Cumulative Option
¶ Non Cumulative Option
• Annual Income Option
$ Deferred Income Option & Capital Growth Option,
@ Qtr Option
# 15% up to 31.03.98
£ 13% upto 31.03.99,
££ date of launch is given as they are open ended.
D A single NAV is calculated
* Income option
** Growth option
→ 4.50% as of 31.03.2000 and 1.50% as of 31.05.2000
Ψ Return not anualised since scheme has not completed one year, as on 30th June/31st December

(ii) There are no instances of borrowing by schemes of the Trust.

HISTORICAL PER UNIT STATISTICS

Schemes	Nav As On 01.11.2000	Annualised Yield(%)
G-Sec		
– Growth Option	111.4468	9.50%
– Income Option	104.4634	—
UBF	13.09	11.39%
SIF @	13.13	12.45%
IISFUS-96 @	11.40	17.01%
IISFUS-97 @	9.74	13.98%
ISSFUS-97(II) @	9.79	10.50%
IISFUS-98 @	10.09	12.20%
IISFUS-98(II) @		
– Cum Option	10.32	13.37%
– Income Option	10.08	12.20%
UNF @		
– Cum Option	10.65	13.45%
– Annual Option	10.69	13.49%
MMMF $	14.1599	9.66%
MEP-97 &	11.36	3.61%
MEP-98 &	11.97	7.15%
MEP-99 & ^	20.31	66.36%
ETSP &	10.14	1.59%
UGS-10000 & ^	10.39	7.16%
IEF &	15.49	13.93%
MVUP &	14.87	16.46%
MIF *	11.36	5.60%
MIP-96(III)		
– Non Cum Option	9.63	12.91%
– Cum Option	17.19	14.16%
MIP-96(IV)		
– Non Cum Option	9.05	11.23%
– Cum Option	16.01	13.06%
MIP-97		
– Non Cum Option	8.70	11.49%
– Cum Option	10.10	12.62%
MIP-97(II)		
– Non Cum Option	8.71	11.31%
– Cum Option	10.46	13.73%
MIP-97(III)		
– Non Cum Option	8.89	10.47%
– Cum Option	10.10	11.54%
MIP-97(IV)		
– Non Cum Option	9.32	11.10%
– Cum Option	10.62	12.84%
MIP-97(V)		
– Monthly Option	9.25	9.85%
– Cum Option	10.20	10.16%
– Annual Option	10.41	10.45%

Schemes	Nav As On 01.11.2000	Annualised Yield(%)
MIP-98		
– Monthly Option	9.23	10.32%
– Cum Option	10.12	10.60%
– Annual Option	10.04	10.68%
MIP-98(II)		
– Monthly Option	9.16	9.64%
– Cum Option	10.03	9.90%
– Annual Option	9.53	9.62%
MIP-98(III)		
– Monthly Option	8.90	8.11%
– Cum Option	10.00	9.50%
– Annual Option	9.11	8.39%
MIP-98(IV)		
– Monthly Option	9.70	11.66%
– Cum Option	10.65	12.67%
– Annual Option	11.06	12.51%
MIP-98(V)		
– Monthly Option	9.21	8.63%
– Cum Option	10.25	10.20%
– Annual Option	10.62	11.29%
MIP-99		
– Monthly Option	9.87	10.33%
– Cum Option	10.63	11.17%
– Annual Option	10.41	10.92%
DIP-91		
– Qtr Inc Option	8.97	10.99%
– Defr Inc Option	8.32	10.00%
– Growth Option	17.45	14.75%
MIP-99 (II) # @		
– Monthly Option	8.30	-0.94%
– Cum Option	10.16	1.60%
– Annual Option	8.90	0.00%
MIP-2000 *@		
– Monthly Option	8.30	-9.31%
– Cum Option	9.25	-7.50%
– Annual Option	9.25	-7.50%

@ NAV as on 01.11.2000.

* Since scheme has not completed one year of operation, simple yield is given.

\# Yield since recasting date 13.03.2000.

The yield & CAGR since inception have been calucated on the basis of ex dividend NAV and tax has been deducted as an expense.

$ NAV as on 13.11.2000.

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg (New Marine Lines), Mumbai-400 020. Tel: 2068468

ZONAL OFFICES

Western Zone: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051. Tel: 6520850. • **Eastern Zone:** 4 Fairlie Palace, 1st Floor, Calcutta-700 001. Tel: 2107699/7701. • **Southern Zone:** UTI-House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel: 5210356 to 59. • **Nothern Zone:** Jeevan Bharati, 13th Floor, Tower II, Connaught Circus, New Delhi-110 001. Tel: 3329868 / 3731401.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE JURISDICTION

MUMBAI MAIN BRANCH OFFICE

Commece Centre-1, 29th Floor, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005 • Tel.: 218 1600/218 1254

BRANCHES WHERE APPLICATIONS CAN BE TENDERED

Ahmedabad: UTI House, Near Mithakhali Railway Bridge, Off. Ashram Road, Ahmedabad-380 009. Tel: 6583864 / 6583043. **Baroda:** 'Meghdhanush' 4th & 5th Floor, Transpek Circle, Race Course Road, Baroda-390 015. Tel: 332481. **Bhopal:** 1st Floor, Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone I, Scheme 13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel: 558308. **Indore:** City Centre, 2nd Floor, 570, M.G. Road, Indore-452 001. Tel: 535607. **Kolhapur:** Ayodhya Towers, C.S. No. 511, KH-1/2, 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Road, Kolhapur-416 001. Tel: 657315. **Mumbai: (1)** Unit No. 2, Block 'B', Opp. JVPD Shopping Centre, Gul Mohar Cross Road No. 9, Andheri (W), Mumbai-400 049. Tel: 66201995. **(2)** Lotus Court Building, 196, Jamshedji Tata Road, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020. Tel: 2850821/822 (For Mumbai Main Branch Office). **(3)** Sharaddha Shopping Arcade, 1st Floor, S.V. Road, Borivali (West), Mumbai-400 092. Tel: 8980521. **(4)** Sagar Bonanza, 1st Floor, Khot Lane, Ghatkopar (W), Mumbai-400 086. Tel: 5162256. **Nagpur:** Shree Mohini Complex, 3rd Floor, 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg (Kingsway), Nagpur-440 001. Tel: 536893. **Nasik:** Sarda Sankul, 2nd Floor, M.G. Road, Nasik-422 001. Tel: 572166. **Panaji:** E.D.C. House, Ground Floor, Dr. A.B. Road, Panaji, Goa-403 001. Tel: 222472. **Pune:** Sadashiv Vilas, 3rd Floor, 1183 Fergusson College Road, Shivaji Nagar Pune-411 005. Tel: 5535954. **Raipur:** Vanijya Bhavan, Sai Nagar, Jail Road, Raipur-492 009. Tel: 551412. **Rajkot:** Lallubhai Centre, 3rd Floor, Lakhaji Raj Road, Rajkot 360 001. Tel: 235112. **Surat:** Saifee Bldg., Dutch Road, Nanpura, Surat-395 001. Tel: 474550. **Thane:** UTI House, Near Thane Post & Telegraph Office, Opp. Rickshaw Stand, Station Marg, Thane (W)-400 601. Tel: 5400905. **Vashi:** Persepolis Bldg., 3rd Floor, Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400 703. Tel: 7890979 / 82 / 84.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar: OCHC Bldg , 1st & 2nd Floor, 24, Janpath, Kharvela Nagar, Nr. Ram Mandir, Bhubaneshwar-751 001 Tel· 410995. **Calcutta:** 29, Netaji Subhash Chandra Road, Calcutta-700 001 Tel: 2434581 **Durgapur:** 3rd Administrative Bldg , 2nd Floor, Asansol Durgapur Dev. Authority, City Centre, Durgapur-713216 Tel. 546831 **Guwahati:** Hindustan Bldg , 1st Floor, M.L. Nehru Marg, Panbazar, Guwahati-781 001 Tel 543131 Jamshedpur. 1-A, Ram Mandir Area, Gr. & 2nd Floor, Bistupur, Jamshedpur-831 001 Tel 424508 Patna· Jeevan Deep Bldg , Gr & 5th Floor, Exhibition Marg, Patna-800 001 Tel· 235001 **Siliguri:** Jeevan Deep, Ground Floor, Gurunanak Sarani, Siliguri-734 401. Tel: 535199.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore: Raheja Towers, 26-27, 12th Floor, West Wing, M.G. Marg, Bangalore-560 001. Tel: 5595091. **Chennai:** UTI House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001 Tel 517 101. **Cochin:** Jeevan Prakash, 5th Floor, M G Marg, Ernakulam-682 011 Tel 362 354 **Coimbatore:** Cheran Towers, 3rd Floor, 6/25 Arts College Marg, Coimbatore-641 018 Tel. 214973 **Hubli:** Kalburgi Mansion, 4th Floor, Lamington Marg, Hubli-580 020 Tel 363963 **Hyderabad:** 1st Floor, Surbhi Arcade,5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 195. Tel 4611095 **Madurai:** Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thirupparakundram Marg, Madurai-625 001 Tel 738 186 **Mangalore:** Siddhartha Bldg , 1st Floor, Bal-Matta Marg, Mangalore-575 001. Tel: 426290 **Thiruvananthapuram:** Swastik Centre, 3rd Floor, M G Marg, Thiruvananthapuram-695 001. Tel: 331415 **Trichy:** 104, Salai Marg, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel· 760060. **Trichur:** 28/700 West Pallithamam Bldg., Karunakaran Nambiar Marg, Round North, Trichur-680 020 Tel· 331259 **Vajaywada:** 27-37-156 Bunder Marg, Next to Hotel Manorama, Vijaywada-520 002 Tel· 571134 **Vishakhapatnam:** Ratna Arcade, 3rd Floor, 47/15/6, Station Marg, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-530 016 Tel: 748121.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra: Ground Floor, Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Marg, Agra-282 002. Tel: 358047. **Allahabad:** United Towers, 3rd Floor, 53, Leader Marg, Allahabad-211 003 Tel: 400521. **Amritsar:** Shri Dwarkadhish Complex, 2nd Floor, Queen's Marg, Amritsar-143 001 Tel 564388. **Chandigarh:** Jeevan Prakash, LIC Bldg , Sector 17-B, Chandigarh-160 017 Tel· 703683 **Dehradun:** 2nd Floor, 59/3, Raipur Marg Dehradun-248 001. Tel· 743203 **Faridabad:** B-614-617, Nehru Ground, NIT, Faridabad-121 001. Tel 5424771 **Ghaziabad:** 41, Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad-201 001. Tel 4790366. **Jaipur:** Anand Bhavan, 3rd Floor, Sansar Chandra Marg, Jaipur-302 001 Tel· 365212 **Jodhpur:** Minerva Centre, 1st Floor, Station Road, Jodhpur-342 001 Tel 645229. **Kanpur:** 16/79-E, Civil Lines, Kanpur-208 001 Tel 317278 **Lucknow:** Regency Plaza Building, 5, Park Marg, Lucknow-226 001 Tel· 238491. **Ludhiana:** Surya Kiran Phase, II, 92, The Mall, Ludhiana-141 001 Tel· 441264. **New Delhi:** Gulab Bhavan, 2nd Floor, 6, Bahadurshah Jafar Marg, New Delhi-110 002 Tel 3319786. **Shimla:** Flat No 401, 402, 403, 405 Mukesh Apts , Fingask Estate, Near Hotel Sheel, Shimla-171 002. Tel: 257803 **Varanasi:** 1st Floor, D-58 / 2A-1, Bhawani Market, Rathyatra, Varanasi-221 001 Tel· 358306

The Institute of Chartered Accountants of India
Post Box No.7112, Indraprastha Marg, New Delhi – 110002
Telephones: 4535382, 4553669, 4551279
(Dial code from Delhi – 91and from other places 011-8)
FAX : 011-8-4522258 / 011-3721334
E-MAIL : icaidel@del2.vsnl.net.in

APRIL 11, 2001

No.13-CA(EXAM)/M/2001 : In partial modification of Notification No.13-CA(EXAM)/M/2001 dated 27th January, 2001, on account of the elections to be held in some States on 10th May, 2001, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has re-scheduled the Foundation and Final Examinations to be held in May, 2001 **only**. These examinations will now be held on the dates as given below. The **Intermediate examination will be held on the dates as already notified and thus there will be no change in the dates of the Intermediate Examination**. The timing/session/ and the venue of all the examination centres will remain unchanged

REVISED SCHEDULE OF FOUNDATION AND FINAL EXAMINATIONS

FOUNDATION EXAMINATION : [Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m. (IST)]

6th, 7th, 8th and 9th May, 2001 *(instead of earlier notified dates of 8th, 9th, 10th and 11th May, 2001)*

FINAL EXAMINATION : [Morning Session – 8.00 a.m. to 11.00 a.m. (IST)]

Group – I : 2nd, 3rd, 4th and 5th May, 2001 *(there is no change in the dates of the examinations of Group – I and accordingly will be held on the dates as already notified and published earlier, i.e., on 2nd, 3rd, 4th and 5th May, 2001)*

Group – II : 6th, 7th, 8th and 9th May, 2001 *(instead of earlier notified dates of 8th, 9th, 10th and 11th May, 2001)*

INTERMEDIATE EXAMINATION (Afternoon Session – 12.30 p.m. to 3.30 p.m. – IST) WILL BE HELD AS PER DATES NOTIFIED AND PUBLISHED EARLIER, i. e , Group I – on 2nd, 3rd and 4th May, 2001 and Group – II – on 5th, 8th and 9th May, 2001 AS SUCH **THERE IS NO CHANGE IN THE DATES AND TIMING OF THE INTERMEDIATE EXAMINATION**.

THE SESSION(s)/TIMING, CENTRES OF EXAMINATIONS AND ALL OTHER DETAILS/CONDITIONS MENTIONED IN THE NOTIFICATION DATED 27th JANUARY, 2001 WILL REMAIN UNCHANGED. THE VENUE OF THE EXAMINATION CENTRES AS MENTIONED IN THE ADMIT CARDS ALREADY ISSUED TO THE CANDIDATES WILL ALSO REMAIN UNCHANGED.

(JAGDAMBA PRASAD)
ADDITIONAL SECRETARY (SG)(Exams)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
P.B. NO.7100, I.P. MARG, NEW DELHI 110 002

29-CA/Law/D-70/2000 12/4/2001

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No.29-CA/Law/D-70/2000: In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Delhi has, in pursuance to Section 21(6)(c) of the said Act, in Chartered Accountants case No.1/98, ordered on 4th September, 2000 that the name of Shri A.P. Gupta, FCA, 17/5, Shakti Nagar, Delhi 110 007 (M.No.17527) be removed from the Register of Members for a period of one year for having been found guilty of professional misconduct under Section 21 read with Section 22 of the Chartered Accountants Act, 1949 and clause (i) of Part II of the Second Schedule to the Act. Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri A.P. Gupta shall stand removed from the Register of Members for a period of one year w.e.f. 15th May, 2001. During that period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Delhi.

(Dr. Ashok Haldia)
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi : Dated : 20-2-2001

No. U-16/53/99-Med.II(J&K):- In pursuance of the Resolution passed by the ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the E.S.I.(General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise the doctors of following designation to function as Medical authority for J&K centre for the period to full time Medical Referee joins at monthly remuneration in accordance with the norms, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner(NZ) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

Sl.No.	Designation	Time
1.	CMO, Jammu	From the date of joining to the date of appointment of F.T.M.R.
2.	CMO, Kathua	-do-

S. Singh

(DR.(MRS.)S. SINGH)
MEDICAL COMMISSIONER.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi : Dated: 21-3-2001

No. U-16/53/2000-Med.II(M.P.):- In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI(General) Regulation, 1950 and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No.1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise Dr. A.K.S. Bais, PTMR, Gwalior to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms for the period from 20.3.2001 to 19.3.2002 for Gwalior centre, Madhya Pradesh for areas to be allocated by Regional Dy.Medical Commissioner(NWZ) Ahmedabad for the purpose of medical examination of the Insured Persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

S. Singh

(DR.(MRS.)S. SINGH)
MEDICAL COMMISSIONER.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NEW DELHI dated the 27.3.2001

No. **N-15/13/1/28/99-P&D** : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance(General)Regulations,1950, the Director General has fixed the **1st April, 2001** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Andhra Pradesh** Employees' State Insurance(Medical Benefit) Rules, 19 **55** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Andhra Pradesh** namely

"The areas falling within the limits of Revenue Villages of Yawapur, Ashrithabad, Yenkeypally, Machireddypally, Athmakur and Mubarkapur(A) in Sadashivpet Mandal in Medak District in Andhra Pradesh."

(N.R. DHINWAR)
DIRECTOR(P&D)

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION (CENTRAL OFFICE)
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110 0

Dated : 26 MAR 2001

No. C. P. F. C. 1 (4) AP (1888) 2000/5651

S.O. ________ Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :-

S.No.	Code No.	Name & Address of the establishment	Date of Coverage
1.	AP/34218	M/s. Sovereign Enterprises, 10-1, Rice Mill Compund, Ramanthapur, Hyderabad-13.	1-9-98
2.	AP/35793	M/s. Srinivasa Silks, 1-9-9/2/A, Ramnagar, Hyderabad-500 048.	1.6.99
3.	AP/31033	M/s. Primary Agricultural Co-Op. Society Ltd., Islampur, Toopran Mdl., Medak Dist. PIN 502 335.	1.4.96
4.	AP/32073	M/s. Rajasthan Intelligence Security Service, H.No. 2-120, Shobhana Colony, Balanagar, Hyderabad-42.	1.8.9[illegible]
5.	AP/32739	M/s. Pest Control (HYD) Corporation, 8-2-350/3/C, Road No. 3, Banjarahills, Hyderabad 500 034.	1.6.98
6.	AP/30601	M/s. Sehgal Leasing & Investments Ltd., 6-3-1092, Raj Bhavan Road, Hyderabad-500 082.	1.4.96
7.	AP/32708	M/s. ARPEE Enterprises, 153 A/2, Sappers Lines, Balamrai, Secunderabad-500 003.	1.4.98
8.	AP/32547	M/s. Maha Electronic Services, 605, 6th Floor Taramandal Complex, 5-9-13 Saifabad, Hyderabad-500 004.	1.4.98

9. AP/27450	M/s. The Primary Agricultural Co-Operative Society Ltd., NIDJINTHA, M: Maddoor,	1-10-94
10. AP/34080	M/s. P.A.C.S. Ltd., Fatehpur, Mdl: Armoor, Mdl: Armoor, Nizamabad.	1.11.99
11. AP/26330	M/s. Primary Agrl. Co-Op. Society Ltd., Belakatur, Tandur Taluk, Dist. Ranga Reddy.	1.3.94
12. AP/32685	M/s. Sanjeev Agrovet Pvt. Ltd., 6-3-658, 103 Concorde Appartments, Somajiguda, Hyderabad. PIN-500 082.	1-6-98
13. AP/27970	M/s. The Primary Agricultural Co-op. Society Limited, Kondurg, Mandal:Kondurg, Dist. Mahabubnagar.	1.10.94
14. AP/27382	M/s. The Primary Agricultural Co-Operative Society Ltd., Maldakal, Mandal Maldakal, Mahaboob Nagar Dist. (AP).	1-7-94
15. AP/32876	M/s. BPL Power Projects (AP) Ltd., 8-2-583/3, Road No. 9, Banjara Hills, Hyderabad-500 034.	1.10.98
16. AP/28024	M/s. Primary Agrl. Coop. Society, Nagulapalli, Peddamul Mandal, R.R. District.	1.3.94
17. AP/34068	M/s. P.A.C.S.Ltd., Pipri, Mdl:Armoor, Dist. Nizamabad.	1.11.99
18. AP/36048	M/s. Primary Agricultural Co-Op. Society Ltd., Marlapally, Beath Mandal, Adilabad Dist. Andhra Pradesh.	1.1.2000
19. AP/36047	M/s.Primary Agricultural Co-Op. Society Limited, Kanugutta, Beath Mandal, Adilabad Dist. Andhra Pradesh.	1.1.2000
20. AP/36035	M/s. Primary Agricultural Co-Op. Society Limited, Tejapur, Narediganda Mandal, Adilabad Dist. (A.P.).	1.1.2000
21. AP/36034	M/s. Primary Agricultural Co-Op. Society Ltd., Beath, Adilabad Dist.(A.P.).	1.1.2000

22.	AP/36032	M/s. Primary Agricultural Co-Op. Society Ltd., Waddoor, Neredigonda Mandal Adilabad Dist. (A.P.)	1.1.2000
23.	AP/36033	M/s. Primary Agricultural Co-Op, Society Ltd., Dhannur, Boath Mandal, Dist. Adilabad.(A.P.)	1.1.2000
24.	AP/36031	M/s. Primary Agricultural Co-Op. Society Ltd., Rajura, Naredigonda Mandal, Adilabad Dist(A.P.).	1.1.2000
25.	AP/36049	M/s. Primary Agricultural Co-Op. Society Ltd., Buggaram, Buggaram, Neredigonda Mandal, Adilabad Dist., (A.P.).	1.1.2000
26.	AP/36046	M/s. Primary Agricultural Co-Op. Society Ltd., Kuchlapur, Boath Mandal, Adilabad Dist. (A.P.)	1.1.2000
27.	AP/34079	M/s. P.A.C.C.S.Ltd., Uthoor, Mdl : Gandhari, Nizamabad Dt.(A.P.)	1.11.99
28.	AP/34052	M/s. P.A.C.C.S.Ltd., Shetpally, Mdl:Morthad, Nizamabad(A.P.)	1.9.99
29.	AP/32699	M/s. ECIL Employees Co-Op. House Building Society Ltd., Plot No. 443, EC Nagar, HCL(PO), Hyderabad-500 051.	1.4.98
30.	AP/36030	M/s. Primary Agricultural Co-Op. Society Ltd., Kowtha(PO), Boath (Mdl), Adilabad(Dist.) (A.P.).	1.1.2000

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of the said Act. Central Provident Fund Commissioner apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of the said establishments.

No. C.P.F.C.1(4)AP(1888)2000 5654

(K.A.DWIVEDI)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION (CENTRAL OFFICE)
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI

Dated

No. C. P. F. C. 1 (4) AP (1887) 2000/5652

S.O._____Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and majority of employees in relation to the following estab have agreed that the provisions of the Employees' Provident and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (1952), should applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date
1.	AP/30635	M/s. Primary Agricultural Co-operative Cr. Society Ltd; Pangal, Dist. Mahabubnagar.	
2.	AP/30639	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd; Rajanagaram, Wanaparthy Mandal, Mahabubnagar Dist.	
3.	AP/32190	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd; Danthanoor, Kothakota Mandal.	
4.	AP/32189	M/s. Primary Agricultural Cooperative Credit Society Ltd, Thummanapet, Mandal Balmoor, District. Mahboobnagar.	

5.	AP/30934	M/s. Primary Agricultural Cooperative Society Ltd; Motlampally, Atmakur Mandal, Dist. Mahbubnagar.	1-11-96
6.	AP/31070	M/s. Primary Agricultural Cooperative Society Ltd; Addakal, Village & Mandal, Dist. Mahabubnagar.	1-11-96
7.	AP/36876	M/s. Sree Ram Engineering, B-36, Industrial Estate, Visakhapatnam-530007.	1-9-2000
8.	AP/36886	M/s. Prasad & Company, D.No. 45-1-8/14, Muslim Tatichetla-palem, Akkayyapalem, Visakhapatnam.	1-9-2000
9.	AP/36883	M/s. Selec Technologies (India) Pvt. Ltd; 49-34-11/1, Akkayyapalem, Visakhapatnam.- 530016.	1-9-2000
10.	AP/36882	M/s. B. Nageswara Rao Electrical Works, D.No. 35-7-14, Ramamurthy Pantulu Peta, Kancharapalem, Visakhapatnam.	1-9-2000
11.	AP/36853	M/s. Systematic Engineering Services, D.No. 47-9-35/1 , IIIrd Lane, Dwarkanagar, Visakhapatnam.	1-5-2000
12.	AP/29350	M/s. Ramagiri Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd; Ramagiri, Anantapur Dist. (AP)	1-5-97
13.	AP/29698	M/s. The Pelur Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd; Pelur, Nandyal Mandal, Kurnool Dist.	1-1-99

14.	AP/34692	M/s. Budili Primary Agricultural Coop. Society Ltd; Budili (V & Post), Gorantla (Mandal), Anantapur Dist.	1-8-2000
15.	AP/30794	M/s. Primary Agricultural Coop. Society Ltd; Bheethpur, Mandal:Bheethpur, Dist. Mahabubnagar.	1-11-96
16.	AP/36848	M/s. Thrift Co-operative Association, Plot No. 9, Devi Towers, Akkayyapalem, Near NH5 Road, Visakhapatnam-16.	1-7-2000
17.	AP/27385	M/s. Primary Agricultural Coop. Credit Society Ltd; Selipoor (M), Ghanapoor, Dist. Mahaboobnagar.	1-10-94
18.	AP/28094	M/s. Ashrae Filters (P) Ltd; 7-63, Venkateswara Indl. Complex, Balanagar, Hyderabad-37.	1-7-95
19.	AP/27356	M/s. Primary Agricultural Co-op. Society Ltd; Indrakal, Mandal, Thadoor.	1-9-94
20.	AP/27454	M/s. Primary Agricultural Coop. Credit Society Ltd; Doulatabad (Mandal), Mahabubnagar Dist.	1-10-94
21.	AP/38668	M/s. Balaji Containers, Plot No. 149, I.E, Medchal, Ranga Reddy Dist. A.P.	1-1-2000
22.	AP/36895	M/s. The Rail Road Maintenance Transport and Consultancy Services, 45-42-8A, Akkayyapalem, Visakhapatnam-530016.	1-10-2000

23.	AP/36899	M/s. Sanyasi Rao Welfare Society. D.No. 71-31-1342, Jai Andhara Colony, Gandhigram(PO), Visakhapatnam.	1-7-2000
24.	AP/34722	M/s. Rompicherla Primary Agricultural Coop. Credit Society Ltd Rompicherla-517192, Chittoor Dist. (A.P.)	1-9-2000
25.	AP/34301	M/s. The Hussainmuravani Primary Agricultural Cooperative Credit Society Ltd; Y.No. 657, H.Muranavani (P & Vill), Peddakadubur (Mandal) Kurnool Dist.	1-12-98
26.	AP/36894	M/s. Sana Engineering Company, 43-17-10/2, T.S.N. Colony, Visakhapatnam-16	1-10-2000

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and wi effect from the date mentioned against the name of each of the sa establishments.

No. C.P.F.C. 1(4)/AP(1887)/2000 5652

(K.A. DWIVEDI)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION (CENTRAL OFFICE)
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110066.

****

26 MAR 2001

Dated_____

No. C. P. F. C. 1 (4) AP (1889) 2000/5653

S.O._____Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage.
1.	AP/27451	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Limited; Damargidda, Mandal Damargidda, Dist. Mahabubnagar.	1-10-94
2.	AP/27458	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society, Reddy ganapur, Bashirabad Mandal, RR dt.	1-3-94
3.	AP/30858	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd; Kothapeta, Mandal Keshampet, Dist. Mahabubnagar.	1-11-96
4.	AP/27379	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd; Chinna Tandrapad. Jeeja Mandal, Mahaboobnagar Dist. (A.P.)	1-7-94

5.	AP/27354	M/s. Primary Agricultural Co-op. Society Ltd; Chinna Muddunoor, Mandal. Telkapally, Dist. Mahaboobnagar.	1-9-94
6.	AP/27353	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd; Telkapally, Mandal Telkapally, Dist. Mahaboobnagar.	1-9-94
7.	AP/27355	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd; Manthaty, Nagarkurnool Mandal, Mahaboobnagar Dist. (A.P.)	1-9-94
8.	AP/27444	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society, Chityal, Pargi Mandal, R.R. Dist.	1-3-94
9.	AP/27337	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd; Bijnapally, Bijnapally Mandal, Mahabubnagar Dist. A.P.	1-8-94
10.	AP/27351	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd; Tadoor, Mandal. Tadoor, Dist. Mahaboobnagar.	1-9-94
11.	AP/27453	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd; Khanapur, Mandal Bijinapally, Dist. Mahaboobnagar. (A.P.)	1-10-94
12.	AP/30666	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd; Nandinne, Mandal Ghattu, Mahaboobnagar Dist.	1-7-96

13.	AP/26325	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society, Ghanpoor, Mandal Ghanpoor, Dist. Mahabubnagar.	1-8-94
14.	AP/27357	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd; Nagarkurnool, Nagarkurnool Mandal, Mahaboobnagar Dist. A.P.	1-9-94
15.	AP/34059	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd; Ethonda, Mandal Kotagiri, Dist. Nizamabad.	1-10-99
16.	AP/34105	M/s. Primary Agricultural Co-operative Credit Society Ltd; Pulkal, Mandal Bichkunda, Nizamabad.	1-3-2000
17.	AP/28382	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd; Bonkeswar, Mandal Nandipet, Dist. Nizamabad.	1-12-98
18.	AP/34113	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd; Mutakunta, Mandal Nizamabad, Dist. Nizamabad.	1-5-2000
19.	AP/28238	M/s. Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd; Gunkul, Hq. Mahmadnagar, Mandal Nizamsagar, Dist. Nizamabad.	1-2-97
20.	AP/34082	M/s. Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd; PO. Chintakunta, Mandal Varni, Dist. Nizamabad.	1-12-99

21.	AP/34032	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd; Deopally, Mandal Ranjal, Nizamabad.	1-7-99
22.	AP/34033	M/s. Primary Agricultural Co-operative Society Ltd; Tadbileli, Mandal. Ranjal, Dist. Nizamabad.	1-7-99

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

No. C.P.F.C. 1(4)/AP(1889)/2000 5653

(K.A. DWIVEDI)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(Ministry of Labour, Government of India)
Head Office-Bhavishya Nidhi Bhawan
14-Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110 066

28 MAR 2001

No. 5742 In pursuance of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, Chairman, Central Board of Trustees (EPF) has been pleased to approve the following amendments in the Notification issued by Central Provident Fund Commissioner vide No. Conf.5(2)97/Assam/86 dated 19-06-2000 published in Part. III, Section 4 of the Gazette of India dated 15-07-2000.

In the said notification against Sl. No. 4 at page 3171, column I, the words should be read as "Shri. B.P. Bakshi, Chairman, All India Manufactures' Organisation, Assam State Board, Makum Road, Tinsukia - 786146", as above, instead of "Shri. B.P. Boxi, Honorary Secretary, All India Manufacturers Association, Assam State, Tinsukia".

Ajai Singh
Central Provident Fund Commissioner

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION (CENTRAL OFFICE)
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110066

29 MAR 2001

Dated_____

No. C. P. F. C. 1 (4) KN (1912) 2000/5757

S.O._____Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the establishment.	Date of Coverage
1.	KN/21234	M/s. The Chaitanya Mahila - Sahakari Bank Ltd; M.G. Road, Ist Floor, Bijapur-586101.	1-6-98
2.	KN/21235	M/s. Vyavasaya Seva Sahakari - Bank Niyamitha, Rehabilitation Colony, No. 2, Sindhanur-584128. Dist. Raichur.	1-4-98
3.	KN/21261	M/s. V.T. Naindrakar, Aluminium Fabrication, H.No. 8-1197, New Bhov Galli Gunj Road, Gulbarga- 585101, Karnataka.	1-3-99
4.	KN/21286	M/s. The Bijapur District Womans - Multipurpose Co-operative Society Ltd; Stadium Complex, Bijapur-586101.	12-12-98

5.	KN/21340	M/s. The Navjeevan Co-operative Credit Society Ltd; Ram Mandir Road, Bijapur-586101.	1-11-2000

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1(4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

No. C.P.F.C. 1(4)KN(1912)/2000

5757

(K.A. DWIVEDI)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

MINISTRY OF LABOUR
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(CENTRAL OFFICE)
14, BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110066.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/5772 Dated the 30 MAR 2001

NOTIFICATION

S.O..... Whereas the employer of the establishment mentioned in Scheduled -I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

The Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourbale to such employees than the benefits admissible under the employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercised of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt. each of the said mentioned establsihments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan from the operation of said Scheme fro a period of 3 (three) years.

SCHEDULE II

S.No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C. File No.
1.	M/s Roshan Moters, Transport Nagar, Jaipur.	RJ/7080	1.8.97 23.6.2000	13/59/RJ/2K/CV
	M/s. P.P. Rubber Products Pvt. Ltd., B-III(B) Road No.9(C), V.K.I. Area, Jaipur	RJ/7257	1.2.98 23.6.2000	13/60/RJ/2K
3.	M/s Kothari Globle Ltd., V.P.O.Tather Dist. Kota, Rajasthan	RJ/7810	1.8.95 31.7.98 1.8.98 23.6.2000	13/61/RJ/2K
4.	M/s Ericsion Telecommunications Ltd., Village Kukus, Jaipur, Rajasthan	RJ/7686	1.3.99 23.6.2000	13/62/RJ/2K
5.	M/s. C.M.I. Ltd., A-315(B) Phase-I, RIICO Indl. Area, Bhiwadi (Rajasthan).	RJ/8415	1.3.98 23.6.2000	13/63/RJ/2K
6.	M/s. Green Ply Industries Ltd.176-179, RIICO Indl. Estate, Phase-II, Behror, (Rajasthan).	RJ/8295	1.8.97 23.6.2000	13/64/RJ/2K
7.	M/s. Ajanta Soya Ltd.,S.P.-916, Indl.Estate, Phase-II, Bhiwadi, Alwar (Rajasthan).	RJ/8086	1.3.98 23.6.2000	13/65/RJ/2K
8.	M/s. Kajaria Ceramics Ltd., 19, K.M. Stone, Bhiwadi, Alwar (Rajasthan)	RJ/8501	1.5.98 23.6.2000	13/66/RJ/2K
9.	M/s Janki Processor (P) Ltd., Mandhpya Choraha, Chittor garh Road, Bhilwada, Rajasthan	RJ/8651	1.7.97 23.6.2000	13/67/RJ/2K
10.	M/s. Starlite Synthetics(P) Ltd., G-I, 475 (B) RIICO Indl. Area, Bhiwadi Alwar, Rajasthan.	RJ/8624	1.3.99 23.6.2000	13/68/RJ/2K
11.	M/s Chetna Polytex (P) Ltd., A-105, Industrial Estate,	RJ/8548	1.10.99 .6	13/69/RJ/2K

12.	M/s, Vihan Society for child Development and Education, E-I, 798, Mahavir Nagar, Jaipur.	RJ/8682	1.1.98 23.6.2000	13/70/RJ/2K/CV
13.	M/s Mahavir Vidya Mandir Secondary School, Hiren Mundgri Sec.13, Udai pur (Rajasthan)	RJ/8825	1.3.99 23.6.2000	13/71/RJ/2K
14.	M/s Bharosa Agarbatti Works, P.B. No.64-193, Pal Bichha, Ajmer (Raj.)	RJ/8867	1.2.99 23.6.2000	13/72/RJ/2K
15.	M/s Universal Ice Creams Pvt. Ltd., 109, Ganapathi Plaza, F.I. Marg, Jaipur.	RJ/8857	1.1.99 23.6.2000	13/73/RJ/2K
16.	M/s. Gimni International SP-2(JA)& (2) RIICO Indl. Area, Beem Rana, Alwar (Rajasthan)	RJ/9163	1.8.98 23.6.2000	13/74/RJ/2K
17.	M/s Royal India Jewellery Mfg. Co. Pvt. Ltd., 13 Malviya Industrial Area, Jaipur.	RJ/9196	1.11.98 23.6.2000	13/75/RJ/2K
18.	M/s. Dynamic Engineers, G-68, RIICO Indl. Area, Bhilwada-311001 (Raj.)	RJ/9217	1.5.98 23.6.2000	13/76/RJ/2K
19.	M/s. Pride Pharmaceuticals, Ashirwad, M.No.I, Tonk Road, Pratap Nagar, Shangaver, Jaipur.	RJ/9224	1.4.98 23.6.2000	13/77/RJ/2K
20.	M/s. Kavery Cloth Mills Pvt.Ltd. Makoda Road, Jasol-344024 (Rajasthan)	RJ/9271	1.12.97 23.6.2000	13/78/RJ/2K
21.	M/s Sulzoon Suiting (P) Ltd., 15 K.M. Highway Ajmer Road, Village Rai Singh Pura, Bhilwada (Raj)	RJ/ 9418	1.11.99 23.6.2000	13/79/RJ/2K
22.	M/s. Mount Shivalik Industries Ltd., Gunti Behror, Dist. Alwar (Raj.)	RJ/9223	1.7.98 23.6.2000	13/80/RJ/2K
23.	M/s Bhartiya Spinners Ltd., Ganesh Pura, Bhilwara	RJ/9268	1.2.99 23.6.2000	13/81/RJ/2K

24.	M/s. Sakariya Spinners Ltd., Shahpura crossing Bhilwara.	RJ/9341	1.5.98 23.6.2000	13/82/RJ/2K/C
25.	M/s. Regional Oil Seed Growers Co-operative Union Ltd., M.I.A. Alwar-301030	RJ/6938	1.3.99 23.6.2000	13/83/RJ/2K
26.	M/s. Raj Solvex Ltd., 4, M.I.A. Alwar.	RJ/7851	1.9.99 23.6.2000	13/84/RJ/2K
27.	M/s. Varun Bewreyes Ltd., National Highway No.8, Ajmer Road, Balmukand Pura, Jaipur.	RJ/8928	1.8.98 23.6.2000	13/85/RJ/2K
28.	M/s Scan Synthetics Ltd., E-1108, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi Alwar.	RJ/9116	1.12.98 23.6.2000	13/86/RJ/2K
29.	M/s, Jaipur Khanij Udyog Sahakari Samiti Ltd., Gehlot Bhawan, New calony Road, Jaipur.	RJ/9230	1.9.98 23.6.2000	13/87/2000 RJ
30.	M/s Holly Hocks Public School, 57, Jai Jawan Colony-I, Tonk Road, Jaipur.	RJ/9359	1.7.98 23.6.2000	13/88/RJ/2K
31.	M/s. Joshep Academy Society, Plot No.600 Barket Nagar, Jaipur.	RJ/5414	1.10.98 23.6.2000	13/89/RJ/2K
32.	M/s Vanasthali Textile Industry Ltd., F-3-5 RIICO Industrial Complex Vigyan Nagar, Shaha-Jahanpur Dist. Alwar.	RJ/8064	1.1.97 31.12.99 1.1.2000 23.6.2000	13/90/RJ/2K
33.	M/s Well Weave Fab. (P) Ltd., Gathilak Hera Chittorgarh Road, Bhilwara.	RJ/8172	1.8.98 23.6.2000	13/91/2000
34.	M/s. Rajasthan Crafts Industry Nr. Ramgarh Mod Road, Jaipur.	RJ/8677	1.11.97 23.6.2000	13/92/RJ/2K

35.	M/s. Pashupati Nath Synthetics P. Ltd., 102 Indra Market, Bhilwara, Rajasthan.	RJ/9016	1.8.98 23.6.2000	13/93/RJ/2K/CV
36.	M/s. Bonus Suitings P. Ltd., 30, Bhilwara Textile Market Pur Road, Bhilwara.	RJ/9017	1.1.98 23.6.2000	13/94/2000/RJ
37.	M/s. Osoki Suitings (P) Ltd., Village Rai-Singh Pura, Dist. Bhilwara, 14, K.M. Stone Ajmer Road, P.O. Mondal.	RJ/9676	1.3.99 23.6.2000	13/95/RJ/2K
38.	M/s. Sharda Spuntex Pvt. Ltd, Luxmi Bhawan Bajar No.3, Bhopal Ganj, Bhilwara.	RJ/12011	1.1.2000 23.6.2000	13/96/RJ/2K
39.	M/s. Jitendra Synthetics Pvt. Ltd., First Floor, Luxmi Bhawan Bazar No.3, Bhilwara.	RJ/12012	1.1.2000 23.6.2000	13/97/RJ/2K
40.	M/s. Haryana Sheet Glass Ltd., 14, RIICO Indul. Area, Nimrana, Shahjahan Pur, Alwar.	RJ/8541	1.6.99 23.6.2000	13/13/99/RJ
41.	M/s. Nifty Inovations (P) Ltd., E-367, RIICO Indl. Area, Sita Pur, Jaipur.	RJ/9186	1.3.99 23.6.2000	13/24/RJ/2K

S C H E D U L E - II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Prvident Fund Comissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt., may from time of time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Schemo, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne bynthe employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of sailent feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees aunder the Group Insurance Scheme opproprately if the benefits available to the employees under said Scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Not withstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the Amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee (s) legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.

9. Therefore any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insaurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as a ready adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insure Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee (s) Legal heir (s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for gra of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s) Legal Heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

2/1959/DLI/Exem./89/Pt.I

5772

(S. RAGHURAM)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Ministry of Defence

CANTONMENT BOARD BARRACKPORE.

dated the, 6 April,2001

S.R.O G/I/35A/ Whereas the draft of the notification relating to House tax in respect of Barrackpore Cantonment was published as required by section 61 of the Cantonment Act,1924 (2 of 1924) vide Cantonment Board's Notice No.G/I/35A/109, dated the 29th September,2000, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, on or before the expiry of thirty days from the date of publication of the notification;

And whereas no objections or suggestions were received from the public on the said draft notification by the Cantonment Board within the said period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence Number SRO G/I/35/A ·

published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 dated 14th January,1989, the Cantonment Board, Barrackpore with the previous sanction of the Central Government hereby revise the house tax within the limits of Barrackpore Cantonment at the rates specified in the schedule below:-

Schedule

Annual Rental Value (in Rupees)	Rate of house tax
Rs.0 to Rs.3000/-	8%
Rs.3001/- to Rs.6000/-	9%
Rs.6001/- to Rs.10000/-	12%
Rs.10001/-to Rs.15000/-	13%
Rs.15001/- and above	16%

SUMITRA RATH
CANTONMENT EXECUTIVE OFFICER
BARRACKPORE

(File No.362581/BKP/LC3/II)

S.R.O G/I/35A Whereas the draft of the notification relating to revision of conservancy tax in respect of Barrackpore Cantonment was published as required under section 61 of the Cantonment Act,1924, (2 of 1924), vide Cantonment Board's Notice No.G/I/35A/110 dated the 29th September, 2000, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of thirty days from the date of the publication of the notification;

And whereas no objections or suggestions were received from the public on the said draft notification by the Cantonment Board within the said period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence

number SRO G/I/35/A published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 dated the 14th January,1989, the Cantonment Board, Barrackpore with the previous sanction of the Central Government hereby revise the conservancy tax within the limits of Barrackpore Cantonment at the rates specified in the Schedule below:

<u>Schedule</u>

Annual Rental Value (in Rupees)	Rate of conservancy tax
Rs.0 to Rs.3000/-	6%
Rs.3001/- to Rs.6000/-	7%
Rs.6001/- to Rs.10000/-	8%
Rs.10001/-to Rs.15000/-	9%
Rs.15001/- and above	10%

Sumitra Rath

SUMITRA RATH
CANTONMENT EXECUTIVE OFFICER
BARRACKPORE

(File No.30/2581/BKP/LC3/II)

S.R.O G/I/35A/ Whereas the draft of the notification relating to revision of the lighting tax in respect of Barrackpore Cantonment was published as required under section 61 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) vide Cantonment Board's Notice No.G/I/35A/112 dated the 29th September,2000, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period;

And whereas no objections or suggestions were received from the public in respect of the said draft notification by the Cantonment Board within said period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of

Defence Number SRO G/I/35/A, published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 dated the 14th January,1989, the Cantonment Board, Barrackpore with the previous sanction of the Central Government hereby revise the lighting tax, within the limits of Barrackpore Cantonment at the rates specified in the schedule below:

Schedule

Annual Rental Value (in Rupees)		Rate of lighting tax
Rs.0	to Rs.3000/-	4%
Rs.3001/-	to Rs.6000/-	5%
Rs.6001/-	to Rs.10000/-	5%
Rs.10001/-	to Rs.15000/-	6%
Rs.15001/-	and above	7%

Sumitra Rath

SUMITRA RATH
CANTONMENT EXECUTIVE OFFICER
BARRACKPORE

(File No.362581/BKP/LC3/II)

JUSTICE K. VENKATASWAMI COMISSION OF INQUIRY
Conference Room 'E', Vigyan Bhawan Annexe,
Maulana Azad Road, New Delhi 110 011.

PUBLIC NOTICE UNDER RULE 5(2)(b) OF THE COMMISSIONS OF INQUIRY (CENTRAL) RULES, 1972

Whereas certain allegations have been made in the videotapes and transcripts released by tehelka.com under the name of "Operation West End", followed by widespread coverage of the subject in the print and electronic media.

Whereas these allegations tend to cast an adverse reflection on the manner in which Defence procurement and other transactions of the Central Government have been transacted allegedly for illicit gains and for extraneous considerations.

Whereas in view of the doubts and suspicions generated as a result of the wide publicity given to these allegations, a thorough probe into the matter is considered necessary.

Whereas the Central Government in exercise of powers conferred u/s 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 appointed vide Notification No. S.O. 266(E) dated 24th March, 2001, a Commission of Inquiry consisting of a single member Hon'ble Mr. Justice K. Venkataswami, Retired Judge, Supreme Court of India (hereinafter called the "Commission") to conduct Inquiry and submit a report with respect to the following matters:

(a) Whether the transactions relating to Defence and other procurements referred to in the videotapes and transcripts released by Tehelka.com under the name of "Operation West End" have been carried out in terms of the prescribed procedures and the imperatives of national security.

(b) Whether in any of the aforesaid procurement transactions, illicit gains have been made by persons in public office, individuals, and any other organization as alleged and if so, to what extent.

(c) To suggest action that may be taken in respect of persons who may be found responsible by the Commission for their acts of commission and/or omission in respect of transactions referred to in sub-clause (a) above;

(d) To inquire into all aspects relating to the making and publication of these allegations and any other matter which arises from or is connected with or incidental to any act, omission or transaction referred to in sub-clause (a) and (b) above.

Now, the Commission invites all persons acquainted with the above subject matter of inquiry to furnish to the Commission a statement relating to such matters as are mentioned hereinabove. As the Commission is time bound it may be ensured that the statement/s reach the Commission on or before 8.5.2001.

Every statement should be accompanied by an affidavit of the facts set out in the statement. The affidavit shall have due regard to the provisions of Justice K. Venkataswami Commission of Inquiry (Regulations of Procedure) Order, 2001

(hereinafter called the "Order") in particular clauses 12 to 22 which read as follows:

"12. Any affidavit(s) filed on being invited by the Commission, or otherwise, shall be attested by a Judicial Magistrate (1st Class) or any other authority empowered to administer oath.

13. The statement accompanied by an affidavit may be presented under acknowledgement either in person or through counsel or a duly authorized representative to the Registrar or an official authorized by him during office hours or may be sent by Registered. acknowledgement due post.

14. The statements and the accompanying affidavits so filed shall be in English. However, if the same are in any other language, they shall be accompanied by true translation of the same in English duly authenticated to be true translation by a Judicial Magistrate (1st Class) or any other authority empowered to administer oath.

15. Statements of material fact relating to each subject matter shall be in separate paragraphs.

16. The affidavit shall be drawn up in the first person and divided into paragraphs to be numbered consecutively. The opening paragraphs of the affidavits shall state the description, occupation, postal address. and true place of abode of the deponent.

17. Each affidavit shall carry a verification in the end in the following manner:-

"Verified that the statement made in paragraphs..... of the above statement/ affidavit are true to my personal knowledge and those of paragraphs ..... are true to information received and believed to be true."

18. The Judicial Magistrate (1st Class) or the authority before whom the Affidavit is sworn, shall make the following statement:-

" Sworn before me by the deponent who is identified to my satisfaction by ..... Or is personally known to me. The affidavit has been read out in full to the deponent who has signed after admitting it to be correct, this..... day of .....2001 at.....

Seal and Signature of Magistrate/ Authority"

19. If information contained in the statement is derived from any document, or records, the particulars and nature of such documents, the person in custody or control thereof should be indicated and source of such information should be disclosed. If any part of the statement is based on information received by the deponent, he shall disclose the source of such information.

20. The deponent shall file along with the statement, a list of such documents on which he intends to rely. He shall also file a list of witnesses with their full particulars and addresses whom he would like to examine in support of his statements along with a summary of facts they are likely to depose. Against the name of each witness the deponent shall indicate briefly the fact or facts, which the witness is expected to prove in his examination, and give

reasons, why instead of oral examination his examination on affidavit will not suffice.

21. A party or person filing statements/ affidavit shall file four copies thereof. If the statements/ affidavits are filed in any language other than English, same number of copies of its true translation shall be filed.

22. A deponent who relies on any document, the original document or duly certified copy thereof shall be filed along with the affidavit. If such a document is not in possession or control of the deponent he shall disclose the particulars of the person in whose custody the same is available along with the particulars of the document. In case the document is an official record, the department or the officer in whose custody and control the document is, shall be indicated."

Copies of the Order can be had from the office of the Secretary to the Commission at Conference Room 'E', Vigyan Bhawan Annexe, New Delhi 110 011 (Telehpone No. 3022069). In case of any difficulty, please contact Registrar Secretary to the Commission of Inquiry.

BY ORDER OF THE COMMISSION

Given under my hand and the seal of the Commission.

Registrar
Justice K. Venkataswami Commission of Inquiry
Concerence Room 'E'
Vigyan Bhawan Annexe
New Delhi 110 011

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2001
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2001